उत्तर प्रदेश सरकारी सेवकों की आचरण-नियमावली, 1956

नियुक्ति (ख) विभाग

विविध

21 जुलाई, 1956 ई०

सं० 2367/2-बी—118—54—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिबंधात्मक खंड (proviso) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यों से सम्बद्ध सेवा में लगे सरकारी कर्मचारियों के प्रकरण को विनियमन करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण-नियमावली, 1956

1. संक्षिप्त नाम—ये नियम उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण-नियमावली, 1956 कहलायेंगे।

टिप्पणियाँ

नियम 1

सार-संग्रह

1. *अनुच्छेद 309 के अधीन बनाए गये नियम।*
2. *अनुच्छेद 309 के अधीन बनाये गये नियम सांविधानिक प्रावधान नहीं होते।*
3. *आया नियमों का भूतलक्षी प्रभाव होता है।*
4. *अनुपूरक अनुदेश— विधिमान्यता।*
5. *नियमों को एकतरफा बदला जा सकता है।*
6. *कानून द्वारा प्रदत्त किसी लाभ से नियमों द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता।*
7. *यह नियम लोक उपक्रम के कर्मचारियों पर लागू होते हैं।*
8. *सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय रूप से कार्यवाही करने का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक कि संविदा वर्तमान रहती है।*
9. *आचरण नियमावली का महत्व।*
10. *सांविधानिक विधिमान्यता।*

1. अनुच्छेद 309 के अधीन बनाये गये नियम—अनुच्छेद 309 का प्रतिबन्धात्मक खंड यह उपबन्ध करता है कि राज्य के कार्यकलापों से सम्बन्धित सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों का विनियमन करने के लिये उस राज्य के राज्यपाल अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति नियम बनाने के लिये सक्षम होंगे। राज्यपाल की शक्तियाँ "नामनिर्दिष्ट व्यक्ति" (persona designata) के रूप की नहीं हैं।[1] राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति नियम बना सकता है। नियमों का प्रकाशन राष्ट्रपति के नाम में अनुसचिव के हस्ताक्षर से भी किया जा सकता है।[2] अनुच्छेद 309 के जिसके अधीन नियमों का बनाया जाना प्राधिकृत किया गया है, उपबन्धों का उल्लेख न करने मात्र से नियम अधिकारातीत (ultra vires) नहीं हो जायेंगे।[3]

---

1. ए० आर० बनाम एस०, 1969 ए० एल० जे० 135.

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवकों की आचरण-नियमावली, 1956

नियुक्ति (ख) विभाग

विविध

21 जुलाई, 1956 ई०

सं० 2367/2-बी—118—54—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिबंधात्मक खंड (proviso) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यों से सम्बद्ध सेवा में लगे सरकारी कर्मचारियों के प्रकरण को विनियमन करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण-नियमावली, 1956

1. संक्षिप्त नाम—ये नियम उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण-नियमावली, 1956 कहलायेंगे।

टिप्पणियाँ

नियम 1

सार-संग्रह

1. *अनुच्छेद 309 के अधीन बनाए गये नियम।*
2. *अनुच्छेद 309 के अधीन बनाये गये नियम सांविधानिक प्रावधान नहीं होते।*
3. *आया नियमों का भूतलक्षी प्रभाव होता है।*
4. *अनुपूरक अनुदेश—विधिमान्यता।*
5. *नियमों को एकतरफा बदला जा सकता है।*
6. *कानून द्वारा प्रदत्त किसी लाभ से नियमों द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता।*
7. *यह नियम लोक उपक्रम के कर्मचारियों पर लागू होते हैं।*
8. *सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय रूप से कार्यवाही करने का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक कि संविदा वर्तमान रहती है।*
9. *आचरण नियमावली का महत्व।*
10. *सांविधानिक विधिमान्यता।*

1. अनुच्छेद 309 के अधीन बनाये गये नियम—अनुच्छेद 309 का प्रतिबन्धात्मक खंड यह उपबन्ध करता है कि राज्य के कार्यकलापों से सम्बन्धित सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों का विनियमन करने के लिये उस राज्य के राज्यपाल अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति नियम बनाने के लिये सक्षम होंगे। राज्यपाल की शक्तियाँ "नामनिर्दिष्ट व्यक्ति" (persona designata) के रूप की नहीं हैं।[1] राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति नियम बना सकता है। नियमों का प्रकाशन राष्ट्रपति के नाम में अनुसचिव के हस्ताक्षर से भी किया जा सकता है।[2] अनुच्छेद 309 के जिसके अधीन नियमों का बनाया जाना प्राधिकृत किया गया है, उपबन्धों का उल्लेख न करने मात्र से नियम अधिकारातीत (ultra vires) नहीं हो जायेंगे।[3]

1. के० आर० बनाम एस०, 1969 ए० एल० जे० 135.

राज्य सरकार द्वारा बिना नोटिस के बनाये गये नियम अनियमितता मात्र होते हैं। यदि राज्य सरकार ने किसी नियम का गलत निर्वचन किया हो, तो भी कोई रिट याचिका नहीं चल सकती।[1]

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत प्रदेश के राज्यपाल को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गयी है। प्रशासनिक आदेशों द्वारा नियम विस्थापित नहीं किये जा सकते हैं। न ही नियमित रूप से विस्थापित नियमों को गत काल में उक्त तिथि से प्रशासनिक आदेशों द्वारा लागू किया जा सकता है।[2]

2. अनुच्छेद 309 के अधीन बनाये गये नियम सांविधानिक प्रावधान नहीं होते—अनुच्छेद 309 समुचित विधानमण्डल को लोकसेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों का विनियमन करने के लिये सशक्त करता है। सिवाय वहाँ के जहाँ कि संविधान द्वारा व्यक्त रूप से उपबन्धित किया गया हो, अनुच्छेद 310 के अधीन प्रत्येक प्रतिरक्षा सेवा या सिविल सेवा का सदस्य राष्ट्रपति के प्रसादानुसार पद धारण करेगा। अनुच्छेद 310 स्वयं ही यह उपबन्ध करता है कि वह संविधान के व्यक्त प्रावधानों के अध्यधीन है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अनुच्छेद 311 के अध्यधीन है। सिवाय वहाँ के जहाँ कि संविधान द्वारा व्यक्त रूप से उपबन्धित किया गया हो'' शब्दों के विस्तार क्षेत्र के अन्तर्गत अनुच्छेद 309 के अधीन बनाये गये नियम नहीं आते, यद्यपि अनुच्छेद 309 एक सांविधानिक प्रावधान हो सकता है। अत: अनुच्छेद 311 के अधीन की गई किसी कार्यवाही को अनुच्छेद 309 के अधीन बनाये गये नियमों के पालन न करने के आधार मात्र पर अपास्त नहीं किया जा सकता।[3] इसी प्रकार, आचरण नियमावली के अविलंघन का संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन कोई गम्भीर रुख धारण नहीं किया जा सकता। उस पर कोई निष्कर्ष अधिकरण द्वारा ही निकाला जा सकता है।[4]

सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली कानूनी नियम नहीं हैं। उन्हें केवल उस सेवा संविदा का भाग माना जा सकता है कि जिसके अधीन कर्मचारी सरकारी सेवक के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करते हैं। फिर भी, संविधान के अधीन यथांगीकृत नियमों का विधि जैसा ही बल है।[5]

3. आया नियमों का भूतलक्षी प्रभाव होता है—विधान मण्डल द्वारा पारित किये गये किसी अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये, अनुच्छेद 309 के अधीन बनाये गये नियम प्रभावी होंगे। किसी अधिनियम के अभाव में, नियम पूर्णरूपेण प्रभावी होंगे, भूतलक्षी एवं भविष्यलक्षी दोनों ही रूप में, जेड० बनाम एस०[6] किसी कर्मचारी की सेवा शर्तों में कार्यपालिका अनुदेश भूतलक्षी प्रभाव से कोई तब्दीली नहीं कर सकते। ऐसा करने के लिये सरकार का विधि के प्रत्यक्ष उपबन्धों द्वारा प्राधिकृत किया जाना जरूरी है।[7]

4. अनुपूरक अनुदेश—विधिमान्यता—अनुपूरक अनुदेश केवल किसी नियम या रजिस्ट्रीकरण कर सकते हैं, लेकिन उनका पूर्व निर्मित नियमों से असंगत न होना जरूरी है।[8]

यह नियम सम्पूर्ण तथा स्पष्ट नहीं हैं। उनको लोक व्यवहार, शासकीय स्थिति के दुरुपयोग, अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार आदि जैसे विषयों पर अनुदेश जारी करके अनुपूरित किया जाना है।

---

1. डी० बनाम एस०, ए० आई० आर० 1958 केरल 283.
2. आई० सी० ए० आर० बनाम सतीश कुमार एवं अन्य, 1998 (2) एस० एल० आर० 808; यूनियन आफ इण्डिया बनाम तुशर रंजन मोहन्ते, 1994 (4) एस० एल० आर० 475 (एस० सी०); यूनियन आफ इण्डिया बनाम पी० सी० मिश्रा, 1993 (5) एस० एल० आर० 307 सुप्रीम कोर्ट भी देखिये; विमल कुमारी बनाम स्टेट आफ हरियाणा एवं अन्य, 1998 (2) एस० एल० आर० 231 एस० सी० भी देखिये। 1998 (2) एस० एल० आर० एस० सी० 167.
3. के० बनाम एस०, ए० आई० आर० 1960 मैसूर 255 तथा एस० बनाम यू०, ए० आई० आर० बम्बई 431.
4. बी० बनाम एस०, ए० आई० आर० 1965 उड़ीसा 183 तथा बी० बनाम एस०, ए० आई० आर० 1964 केरल 227.
5. सी० बनाम एस०, ए० आई० आर० 1957 केरल 43.
6. 1972 एस० एल० आर० 486 एस० सी०.
7. के० बनाम यू० 1971 एस० एल० आर० 487 पंजाब.
8. एस० बनाम यू० 1971 एस० एल० आर० 395.

5. नियमों को एकतरफा बदला जा सकता है—सरकार आचरण नियमों को एक तरफा बदल सकती है। कर्मचारियों की सहमति आवश्यक नहीं है। सरकार अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सेवा शर्तों को बदल सकती है। यदि सेवा शर्तों को बदलने के सम्बन्ध में यह अभिवचन किया जाय कि कर्मचारियों की सहमति नहीं प्राप्त की गई, तो यह धारण किया गया कि उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। विबन्ध का सिद्धान्त लागू नहीं होता।[1]

6. कानून द्वारा प्रदत्त किसी लाभ से नियमों द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता—आचरण नियम अनुच्छेद 309 के उपबन्धों के अध्यधीन बनाये गये हैं। सेवा शर्तों से सम्बन्धित कोई कानून अनुच्छेद 309 के विस्तार क्षेत्र के अन्तर्गत एक विधान है। यदि सरकारी सेवकों को सेवा शर्तों से बरतने वाले किसी कानून के अधीन कोई लाभ प्राप्त हो जाता है, तो उस अधिकार को अनुच्छेद 309 के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा छीना नहीं जा सकता।[2]

7. यह नियम लोक-उपक्रम के कर्मचारियों पर लागू होते हैं—केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित उपक्रमों में, अर्थात् जहाँ सम्पूर्ण पूँजी राज्य द्वारा लगाई जाए, कर्मचारियों के क्रियाकलापों (Activities) को उसी प्रकार निर्बन्धित किया जाना चाहिये जैसे कि सीधे सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के सम्बन्ध में। सरकार द्वारा नियन्त्रित अथवा आंशिक रूप से वित्तपोषित निगमित उपक्रमों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में, यथासंभव सिविल सर्विस (कान्डक्ट) रूल्स को ऐसे रूप भेदों सहित लागू किया जाए जैसे कि जरूरी हों।[3]

8. सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय रूप से कार्यवाही करने का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक कि संविदा वर्तमान रहती है—विभागीय रूप से कार्यवाही करने का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक कि नियोजक और कर्मचारी के बीच स्वामी और सेवक का सम्बन्ध बना रहता है। जैसे ही ऐसा सम्बन्ध समाप्त हो जाता है, कोई नियोजक या नियुक्ति प्राधिकारी किसी कर्मचारी को विभागीय रूप से दण्डित नहीं कर सकता है। यदि कोई नियोजक या नियुक्ति प्राधिकारी उसके बाद किसी कर्मचारी के विरुद्ध उसके किसी दुराचरण के लिये कार्यवाही करना ही चाहता है तो उसको विधि न्यायालय की शरण लेनी होगी। विधि की सामान्य प्रस्थापना के रूप में यह मत सही हो सकता है, किन्तु लोक सेवक की दशा में वह उसकी सेवा शर्तों का विनियमन करने वाले नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन होगा।[4]

यदि किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही के फलस्वरूप सेवानिवृत्ति के बाद कोई पेन्शनर अपने सेवा काल, जिसमें पुनः नियोजन की अवधि भी सम्मिलित होगी, के दौरान किसी गम्भीर दुराचरण का अथवा दुराचरण या गफलत द्वारा सरकार को माली नुकसान पहुँचाने का दोषी पाया जाय, तो सिविल सर्विस रेगुलेशन की धारा 351-क के अधीन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल अपने पास पेन्शन या उसके किसी भाग को, चाहे स्थायी रूप से या किसी अवधि विशेष के लिये रोक लेने या समाप्त करने का अधिकार, या सरकार को पहुँचाए गये माली नुकसान पूर्णरूपेण अथवा आंशिक रूप से पेन्शन से वसूल किये जाने का अधिकार आरक्षित रखते हैं। बशर्ते कि—

(क) ऐसी कार्यवाही, यदि अधिकारी के सेवाकाल में या तो उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व या पुनः नियोजन के दौरान आरम्भ न की गयी हो,

(i) बिना राज्यपाल के अनुमोदन के आरम्भ न की जायेगी,

(ii) किसी ऐसी घटना के सम्बन्ध में होगी जो कि ऐसी कार्यवाही के आरम्भ करने से पूर्व न घटी हो, तथा

---

1. एस० बनाम यू० ए० आई० आर० 1969 पंजाब 257.
2. बी० बनाम एस०, 1971 लैब० आई० सी० 5212 (मैसूर).
3. ए।० एच० ए० न० 25/55/53 (ख), दिनांक 14.3.1956 सपठित न० 7/30/62, दिनांक 14.6.65.
4. एस० बनाम सी०, ए० आई० आर० 1963 कलकत्ता 359.

(iii) ऐसे अधिकारी द्वारा तथा ऐसे स्थान अथवा स्थानों पर संचालित की जायेगी जैसे कि राज्यपाल निदेश करें, तथा ऐसी प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जायेगी जो कि उन कार्यवाहियों पर लागू होती हो जिनमें सेवा से बर्खास्त किये जाने का आदेश पारित किया जा सकता हो।

(ख) न्यायिक कार्यवाही, यदि उस समय न आरम्भ की गई हो जब कि अधिकारी या तो सेवानिवृत्ति से पूर्व या पुन: नियोजन की अवधि में कर्तव्यरत था, खंड (क) के उपखंड (ii) के अनुसार आरम्भ की जायेगी; तथा

(ग) अन्तिम आदेश पारित किये जाने से पूर्व लोक सेवा आयोग की राय ली जायेगी।

9. आचरण नियमावली का महत्व—यह सुनिश्चित करने के लिये कि जनता का सरकार में विश्वास ी, यह जरूरी है कि सरकारी सेवक आचरण नियमावली के अनुसार व्यवहार करें और उसका निष्ठापूर्वक पालन करें। उनका कोई भी दुराचरण सरकार की छवि को धूमिल कर सकता है। अत: सरकार अपने सेवकों ंड, जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में आचरण का विनियमन करने के लिये आचरण नियमावली का निर्माण करती है।

10. सांविधानिक विधिमान्यता—सरकार तथा सिविल सेवक के बीच सम्बन्ध संविदा के आधार पर स्थिर है। किन्हीं दशाओं में संविदा एक औपचारिक प्रलेख (formal document) द्वारा दृष्टिगत होती है, लेकिन यदि कोई औपचारिक संविदा न भी हो तो भी पक्षकारों के आचरण द्वारा एक विवक्षित संविदा होती है। संविधान के उपबन्ध तथा तदधीन निर्मित नियम मिल जुलकर संविदा की शर्तों का गठन करते हैं। जो भी व्यक्ति सरकारी सेवा में प्रवेश करता है, वह इन नियमों का अनुसरण करने के लिये तब तक बाध्य होता है जब तक कि स्वामी और सेवक का सम्बन्ध बना रहता है। अत: सरकारी सेवक मूल अधिकारों का प्रयोग अपनी सेवा शर्तों का निर्धारण करने वाले नियमों के अध्यधीन ही करता है। अत: आचरण नियमावली द्वारा लगाये गये निर्बन्धन संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते।

2. परिभाषाएँ—जब तक प्रसंग से कोई अन्य अर्थ अपेक्षित न हो, इन नियमों में :—

(क) ''सरकार'' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(ख) ''सरकारी कर्मचारी'' से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यों से सम्बद्ध लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त हो।

स्पष्टीकरण—इस बात के होते हुए भी, कि उस सरकारी कर्मचारी का वेतन उत्तर प्रदेश की संचित निधि से अतिरिक्त साधनों से लिया जाता है, ऐसे सरकारी कर्मचारी भी, जिसकी सेवायें उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी कम्पनी, निगम, संगठन, स्थानीय प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार किसी अन्य राज्य सरकार को अर्पित कर दी हों; इन नियमों के प्रयोजनों के लिये, सरकारी कर्मचारी समझा जायेगा।

[1][(ग) किसी सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में, ''परिवार का सदस्य'' के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे :—

(1) ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी, उसका लड़का, सौतेला लड़का, अविवाहित लड़की या अविवाहित सौतेली लड़की चाहे वह उसके साथ रहता/रहती हो अथवा नहीं, और किसी महिला सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में, उसके साथ रहने वाला तथा उस पर आश्रित उसका पति, तथा

(2) कोई भी अन्य व्यक्ति, जो रक्त सम्बन्ध से या विवाह द्वारा उक्त सरकारी कर्मचारी या सम्बन्धी हो या ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी का या उसके पति का सम्बन्धी हो और जो

1. विज्ञप्ति सं० 1403/2-बी/28 (5)-64 दिनांक 23 जून, 1964 द्वारा प्रतिस्थापित.

नियम 3

सार-संग्रह

1. हर समय
2. पूर्ण सत्यनिष्ठा
   - (क) घूस या अवैध पारितोषण की माँग करना
   - (ख) घूस या अवैध पारितोषण लेना
   - (ग) अपनी आय के अनुपात से अधिक सम्पत्ति का अर्जन व कब्जा
   - (घ) लेखा का गलत तैयार किया जाना
   - (ङ) लोक धन का दुर्विनियोजन
   - (च) गलत व्यक्ति को धन प्राप्त करने में सहायता करना
   - (छ) अवितरित लोक धन को अपने पास रखना
   - (ज) शासकीय स्थिति का दुरुपयोग
3. कर्तव्य के प्रति निष्ठा
   - (क) कर्तव्य निर्वहन में विफलता रहना
   - (ख) अवज्ञा
   - (ग) अवज्ञा कब दुराचरण नहीं होती।
   - (घ) किसी उचित रूप से गठित संघ में हड़ताल का संकल्प पारित करता आया कर्तव्य के प्रति निष्ठा भंग करना है?
4. व्यक्त या विवक्षित आदेश के अनुसार आचरण :—
   - (क) दुराचरण क्या हो सकता है?
   - (ख) निजी जीवन में आचरण दुराचरण हो सकता है
   - (ग) अभद्र व अपमानजनक भाषा का प्रयोग
   - (घ) आदेशों को लेने से इन्कार करना दुराचरण है
   - (ङ) व्यक्तिगत अनैतिकता
   - (च) गफलत
   - (छ) दाण्डिक अपराध में कब विभागीय कार्यवाही की जा सकती है
   - (ज) अनुच्छेद 31-घ व 51-क का उल्लंघन एक दुराचरण है
5. विधिमान्यता।

1. हर समय—'हर समय' का अर्थ है ऐसी अवधि जिसमें स्वामी व सेवक का सम्बन्ध बना रहता है। राज्य सरकार की अधीन सेवाओं की कुछ विचित्र विशेषतायें हैं। उनमें भर्ती आदि विभागीय नियमों व क़ानूनी उपबन्धों द्वारा शासित होती हैं। अनुच्छेद 311 के अधीन उपबन्धित रक्षोपायों के अध्यधीन अनुच्छेद 310 राज्य में सरकारी सेवकों की सेवावधि पर पूरा नियंत्रण रखने की शक्ति विनिहित करता है। फिर भी, अनुच्छेद 311 राज्य सरकार पर अपने सेवकों की, सरकारी कर्मचारी के लिये अशोभनीय आचरण के लिये, सेवा समाप्त करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगता।

2. पूर्ण सत्यनिष्ठा—सच्चाई, ईमानदारी या शुद्धता ही सत्यनिष्ठा है। यदि किसी लोक अधिकारी से पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाये रखने की अपेक्षा की जाये, तो उससे केवल यही कहा जायेगा कि वह अपने को उस प्रशासकीय शिष्टता के घेरे में रखे जिसको सभ्य प्रशासन कहा जाता है।[1]

(क) घूस या अवैध पारितोषण की माँग करना—घूस की माँग करना घूस या अवैध पारितोषण प्राप्त करने का प्रयास है और वह भारतीय दण्ड संहिता के अधीन एक अपराध होता है। यह इन नियमों के अधीन भी एक दुराचरण है। जहाँ कोई धन नहीं दिया गया, किन्तु यह सिद्ध हो गया कि उत्तरवादी द्वारा रु० 10,000 का घूस माँगा गया था, वहाँ उत्तरदायी को अपने आचरण का स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान करके बर्खास्त कर दिया गया।[2]

---

1. शीषत रंजन विस्वास बनाम कलेक्टर आफ कस्टम्स, ए० आई० आर० 1964 कलकत्ता 415.
2. मद्रास राज्य बनाम सी० एस० राजगोपाला, ए० आई० आर० 1950 मद्रास 613.

(ख) घूस या अवैध पारितोषण लेना—घूस या अवैध पारितोषण लेना भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध है। यदि अवैध पारितोषण लेने का पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है तो यह सिद्ध करना जरूरी नहीं है कि घूस किस प्रकार माँगा गया।[1]

एक लेखपाल कोई पक्षपात का कार्य करने के बदले गल्ला लेता है तो वह अवैध पारितोषण प्राप्त करने का दोषी है। यदि लेखपाल गाँव वालों से कहे कि उसने उन लोगों को तकाबी दिलवाने में रात दिन काम करके कठिन परिश्रम किया है और उसके बदले में वह उसको एक रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से दें, तो यह भी एक दुराचरण ही होगा। यदि कोई सरकारी सेवक अपने अधीनस्थ किसी व्यक्ति से रु० 200.00 मन्दिर की मरम्मत के लिए लेकर उसको सेवा में बहाल कर देता है तो वह अवैध पारितोषण प्राप्त करने का दोषी है। प्रतिकर की धनराशि का वितरण करने के लिये गाँव वालों से धन का अवैध एकत्र किया जाना उक्त प्रकार का एक दुराचरण है।[2] यह सभी बातें इन नियमों के प्रयोजनार्थ दुराचरण हो सकती हैं।

(ग) अपनी आय के अनुपात से अधिक सम्पत्ति का अर्जन व कब्जा—अपनी आय के अनुपात से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने तथा अपने कब्जे में रखने वाले सरकारी सेवक से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह इस उपधारणा का खंडन करे कि उसने सम्पत्ति बेईमानी के साधनों से प्राप्त किया है। जब तक कि वह समुचित साक्ष्य से ऐसी उपधारणा का खंडन न कर दे, सरकार उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है। आय के ज्ञात साधनों से थोड़ी बहुत अधिक धनराशि के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि यह एक व्यक्ति की आय के अनुपात में अधिक है।[3] आस्तियों का अनुपात से अधिक होना तो तभी कहा जायेगा जब कि वह पर्याप्त रूप में अधिक मूल्य की हों।[4]

(घ) लेखा का गलत तैयार किया जाना—गलत लेखा तैयार करना तथा अभिलेख में गड़बड़ी करना भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध है। इससे सरकारी सेवक के आचरण पर आँच आती है, जो कि किसी कर्मचारी के लिए अशोभनीय एवं निन्दनीय है। दाण्डिक कार्यवाहियों में किसी व्यक्ति को यदि सन्देह का लाभ मिल भी जाए और वह बरी भी हो जाए, तो भी उसके विरुद्ध दुराचरण के लिये कार्यवाही की जा सकती है। विभागीय जाँच तो केवल तथ्य का निष्कर्ष निकालने के लिये होती है। उसमें परीक्षण का मानदंड अपनाये जाने की आशा नहीं की जा सकती।[5]

याची एक स्कूल में अध्यापक के पद पर कार्यरत था। स्कूल के हेड मास्टर ने याची से स्कूल के फर्नीचर का चार्ज लेने को कहा। याची ने इस आधार पर फर्नीचर का चार्ज नहीं लिया कि यह कार्य स्कूल के कार्यालय का है। दुराचार के आरोप में याची की तीन वेतन वृद्धियाँ रोक दी गयीं।

अभिनिर्णीत हुआ कि याची दुराचार का दोषी नहीं है, जबकि नियमों में यह प्रावधान न हो कि मास्टर स्कूल के फर्नीचर का चार्ज लें।[6]

(ङ) लोक धन का दुर्विनियोजन—एक सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के लिए लोक धन का दुर्विनियोजन एक दुराचरण पारित किया गया।[7] यदि कोई लोक सेवक अपनी उसी हैसियत से किसी दिनांक को प्राप्त करने वाले धन को रोकड़ बाकी में दर्ज नहीं करता तो वह धन का दुर्विनियोजन करके ऐसे दुराचरण का अपराध करता है जिसके लिये उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। किसी पोस्ट

1. तपेश्वरी प्रसाद, ए० आई० आर० 1917 इला० 81.
2. मद्रास राज्य *बनाम* सी० एस० राजगोपाला, ए० आई० आर० 1950 मद्रास 613.
3. टी० *बनाम* यू०, 1973 (2) एस० एल० आर० 291 देहली.
4. एन० *बनाम* यू०, 1973 (2) एस० एल० आर० 63 देहली.
5. एन० वासुदेवन नायर *बनाम* केरल सरकार, ए० आई० आर० 1962 केरल 43.
6. **तारा चन्द्र भाटिया *बनाम* सेन्ट्रल तिब्बतन स्कूल प्रशासन एवं अन्य, 1998 (2) एस० एल० आर० हिमाचल प्रदेश (उच्च न्यायालय) (डी० बी०) 601 : 1996 (4) एस० एल० आर० 8 (एस० सी०) भी कृपया देखें.**
7. योगेन्द्र चन्द तालुकेदार *बनाम* डिप्टी कमिश्नर, कामरूप, ए० आई० आर० 1962 असम 28.

(viii) किसी दुराचरण के लिये नहीं बल्कि अपनी निजी बदले की भावना से प्रेरित होकर अपने अधीनस्थ किसी व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करना;[1]

(ix) आर्थिक लाभ के लिये ऊँची बाजारी दर से बहुत कम दर पर शासकीय दबाव के अधीन किसी भूखंड का खरीदना।

3. कर्तव्य के प्रति निष्ठा—सेवा के प्रति वफादारी ही कर्तव्यनिष्ठा होती है। यदि किसी लोक अधिकारी से सत्यनिष्ठा बनाये रखने तथा कर्तव्य के प्रति निष्ठा की अपेक्षा की जाए तो उससे यही कहा जाता है कि वह अपने को प्रशासनिक मर्यादा, जिसका दूसरा नाम सभ्य प्रशासन है, के दायरे के अन्दर रखे।[2] कोई सेवक अपनी सेवा की अवधि में स्वेच्छा से अपने द्वारा किये जाने वाले कार्य के विषय में स्वामी के विधिपूर्ण आदेशों का पालन करने का करार करता है।[3] यदि वह अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं है तो वह दुराचरण का दोषी होता है, और उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। धीरे-धीरे काम करना भी एक प्रकार का दुराचरण है, जिसका अर्थ यह है कि किसी के काम में जान बूझकर विलम्ब करना। धीरे काम करने का पूर्णरूपेण काम बन्द करने से अधिक हानिप्रद माना जाता है उसमें किसी अंश तक बेईमानी भी शामिल है, क्योंकि कर्मचारी उत्पादन में कमी करते हुये भी पूरी मजूरी का हकदार होता है। इसको अत्यन्त हानिकर प्रथा माना गया है।[4]

(क) कर्तव्य निर्वहन करने में विफल रहना—उचित रूप से कर्तव्य का निर्वहन न करने में सरकारी सेवक द्वारा ऐसे कार्य का किया जाना अथवा न किया जाना शामिल है, जिनसे सरकार की स्थिति या प्रतिष्ठा को कमजोर करने की संभाव्यता हो या जिनसे सरकार के प्रति वफादारी और निष्ठा के अभाव का आभास मिलता हो। कोई जाँच रिपोर्ट दाखिल करने में तथ्यों का छिपाया जाना कर्तव्य के निर्वहन में विफलता है।[5]

यदि नाजिर ने मुन्सिफ के मासिक विवरण तैयार करने के आदेश का पालन नहीं किया, तो यह धारण किया गया कि उसने अपने कर्तव्य पालन में गफलत किया और अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश की अवज्ञा किया।[6] एक डकैती-विरोधी पुलिस गश्ती पार्टी एक गाँव में मौजूद थी, किन्तु उसने गाँव वालों के बार-बार अनुरोध करने पर भी उस डकैती में जो उनके ठहरने के स्थान से 100 गज की दूरी पर पड़ रही थी उनको बचाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं किया। उस पार्टी के सदस्यों के विरुद्ध सही रूप में कायरता और कर्तव्य के निर्वहन में जान बूझकर गफलत करने के लिये कार्यवाही की गई।[7] जहाँ बस के कन्डक्टर ने यात्रियों से किराया तो वसूल कर लिया किन्तु टिकट नहीं दिया, तो यह कर्तव्य की उपेक्षा हुई।[8] कर्तव्य के अनुपालन में यह देखना होगा कि कर्मचारी कौन सा पद धारण करता है, और आया वह कर्तव्य जिसका अनुपालन उससे अपेक्षित है वह उसके पद से सम्बन्धित है या नहीं। यदि कोई कर्तव्य जिसके अनुपालन की कर्मचारी से अपेक्षा की जाती है, उसके पद से सम्बन्धित नहीं है तो उसका अनुपालन करने के लिये उससे नहीं कहा जा सकता।[9] हड़ताल के दौरान कर्तव्य के अनुपालन को या उच्चतर अधिकारियों के आदेशों का अनुपालन करने को दुराचरण नहीं माना जायेगा।[10]

---

1. ए० आई० आर० 1964 एस० सी० 72.
2. एस० आर० बिस्वास बनाम कलेक्टर आफ कस्टम्स, ए० आई० आर० 1964 कलकत्ता 415.
3. ईथिन्स बनाम मोवस, (1880) क्यू० डी० बी० 530.
4. बी० बनाम डब्ल्यू०, 1960 आई० सी० आर० 237, 245 (आई० टी०).
5. ए० बनाम डी० III यू० पी० एस० सी० 32.
6. एम० बनाम डी०, 1977 आल इण्डिया एस० एल० जे० 344.
7. 1976 आल इण्डिया एस० एल० जे० 403.
8. एस० बनाम आर०, 1977 आल इण्डिया एस० एल० जे० 408.
9. ए० बनाम एस०, 1953 (1) सी० आर० 932 (मद्रास उ० न्याया०).
10. जी० बनाम डब्ल्यू० (1955) II आई० एल० जे० 693 (एल० ए० टी०).

(ख) अवज्ञा—अवज्ञा का अर्थ है स्वामी या वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का अनुपालन करने में विफलता या अनुपालन करने से इन्कार।

आज्ञाभंग या आदेशों की अवज्ञा एक गंभीर दुराचरण है। नियोजक तथा उसके अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सभी युक्तियुक्त एवं वैध निदेश करेंगे। यदि उनके आदेशों की अवहेलना की जाय और कर्मचारी आज्ञा भंग करने के ढंग से व्यवहार करें तो संस्था का समुचित रूप से कार्य करना प्राय: असंभव ही हो जायेगा। यदि संघ के मंत्री को कोई जुलूस की अगुवाई करने के लिए अवकाश अस्वीकार कर दिया गया और उसने अनुपस्थित रहकर जुलूस की अगुवाई किया, तो उसको प्रचलित नियमों की अवमानना एवं प्राधिकारी के अपमान के लिये माना गया[1] यदि कोई कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को झिड़कता है, तो उसको अनुशासनहीनता के लिये क्षमा नहीं किया जा सकता। अपने वरिष्ठ अधिकारियों को गाली देना या उनके विरुद्ध अपमानजनक एवं अशिष्ट शब्दों का प्रयोग करना एक गंभीर दुराचरण है।[2]

(ग) अवज्ञा कब दुराचरण नहीं होती—अपने द्वारा किये जा रहे कार्य के विषय में किसी सेवक को स्वामी द्वारा दिये गये समस्त वैध आदेशों का अनुपालन करना ही होगा।[3] इसमें सन्देह नहीं कि ऐसे भी मामले हो सकते हैं जहाँ ऐसे आदेश की जानबूझकर की गयी अवज्ञा न्यायोचित हो सकती है, जैसे कि तब जबकि सेवक को अपने जीवन के खतरे में होने का भय हो या स्वामी की ओर से किसी व्यक्ति को हिंसा की संभावना हो, या जहाँ कि घर में किसी छूत की बीमारी का प्रकोप हो और सेवक का अपनी जीवन रक्षा के लिए स्वामी का घर छोड़कर बाहर जाना पड़े।

(घ) किसी उचित रूप से गठित संघ में हड़ताल का संकल्प पारित करना आया कर्तव्य के प्रति निष्ठा भंग करना है—यह मानते हुये भी कि किसी कर्मचारी को हड़ताल करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उसके लिये चर्चा करना तथा उसके विषय में कोई संकल्प पारित करना आचरण नियमों के विरुद्ध है। किसी कर्मचारी द्वारा सम्यक्‌रूपेण अनुमोदित किसी संकल्प का एक उचित रूप से गठित संघ में पारण मात्र कर्तव्य के प्रति निष्ठा की अपेक्षाओं का अतिलंघन नहीं करता।[4]

4. व्यक्त या विवाक्षित आदेशों के अनुसार आचरण—सरकारी सेवक को—

(क) आचरण सम्बन्धी विनिर्दिष्ट नियमों के, जिसमें सरकार द्वारा जारी किये गये सामान्य आदेश भी सम्मिलित होंगे, और

(ख) जारी किये गये सामान्य आदेशों के अधीन विवाक्षित आदेशों व अलिखित आचरण संहिता, के अनुसार अपना संचालन करना होता है।

सरकारी सेवक का यह धर्म है कि वह सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सामान्य अनुदेशों सहित उसके द्वारा निर्मित ऐसे आचरण नियमों का, जो परिनियत नियमों से असंगत न होंगे, अनुपालन करे। वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा अनुशासन तथा नियमों व विनियमों का अनुपालन किया जाना प्रवर्तित करेगा।[5] यह जरूरी नहीं है कि किसी संविदा-पत्र का निष्पादन किया जाये। नियमों का उल्लंघन करते हुये कार्य करने वाला सरकारी सेवक कर्तव्य त्याग का दोषी होता है।

(क) दुराचरण क्या हो सकता है?—सरकारी सेवक से हर समय यही अपेक्षा की जाती है कि वह पूर्ण निष्ठा तथा कर्तव्य परायणता बनाये रखेगा। वह अपने को सरकार के व्यक्त एवं विवाक्षित आदेशों के

1. एफ० बनाम डब्ल्यू०, (1961) II एल० एल० जे० 395 (एल० ए० टी०).
2. एम० बनाम एम०, 1961 I सी० आर० 398 (आई० सी०).
3. जे० भवानी जी बनाम डी० सी० अमरावती, ए० आई० आर० 1957 बम्बई 238.
4. बी० बनाम एस०, ए० आई० आर० 1959 इला० 614.
5. डा० पी० एन० कुलश्रेष्ठ बनाम उ० प्र० राज्य, 1971 ए० एल० जे० 324.

(ख) अवज्ञा—अवज्ञा का अर्थ है स्वामी या वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का अनुपालन करने में विफलता या अनुपालन करने से इन्कार।

अज्ञाभंग या आदेशों की अवज्ञा एक गंभीर दुराचरण है। नियोजक तथा उसके अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सभी युक्तियुक्त एवं वैध निदेश करेंगे। यदि उनके आदेशों की अवहेलना की जाय और कर्मचारी आज्ञा भंग करने के ढंग से व्यवहार करें तो संस्था का समुचित रूप से कार्य करना प्राय: असंभव ही हो जायेगा। यदि संघ के मंत्री को कोई जुलूस की अगुवाई करने के लिए अवकाश अस्वीकार कर दिया गया और उसने अनुपस्थित रहकर जुलूस की अगुवाई किया, तो उसको प्रचलित नियमों की अवमानना एवं प्राधिकारी के अपमान के लिये माना गया[1] यदि कोई कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को झिड़कता है, तो उसको अनुशासनहीनता के लिये क्षमा नहीं किया जा सकता। अपने वरिष्ठ अधिकारियों को गाली देना या उनके विरुद्ध अपमानजनक एवं अशिष्ट शब्दों का प्रयोग करना एक गंभीर दुराचरण है।[2]

(ग) अवज्ञा कब दुराचरण नहीं होती—अपने द्वारा किये जा रहे कार्य के विषय में किसी सेवक को स्वामी द्वारा दिये गये समस्त वैध आदेशों का अनुपालन करना ही होगा।[3] इसमें सन्देह नहीं कि ऐसे भी मामले हो सकते हैं जहाँ ऐसे आदेश की जानबूझकर की गयी अवज्ञा न्यायोचित हो सकती है, जैसे कि तब जबकि सेवक को अपने जीवन के खतरे में होने का भय हो या स्वामी की ओर से किसी व्यक्ति को हिंसा की संभावना हो, या जहाँ कि घर में किसी छूत की बीमारी का प्रकोप हो और सेवक का अपनी जीवन रक्षा के लिए स्वामी का घर छोड़कर बाहर जाना पड़े।

(घ) किसी उचित रूप से गठित संघ में हड़ताल का संकल्प पारित करना आया कर्तव्य के प्रति निष्ठा भंग करना है—यह मानते हुये भी कि किसी कर्मचारी को हड़ताल करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उसके लिये चर्चा करना तथा उसके विषय में कोई संकल्प पारित करना आचरण नियमों के विरुद्ध है। किसी कर्मचारी द्वारा सम्यकरूपेण अनुमोदित किसी संकल्प का एक उचित रूप से गठित संघ में पारण मात्र कर्तव्य के प्रति निष्ठा की अपेक्षाओं का अतिलंघन नहीं करता।[4]

4. व्यक्त या विवाक्षित आदेशों के अनुसार आचरण—सरकारी सेवक को—

(क) आचरण सम्बन्धी विनिर्दिष्ट नियमों के, जिसमें सरकार द्वारा जारी किये गये सामान्य आदेश भी सम्मिलित होंगे, और

(ख) जारी किये गये सामान्य आदेशों के अधीन विवाक्षित आदेशों व अलिखित आचरण संहिता, के अनुसार अपना संचालन करना होता है।

सरकारी सेवक का यह धर्म है कि वह सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सामान्य अनुदेशों सहित उसके द्वारा निर्मित ऐसे आचरण नियमों का, जो परिनियत नियमों से असंगत न होंगे, अनुपालन करे। वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा अनुशासन तथा नियमों व विनियमों का अनुपालन किया जाना प्रवर्तित करेगा।[5] यह जरूरी नहीं है कि किसी संविदा-पत्र का निष्पादन किया जाये। नियमों का उल्लंघन करते हुये कार्य करने वाला सरकारी सेवक कर्तव्य त्याग का दोषी होता है।

(क) दुराचरण क्या हो सकता है?—सरकारी सेवक से हर समय यही अपेक्षा की जाती है कि वह पूर्ण निष्ठा तथा कर्तव्य परायणता बनाये रखेगा। वह अपने को सरकार के व्यक्त एवं विवाक्षित आदेशों के

---

1. एफ० बनाम डब्लू०, (1961) II एल० एल० जे० 395 (एल० ए० टी०).
2. एम० बनाम एम०, 1961 I सी० आर० 398 (आई० सी०).
3. जे० भवानी जी बनाम डी० सी० अमरावती, ए० आई० आर० 1957 बम्बई 238.
4. सी० बनाम एस०, ए० आई० आर० 1959 इला० 614.
5. डी० पी० एन० कुलश्रेष्ठ बनाम उ० प्र० राज्य, 1971 ए० एल० जे० 324.

अनुसार ही संचालित करेगा। इन सिद्धान्तों के विपरीत होने वाली कोई बात सरकारी सेवक की ओर से दुराचरण की श्रेणी में आयेगी। इन नियमों में कुछ उपबन्धों एवं आज्ञापक प्रतिषेधों का प्रावधान किया गया है जिनका उल्लंघन दुराचरण हो सकता है।

''दुराचरण'' की परिभाषा किसी कानून में नहीं की गयी है। शब्दकोश के अनुसार इसका अर्थ है अनुचित आचरण तथा इसमें कार्य के कुछ सुस्थिर तथा निश्चित नियम अन्तर्ग्रस्त हैं। जे० जे० *मूढी बनाम बम्बई राज्य* के मामले में दिये गये दुराचरण के कुछ दृष्टान्त निम्नवत् हैं :—

(एक) यदि आचरण स्वामी के हित व ख्याति के प्रतिकूल हो;

(दो) यदि सेवक का आचरण स्वामी के प्रति कर्तव्य के सम्यक् तथा शान्तिपूर्ण निर्वहन से असंगत अथवा मेल न रखने वाला हो;

(तीन) यदि सेवक का आचरण ऐसा हो कि स्वामी उसकी सेवा में बनाये रखने से अपने को आरक्षित समझे;

(चार) यदि आचरण इतना अनैतिक है कि जिसके कारण समस्त युक्तियुक्त व्यक्ति यह कहें कि सेवक के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता;

(पाँच) यदि आचरण इस प्रकार का हो कि स्वामी की वफादारी पर निर्भर नहीं कर सकता;

(छः) यदि सेवक का आचरण इस प्रकार का हो कि उसके समक्ष कर्तव्य का समुचित रूप से निर्वहन न करने का प्रलोभन पैदा हो जाए;

(सात) यदि कर्मचारी गाली गलौज करता हो वह अपने नियोजन स्थल पर शान्ति भंग करता हो;

(आठ) यदि सेवक उस सीमा तक अपमानजनक व्यवहार करने वाला तथा इतना अशिष्ट हो कि स्वामी सेवक का संबंध बनाये रखना असंभव हो जाए;

(नौ) यदि सेवक स्वभाव से अपने कर्तव्य के प्रति गफलत करने वाला हो; तथा

(दस) यदि सेवक की एक ही गफलत ऐसी हो कि उसके भीषण परिणाम हों।

(ख) निजी जीवन में आचरण दुराचरण हो सकेगा—निजी जीवन में आचरण किसी सरकारी सेवक के ऐसे आचरण से सम्बद्ध होता है जो वह अपने नियोजन के बाहर करता है। सरकारी सेवक अपने निजी जीवन में किये गये आचरण के लिए सरकार को स्पष्टीकरण देने का उत्तरदायी होता है। यदि वह इस प्रकार उत्तरदायी न बनाया जाय तो उसका परिणाम यह होगा कि सरकारी सेवक का उसके निजी जीवन में आचरण कितना भी निन्दनीय क्यों न हो, सरकार उसकी सेवायें समाप्त करने के लिए तब तक सशक्त रहेगी जब तक कि वह कोई दाण्डिक अपराध न करे या ऐसा कोई कार्य न करे जो उ० प्र० सरकारी सेवक आचरण नियमावली द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अर्जित किया गया हो। इसके कारण सरकारी सेवक को एक छूट का आश्रय मिल जायेगा जिससे सरकार की स्थिति किसी साधारण नियोजक से भी बदतर हो जायेगी। अनुच्छेद 311 राज्य की किसी सरकारी सेवक की उसके ऐसे आचरण के लिये जो उसके विचार में राज्य के किसी कर्मचारी के लिये अशिष्ट हो, सेवायें समाप्त करने की शक्ति को निर्बन्धित नहीं करता, न ही वह राज्य के इस विवेक पर कोई प्रतिबन्ध लगाता है कि वह किस प्रकार के आचरण को पदच्युति या पद से हटाये जाने के लिये पर्याप्त आपत्तिजनक विचार करेगा। राज्य अपने कर्मचारियों से आचरण के कतिपय मानक की अपेक्षा न केवल उसके शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में बल्कि उनके निजी जीवन में भी कर सकता है।[2]

(ग) अभद्र व अपमानजनक भाषा का प्रयोग—वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध आपत्तिजनक एवं अनुचित भाषा का प्रयोग एक दुराचरण है। कभी-कभी कर्मचारीगण ऐसी भाषा का प्रयोग अपने विरुद्ध वरिष्ठ

1. ए० आई० आर० 1962 गुजरात 197.
2. लक्ष्मी नारायण बनाम जिला मजिस्ट्रेट, ए० आई० आर० 1960 इला० 55.

अधिकारियों द्वारा अनुशासनिक कार्यवाहियों में दिये गये दण्ड के विरुद्ध किये गये अभ्यावेदनों में करते हैं। ऐसे अभ्यावेदनों को जिनमें इस प्रकार की अशिष्ट, निरादरपूर्ण व अनुचित भाषा का प्रयोग किया गया हो, मैनुअल आफ गवर्नमेण्ट आर्डर्स (उ० प्र०) के पैरा 376 (10) के अधीन किसी विभागाध्यक्ष द्वारा जिनके समक्ष वह प्रस्तुत किये जायें, रोका भी जा सकता है, और सम्बद्ध सरकारी सेवक के विरुद्ध उसके आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

अपने वरिष्ठ अधिकारी के लिये अभद्र भाषा का प्रयोग तथा उसका अपमान करना सरकारी सेवक का अभद्र व्यवहार माना गया है।[1]

(घ) आदेशों को लेने से इन्कार करना दुराचरण है—आदेश को लेने से इन्कार करना अवज्ञा है और एक गंभीर प्रकार का दुराचरण है। इन्कार करने के इस अभिवचन को कि आदेश अंग्रेजी भाषा में किया गया है, सन्तोषप्रद नहीं माना गया, विशेष रूप से जबकि कर्मचारी सभी संसूचनायें अंग्रेजी भाषा में ही प्राप्त कर रहे थे।[2] कर्तव्य पर फिर से आने का नोटिस प्राप्त करने से इन्कार करना दुराचरण है। आरोप-पत्र प्राप्त करने से इन्कार करना भी एक दुराचरण है। नियोजक से एक रजिस्ट्रीकृत पत्र प्राप्त करने से इन्कार करना भी दुराचरण है।

(ङ) व्यक्तिगत अनैतिकता—"व्यक्तिगत अनैतिकता" का अर्थ है मदिरापान, लिंग तथा जुआ सम्बन्धी दुष्प्रवृत्तियाँ, जो कि किसी लोक सेवक की उपयोगिता को घटाती हैं, और जो कि प्रायः सरकार या कर्मचारी को जनमानस की दृष्टि से गिरा देती है। ऐसी प्रत्येक प्रकृति व्यक्तिगत अनैतिकता का गठन करने के लिये पर्याप्त होती है और जो इन नियमों के प्रयोजनार्थ भी दुराचरण की कोटि में आती है।[3] यदि मदिरापान व जुआ खेलना युक्तियुक्त सीमा के भीतर हो, तो उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिये, किन्तु यदि वह स्वभाव ही बन जाए, तो वह भली-भाँति व्यक्तिगत अनैतिकता की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं।[4]

(च) गफलत—कभी-कभी गफलत दुराचरण हो सकती है। गफलत का अनुमान करने के लिए "घटना स्वयं बताती है" के सिद्धान्त विवक्षित हो सकता है। जहाँ ऐसा अत्यन्त असंभाव्य हो कि ऐसी घटना प्रतिवादी की गफलत के बिना भी घट गई होती, वहाँ कोई दुराचरण नहीं होता।[5] अपकृत्य (tort) में हरजाना एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, किन्तु स्वामी व सेवक सम्बन्धी विधि में ऐसा नहीं होता। यदि गफलत के कार्य से क्षति या जीवन का खतरा होने की आशंका हो तो इतना ही पर्याप्त होता है। भा० द० संहिता की धारा 279, 290, 285 व 287 का उदाहरण के रूप में उल्लेख किया जा सकता है। गफलत सम्बन्धी विधि पर लागू होने वाला एक अन्य तत्व यह है कि देखरेख करने का कोई कर्तव्य विद्यमान हो। यदि किसी व्यक्ति ने पूरी सावधानी बरती हो, तभी वह उसके लिये क्षमा किया जा सकता है, जिसको वह निर्णय की गलती या कर्तव्य को अबाध भूल कहता है।[6]

(छ) दण्डित अपराध में कब विभागीय कार्यवाही की जा सकती है—विधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अनुशासनिक कार्यवाही इसलिये रोक दी जानी चाहिये कि उसी व्यक्ति का भी अपराध के आधार पर दाण्डिक अभियोजन किया गया है। दोनों कार्यवाहियों का प्रयोजन अलग-अलग है। अनुशासनिक कार्यवाही का उद्देश्य यह देखना है कि आया कि वह सरकारी सेवक जिसके विरुद्ध कार्यवाही की गई है, सेवा में रखे जाने योग्य है या नहीं। इसके विपरीत दाण्डिक कार्यवाही का उद्देश्य गलत काम करने वाले व्यक्ति को दण्ड सम्बन्धी कानून में परिभाषित अपराध के लिये सजा देना है, यदि अपराध के तत्व बनते हों। विभागीय कार्यवाही में किसी सरकारी सेवक को किसी दाण्डिक अपराध के लिये परीक्षण नहीं किया

1. किरणमई पलित (डॉ० बनाम भारत सरकार के सचिव, 1971 लेब आई० सी० 1958 (असम).
2. टी० बनाम एम०, ए० आई० आर० 1955 एस० सी० 1196.
3. उ० प्र० राज्य बनाम बी० एन० सिंह, 1972 एस० एल० आर० 454.
4. उ० प्र० राज्य बनाम बी० एन० सिंह, 1972 एस० एल० आर० 454.
5. एस० बनाम एल०, (1865) 3 एम० एण्ड सी० 596.
6. के० बनाम एस०, ए० आई० आर० 1963 इला० 233.

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और अन्य जीव हैं, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दया भाव रखे,

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे,

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे,

(ञ) व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए, प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले।

5. विधिमान्यता—इस नियम में प्रयोग की गई भाषा में कोई द्विविधा या अनिश्चितता नहीं है। सरकारी सेवक के लिये यह हर समय के लिये अनिवार्य किया गया है वह पूर्ण सत्य निष्ठा तथा कर्तव्य निष्ठा बनाये रखे। सरकारी सेवक को यह स्वतंत्रता नहीं है कि वह अवैध पारितोषण लेकर धन संग्रहीत करे, भले ही ऐसा पारितोषण रजामन्दी से ही दिया जाये।[1] नियम में मात्र पवित्र आशा अन्तर्विष्ट नहीं है, बल्कि उसमें सभी सरकारी सेवकों द्वारा आचरण नियमावली का अनुसरण किये जाने के लिये स्पष्ट आज्ञा की गई है, और इस प्रकार वह शून्य (void) नहीं है।[2]

3-क. कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध—

(1) कोई सरकारी कर्मचारी किसी महिला के कार्य स्थल पर, उसके यौन उत्पीड़न के किसी कार्य में संलिप्त नहीं होगा।

(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो किसी कार्यस्थल का प्रभारी हो, उस कार्यस्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये उपयुक्त कदम उठायेगा।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिये "यौन उत्पीड़न" में, प्रत्यक्षत: या अन्यथा कामवासना से प्रेरित कोई ऐसा अशोभनीय व्यवहार सम्मिलित है जैसे कि—

(क) शारीरिक स्पर्श, और कामोदीप्त प्रणय संबंधी चेष्टायें,

(ख) यौन स्वीकृति की मांग या प्रार्थना,

(ग) काम वासना—प्रेरित फब्तियां,

(घ) किसी कामोत्तेजक कार्य व्यवहार या सामग्री का प्रदर्शन, या

(ङ) यौन संबंधी कोई अन्य अशोभनीय शारीरिक, मौखिक या सांकेतिक आचरण।"[3]

4. सभी लोगों के साथ समान व्यवहार—(1) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सभी लोगों के साथ, चाहे वे किसी भी जाति, पंथ (sect) या धर्म के क्यों न हों, समान व्यवहार करेगा।

(2) कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण नहीं करेगा।

[4][4-क. मादक पान, तथा औषधि का सेवन—कोई भी सरकारी कर्मचारी—

(क) किसी क्षेत्र में, जहाँ वह तत्समय विद्यमान हो, मादकपान अथवा औषधि सम्बन्धी प्रवृत्त किसी विधि का दृढ़ता से पालन करेगा।

---

1. एस० आर० विश्वास बनाम कलेक्टर आफ कस्टम्स, ए० आई० आर० 1964 कलकत्ता 415.
2. हरि प्रसाद सिंह बनाम कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स, ए० आई० आर० 1972 कलकत्ता 27.
3. उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली, 1998 द्वारा संशोधित एवं उ० प्र० असाधारण गजट दिनांक 17 अक्टूबर, 1998 को प्रकाशित.
4. नियम 4 कार्मिक अनुभाग-क—1 की विज्ञप्ति सं० 9/1/75—कार्मिक—1 (1), दिनांक 30-7-1976 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। मख्य नियम के उपनियम (1) बना दिया गया है तथा उपनियम (2) बढ़ाया गया है.

"4-क. मादकपान तथा औषधि का सेवन—

कोई भी सरकारी कर्मचारी—

(क) किसी क्षेत्र में जहां वह तत्समय विद्यमान हो, मादकपान अथवा औषधि सम्बन्धी प्रवृत्त किसी विधि का दृढ़ता से पालन करेगा,

(ख) अपने कर्तव्य पालन के दौरान किसी मादकपान या औषधि के प्रभावाधीन नहीं होगा और इस बात का सम्यक् ध्यान रखेगा कि किसी भी समय उसके कर्तव्यों का पालन किसी भी प्रकार ऐसे पेय या भेषज (ड्रग्स) के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है,

(ग) किसी सार्वजनिक स्थान में किसी मादकपान अथवा औषधि के सेवन से अपने को विरत रखेगा,

(घ) मादकपान करके किसी सार्वजनिक स्थान में उपस्थित नहीं होगा,

(ङ) किसी भी मादकपान या औषधि का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण— एक—इस नियम के प्रयोजनार्थ "सार्वजनिक स्थान" का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान या भू-गृहादि (जिसके अन्तर्गत कोई सवारी भी है) से है, जहां जनता भुगतान करके या अन्य प्रकार से आ-जा सकती है या उसे आने-जाने की अनुज्ञा हो।

स्पष्टीकरण —दो—कोई ऐसा क्लब भी—

(क) जो सरकारी कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों को सदस्य के रूप में प्रवेश की अनुमति देता है; या

(ख) जिसके सदस्यों को उसमें अतिथि के रूप में गैर-सदस्यों को आमंत्रित करने की अनुज्ञा हो भले ही सदस्यता कर्मचारियों के लिये ही सीमित हो;

स्पष्टीकरण एक के प्रयोजनार्थ ऐसा स्थान समझा जायेगा जहां पर जनता आ-जा सकती हो या उसे आने-जाने की अनुज्ञा हो।"

आचरण नियमावली में किये गये उपर्युक्त प्रावधान के अतिरिक्त शासनादेश, संख्या 2871/2-ख-67, दिनांक 15 जुलाई, 1967 में यह स्पष्ट निर्देश जारी किये गये थे कि सरकारी कर्मचारी सभी नशे वाली चीजों से अपने को जहां तक सम्भव हो दूर रखेंगे और किसी भी हालत में सार्वजनिक रूप से मादकपान नहीं करेंगे। पुनः शासनादेश संख्या 1369/पी० ए० एम० एस०/69, दिनांक 11 अगस्त, 1969 (प्रतिलिपि संलग्न) में यह स्पष्ट किया गया था कि यदि शासन के सामने ऐसे वाक्यात आयें जिनसे यह विदित हो कि कोई सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान करता है या इतनी अधिक मात्रा में मदिरापान कर लेता है कि मदिरा के प्रभाव में वह कोई अनुचित काम कर दे तो ऐसे कर्मचारी कठोर दण्ड के भागी होंगे।

इधर हाल में शासन की जानकारी में यह बात आई कि आचरण नियमावली में स्पष्ट प्रावधान होने एवं शासन द्वारा इस विषय पर समय-समय पर निर्गत स्पष्ट आदेशों के बावजूद सरकारी कर्मचारी द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों/कर्मचारियों में मादक पान तथा औषधि का सेवन विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों पर आपत्तिजनक ही नहीं, अपितु नियमों का उल्लंघन तथा अनुशासहीनता का द्योतक है।

अधिकारियों/कर्मचारियों में इस प्रवृत्ति पर कठोर अंकुश लगाने की दृष्टि से शासन ने इस मामले में समुचित विचारोपरान्त पूर्व प्रसारित आदेशों के क्रम में निम्न निर्णय लिया है—

(1) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी मादक पेयों या औषधियों के सेवन सम्बन्धी आचरण नियमावली में किये गये उपबन्धों तथा इस विषय पर समय-समय पर जारी शासनादेशों का निष्ठा से अनुपालन करें।

(2) अनुशासनिक प्राधिकारी का भी यह दायित्व होगा कि वह आचरण नियमों के उपर्युक्त उपबन्धों में शासित मामलों के सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों के आचरण पर कड़ी निगाह रखें।"

नियम 4-A (4-क)

सार-संग्रह

1. *नशीले पेयों के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त विधि का पालन।*
2. *कर्तव्य के अनुक्रम में किसी नशीले पेय या पदार्थ के वश में न रहें।*
3. *इस बात के लिये सावधानी बरतें कि कर्तव्य पालन पर नशीले पेय या पदार्थ का प्रभाव न पड़े।*
4. *किसी सार्वजनिक स्थान पर नशीले पेय या पदार्थ का सेवन न करें।*
5. *नशे की अवस्था में किसी सार्वजनिक स्थान पर न जाएँ।*
6. *किसी नशीले पेय या पदार्थ का अत्यधिक प्रयोग न करें।*

1. नशीले पेयों के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त विधि का पालन—राज्य सरकार ने अपने सेवकों का ध्यान आकृष्ट करते हुये यह अनुदेश जारी किया है यह एक स्वच्छ जीवन व्यतीत करने के लिये स्वेच्छा से अपने ऊपर नियंत्रण लगायें और अपने को सरकार द्वारा अपनाई गई नशाबन्दी की नीति के अनुसार ही संचालित करें। अपनी स्थिति की प्रकृति के कारण ही लोक सेवकों से यह आशा की जाती है कि वह उस विधि का जो तत्समय उनके कार्यस्थल अथवा निवासगृह के क्षेत्र में प्रवर्तन में हो, पालन करेंगे। किसी सरकारी सेवक द्वारा नशाबन्दी सम्बन्धी विधि का अतिलंघन एक गम्भीर मामला समझा जायेगा, और ऐसी कार्यवाही के अलावा जिसका किसी विधि न्यायालय में किया जाना उचित करार किया जाये, विभागीय कार्यवाही भी ऐसे मामलों में की जा सकेगी।

2. कर्तव्य के अनुक्रम में किसी नशीले पेय या पदार्थ के वश में न रहें—इससे पहले के नियम में सरकारी सेवक को नशीले पेय या पदार्थ का प्रयोग करके कार्य पर आने से प्रतिषिद्ध किया गया था। वर्तमान नियम के क्षेत्र को विस्तृत कर दिया गया है। किसी व्यक्ति को कर्तव्य के अनुक्रम में ही नशीले पेय या पदार्थ के वश में नहीं होना चाहिये। ऐसी आदतों पर सरकार कड़ाई से ध्यान देती है। लोगों की दृष्टि में सरकार की गरिमा घट जाती है। इसके कारण सरकार तथा लोक सेवक दोनों ही की समान रूप से बदनामी होती है। कोई सरकारी सेवक यह अभिवचन नहीं कर सकता कि नशीले पेयों या पदार्थों को लेने से उसके कर्तव्यों के यथोचित निर्वहन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता।

3. इस बात के लिये सावधानी बरतें कि कर्तव्य पालन पर नशीले पेय या पदार्थ का प्रभाव न पड़े—कोई सरकारी सेवक नशीले पदार्थ का प्रयोग करके अपने काम पर जाने से वर्जित किया गया है। ऐसे भी अवसर आ सकते हैं जब कि सरकारी सेवक नशीले पेय या पदार्थ के प्रभाव में न होने के कारण अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाये। यदि जहाँ सरकारी सेवक के दौरे पर रहते हुए इतनी मात्रा में नशीले पेय या पदार्थ का सेवन कर लिया कि वह दूसरे दिन अपने काम पर हाजिर नहीं हो सका, वहाँ यह धारण किया गया कि वह इस नियम के अधीन दुराचरण का दोषी था। अतः सरकारी सेवक के लिये यह सावधानी बरतना जरूरी है कि ऐसे नशीले पेय या पदार्थ का सेवन किसी भी समय उसके कर्तव्य-पालन में बाधक न हो पाये।

4. किसी सार्वजनिक स्थान पर नशीले पेय पदार्थ का सेवन न करें—पहले विनिर्दिष्ट रूप से यह उल्लेख नहीं किया गया था कि सरकारी सेवक को सार्वजनिक स्थान पर नशीले पेय या पदार्थ का सेवन करने से बचना चाहिये। उसको केवल इस बात से प्रतिषिद्ध किया गया था कि वह नशे की स्थिति में किसी सार्वजनिक स्थान पर न जाये, किन्तु यह उपधारणा की गई कि जब किसी नशीले पेय या पदार्थ का सेवन कर लेने के बाद किसी सार्वजनिक स्थान पर जाने से मना किया गया है, तो सार्वजनिक स्थान पर नशीले पेय का प्रयोग तो और भी अधिक आपत्तिजनक होगा। अतः राज्य सरकार ने नियम में संशोधन करते हुये यह प्रावधान कर दिया है कि किसी सार्वजनिक स्थान पर सेवक द्वारा नशीले पेय या पदार्थ का सेवन दुराचरण होगा।

यदि एक लोक सेवक किसी होटल में युवती के साथ नशीले पेय का सेवन कर रहा था, तो उसने एक दुराचरण किया।[1] सरकार को अपने कर्मचारियों को सामाजिक समारोहों में भी नशीले पेयों का प्रयोग करने से रोकने की भी शक्ति प्राप्त है।[2]

5. नशे की अवस्था में किसी सार्वजनिक स्थान पर न जायें—किसी सार्वजनिक स्थान पर नशे की अवस्था में जाना और वहां इस प्रकार का आचरण करना कि उससे दूसरे व्यक्ति को परेशानी हो, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 510 के अधीन अपराध है। ऐसे मामले में असमर्थता किसी व्यक्ति के अपने ही दोष से उत्पन्न होती है। अतः वह उसके लिये उतनी ही सीमा तक उत्तरदायी होगा जितना कि वह पूर्ण स्वस्थ दशा में होने पर उस कार्य को करता। दण्ड विधि में केवल नशे में होना ही दण्डनीय नहीं होता। उसके परिणामस्वरूप किये गये किसी आचरण से अन्य व्यक्ति को परेशानी होना भी जरूरी होता है। इस नियम के अधीन किसी दुराचरण के लिये इतना ही पर्याप्त है कि कोई लोक सेवक नशे की अवस्था में किसी सार्वजनिक स्थल पर पहुंचे।[3] काम पर मदिरा का प्रयोग करके किसी सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव करना भी दुराचरण होगा।[4]

6. किसी नशीले पेय या पदार्थ का अत्यधिक सेवन न करें—नशीले पेय या पदार्थ के अत्यधिक मात्रा में सेवन कर लेने से सरकारी सेवक अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन करने में असमर्थ हो जाता है। किसी युक्तियुक्त सीमा के भीतर मदिरापान अनुमन्य हो सकता है, लेकिन यदि यह कुरीति आदत का रूप धारण कर ले और अत्यधिक हो जाये, तो वह दुराचरण की कोटि में आ जायेगी।

5. राजनीति तथा चुनावों में हिस्सा लेना—(1) कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल का या किसी ऐसी संस्था का, जो राजनीति में हिस्सा लेती है, सदस्य न होगा और न अन्यथा उससे सम्बन्ध रखेगा और न वह किसी ऐसे आन्दोलन में या संस्था में हिस्सा लेगा, उसकी सहायतार्थ चन्दा देगा या किसी अन्य रीति से उसकी मदद करेगा, जो, प्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति उच्छेदक है या उसके प्रति उच्छेदित कार्यवाहियां करने की प्रवृत्ति पैदा करती है।

उदाहरण

राज्य में 'क', 'ख', 'ग' राजनीतिक दल हैं।

'क' वह दल है जिसके हाथ में सत्ता है और जिसने उस समय की सरकार बनाई है।

'अ' एक सरकारी कर्मचारी है।

इस उपनियम की निषेध-आज्ञायें (prohibitions), 'अ' पर सभी दलों के सम्बन्ध में लागू होंगे, जिसमें 'क' दल भी, जिसके हाथ में सत्ता है, सम्मिलित होगा।

(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, किसी भी ऐसे आन्दोलन या क्रिया (Activity) में जो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति उच्छेदक है या उसके प्रति उच्छेदक कार्यवाहियां करने की प्रवृत्ति पैदा करती है, हिस्सा लेने, सहायतार्थ चन्दा देने या किसी अन्य रीति से उसकी मदद करने से रोकने का प्रयत्न करे, और उस दशा में जबकि कोई सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी ऐसे आन्दोलन या क्रिया में हिस्सा लेने, सहायतार्थ चन्दा देने या किसी अन्य रीति से मदद करने से रोकने में असफल रहे, तो वह इस आशय की एक रिपोर्ट सरकार के पास भेज देगा।

---

1. गुलाम मुर्शीद्दीन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ए० आई० आर० 1964 कलकत्ता 508.
2. एल० एन० पाण्डेय बनाम जिला मजिस्ट्रेट, ए० आई० आर० 1960 इला० 50.
3. राज्य बनाम बी० एन० सिंह, 1972 एस० एल० आर० 554.
4. भगवत प्रसाद बनाम आई० जी० आफ पुलिस, ए० आई० आर० 1970 पंजाब 81.

उदाहरण

'क' एक सरकारी कर्मचारी है।

'ख' एक ''परिवार का सदस्य'' है, जैसी कि उसकी परिभाषा नियम 2 (ग) में की गई है।

'आ' वह आन्दोलन या क्रिया है, जो, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति उच्छेदक है या उसके प्रति उच्छेदिक कार्यवाहियाँ करने की प्रवृत्ति पैदा करती है।

'क' को विदित हो जाता है कि इस उप-नियम के उपबन्धों के अन्तर्गत, 'आ' के भाग 'ख' का सम्पर्क आपत्तिजनक है। 'क' को चाहिये कि 'ख' के ऐसे आपत्तिजनक सम्पर्क को रोके। यदि 'क', 'ख' के ऐसे सम्पर्क को रोकने में असफल रहे, तो उसे इस मामले की रिपोर्ट सरकार के पास भेज देनी चाहिये।

(3) [***] यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई आन्दोलन या क्रिया इस नियम के क्षेत्र में आती है अथवा नहीं, तो इस प्रश्न पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(4) कोई सरकारी कर्मचारी, किसी विधान मण्डल या स्थानीय प्राधिकारी (local authority) के चुनाव में, न तो मतार्थन (canvassing) करेगा न अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा, और न उसके सम्बन्ध में अपने प्रभाव का उपयोग करेगा और न उसमें हिस्सा लेगा—

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि—

(1) कोई सरकारी कर्मचारी, जो ऐसे चुनाव में वोट डालने का अधिकारी है, वोट डालने के अपने अधिकार को प्रयोग में ला सकता है, किन्तु उस दशा में जब कि वह वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग करता है, वह इस बात का कोई संकेत न देगा कि उसने किसी ढंग से अपना वोट डालने का विचार किया है अथवा किस ढंग से उसने अपना वोट डाला है।

(2) केवल इस कारण से कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अन्तर्गत उस पर आरोपित किसी कर्तव्य के यथोचित पालन में, कोई सरकारी कर्मचारी किसी चुनाव के संचालन में मदद करता है। उसके सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायेगा कि उसने इस उप-नियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

स्पष्टीकरण—किसी सरकारी, कर्मचारी द्वारा अपने शरीर अपनी सवारी गाड़ी में या निवास-स्थान पर, किसी चुनाव चिह्न (Elected Symbol) के प्रदर्शन के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसने इस उप-नियम के अर्थ के अन्तर्गत, किसी चुनाव के सम्बन्ध में अपने प्रभाव का प्रयोग किया है।

उदाहरण

किसी चुनाव के सम्बन्ध में, रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर, प्रिजाइडिंग आफिसर, मतदान आफिसर या मतदान क्लर्क की हैसियत से कार्य करना उप-नियम (4) के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं होगा।

राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन समस्त राज्य सेवकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहने के साथ-साथ अपने पद के कर्तव्यों का पूर्ण वफादारी एवं ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। कोई भी सरकारी सेवक किसी आन्दोलन एवं हड़ताल में भाग नहीं लेगा।

संदिग्ध लोक सेवक के विरुद्ध इस प्रकार के कार्य में लिप्त पाये जाने पर अनुशासनिक कार्यवाही का प्रावधान है।

किसी भी राजनैतिक दल में सरकारी सेवक का भाग लेना निषेध है।

चुनाव के दौरान सरकारी कर्मचारी को निष्पक्ष रहना चाहिये किसी चुनाव अभियान में भाग नहीं ले सकता है न ही चुनाव सम्बन्धी सभाओं को आयोजित कर सकता है।

सरकारी सेवक सेवा में रहते हुये चुनाव नहीं लड़ सकता है।

---

1. नृपेन्द्र नाथ बनर्जी बनाम सीनियर डिप्टी एकाउण्टेण्ट जनरल, ए० आई० आर० 1960 कलकत्ता 283.

नियम 5

सार-संग्रह

1. *राजनैतिक दल या संगठन।*
2. *इस कारण मात्र कि कोई राजनैतिक व्यक्ति किसी मजमे को संबोधित करता है, ऐसा मजमा राजनैतिक नहीं हो सकता।*
3. *सरकारी सेवक राजनैतिक दल का सदस्य नहीं बन सकता।*
4. *सरकारी सेवक ऐसे दल के प्रति सहानुभूति भी प्रकट नहीं करेगा।*
5. *किसी राजनैतिक दल की ओर अव्यक्त सुझाव दुराचरण नहीं होता।*
6. *सरकारी सेवक सरकार के प्रति उच्छेदक होने वाले किसी आन्दोलन में न तो हिस्सा लेगा न ही किसी अन्य रीति से उसमें सहायता देगा।*
7. *सरकारी सेवक सरकार के प्रति उच्छेदक होने वाले किसी आन्दोलन में भाग लेने से अपने परिवार के किसी सदस्य को रोकेगा।*
8. *किसी विधान मण्डल या स्थानीय प्राधिकारी के चुनाव में सरकारी सेवक हिस्सा नहीं लेगा।*
9. *मन्त्रियों के दौरे आदि से सम्बन्धित कर्मचारी सभी प्रबन्ध करेंगे।*
10. *सरकारी सेवक चुनाव सम्बन्धी सभाओं का आयोजन नहीं करेगा।*
11. *सरकारी सेवक द्वारा अपने शरीर या अपनी गाड़ी पर किसी चुनाव चिह्न का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा।*
12. *चुनाव संचालन कार्य पर तैनात अधिकारी किसी प्रत्याशी के लिये न तो कार्य करेगा, और न ही मतदान में अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा।*
13. *चुनाव के सम्बन्ध में शासकीय कर्तव्यों का अतिलंघन।*
14. *मतों की गोपनीयता बनाये रखना।*
15. *निषिमान्यता।*

1. राजनीतिक दल या संगठन—इसके पूर्व किसी दल को यह कहा जाये कि वह राजनैतिक दल है, यह देखना होगा कि सरकार की कला अथवा उसके विज्ञान में ऐसा दल या संगठन अपने विचारों या सिद्धान्तों का प्रचार कर रहा है या नहीं। वह या तो तत्कालीन सरकार का समर्थन करता है या उसका विरोध करता है। यदि कोई बल या संगठन इन प्रश्नों पर विचार नहीं करता, तो उसे राजनैतिक नहीं कहा जा सकता। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संघ द्वारा संगठित मास रैली को राजनैतिक दल नहीं माना गया। उस सभा का उद्देश्य अपनी शिकायतों को व्यक्त करना तथा कुछ मांगें प्रस्तुत करना था। उस संस्था को सरकार द्वारा सरकारी सेवकों के कल्याणार्थ मान्यता प्रदान की गई है। अतः रैली में हिस्सा लेने वाले कर्मचारी के लिये यह नहीं कहा जा सकता कि वह आचरण नियमावली का उल्लंघन कर रहा है।[1] आर्य समाज राजनैतिक दल नहीं है[2] लेकिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ निःसन्देह रूप से राजनैतिक दल है।[3]

2. इस कारण मात्र कि कोई राजनैतिक व्यक्ति किसी मजमे को सम्बोधित करता है, ऐसा मजमा राजनैतिक नहीं हो जाता—लोगों का या किसी संगठन का कोई जमाव अपने आप इस कारण मात्र कि उन्हें राजनैतिक व्यक्ति सम्बोधित करते हैं, राजनैतिक सभा नहीं हो जाता। यह सही है कि सांसद राजनैतिक व्यक्ति होते हैं, लेकिन उसका यह अर्थ नहीं होता कि जब भी कभी कोई सांसद किसी सभा को सम्बोधित करे तो वह सभा राजनैतिक सभा हो जाती है। यह सभी जानते हैं कि सरकार के मन्त्री, संसद सदस्य और अन्य विख्यात राजनैतिक व्यक्ति धार्मिक, शैक्षणिक या सामाजिक संस्थाओं को सम्बोधित करने के लिये आमन्त्रित किये जाते हैं।[4]

---

1. अजीत सिंह बनाम कृपाल सिंह, 1972 एस॰ एल॰ आर॰ 768.
2. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बी॰ के॰ बरमन, ए॰ आई॰ आर॰ 1971 एस॰ सी॰ 158.
3. डाइरेक्टर आफ एजूकेशन बनाम रावत प्रकाश पाण्डेय, ए॰ आई॰ आर॰ 1971 इला॰ 371.

3. सरकारी सेवक राजनैतिक दल का सदस्य नहीं बन सकता—कोई सरकारी कर्मचारी किसी भी ऐसे दल का जो राजनीति में भाग लेता है, न तो सदस्य होगा, न ही अन्यथा उसे समागम करेगा। राज्य सरकार ने सभी सरकारी सेवकों पर इस बात के लिये आग्रह किया है कि वह—

(क) राजनैतिक दलों द्वारा बुलाई गई बैठकों, तथा

(ख) ऐसी बैठकों में जो नितान्त राजनैतिक प्रकृति की हों, भले ही वह सरकार के किसी सदस्य के सभापतित्व में आयोजित की जायें, हिस्सा नहीं लेंगे।

सरकारी सेवकों का राजनीति में हिस्सा लेना अनुशासन अथवा प्रशासन दक्षतापूर्ण संचालन के हित में न होगा। अत: उसके लिये अनुमति नहीं दी जा सकती।[1]

4. सरकारी सेवक ऐसे दल के प्रति सहानुभूति भी प्रकट नहीं करेगा—सरकारी सेवक को किसी राजनैतिक दल के प्रति सहानुभूति प्रकट करने से भी रोका गया है। इस प्रकार की सहानुभूति प्रकट करना राजनीति में हिस्सा लेने ही के समान है। लोग उसके झुकाव के बारे में जान जायेंगे, और वह एक आदर्श सरकारी सेवक नहीं हो सकता। वह अपने व्यवहार और कर्तव्यों में भी निष्पक्ष नहीं हो सकता।

5. किसी राजनैतिक दल की ओर अव्यक्त झुकाव दुराचरण नहीं होता—किसी सिविल कर्मचारी के लिये यह आन्तरिक दृढ़ विश्वास रखने में कि अमुक दल लोकतान्त्रित ढांचे के अन्तर्गत अच्छी सरकार देने के लिये सर्वोत्तम है, कोई प्रतिषेध नहीं है। चुनाव में वह अपने आन्तरिक दृढ़ विश्वास के अनुसार मतदान के लिये स्वतंत्र होता है। जब रांची पर यह आरोप लगाया गया कि उसका झुकाव डी० एम० के० दल की ओर था, तो यह धारणा किया गया कि सरकारी सेवक को यह आन्तरिक दृढ़ विश्वास रखने में अमुक दल एक अच्छी सरकार देने के लिये सर्वोत्तम है, कोई नियम प्रतिषिद्ध नहीं करता।[2]

6. सरकारी सेवक सरकार के प्रति उच्छेदक होने वाले किसी आन्दोलन में न तो हिस्सा लेगा, न ही किसी अन्य रीति से उसमें सहायता देगा—राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों द्वारा एक शपथ ली जायेगी या प्रतिज्ञान किया जायेगा कि वह वफादार रहेंगे और भारत के प्रति तथा भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहेंगे, और वह अपने पद के कर्तव्यों का पूर्ण वफादारी से निर्वहन करेंगे। अत: कोई सरकारी सेवक जो सरकार के प्रति उच्छेदक होने वाले किसी आन्दोलन में हिस्सा लेगा या उसमें किसी अन्य रीति से सहायता करेगा, वह उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के अधीन दुराचरण का दोषी होगा। किसी उच्छेदक क्रिया में लगे हुए या उसमें लगे होने के लिये संदिग्ध लोक सेवक के लिये सेवानिवृत्त किये जाने के लिये नियम बनाने में कोई अवैधता न होगी।[3] फिर भी वह किसी सरकारी सेवक को उच्छेदक क्रिया के लिये दण्डित करने के लिये यह देखना जरूरी होगा कि उच्छेदक क्रिया कहां और किस समय घटी। जो दण्डनीय है, वह यह नहीं है कि सरकारी सेवक ऐसे व्यक्तियों से समागम करता है जो उच्छेदक क्रिया में लगे हुए हैं, बल्कि यह कि वह उनकी उच्छेदक क्रिया में वास्तविक रूप में उनका सहायोग करता है। किसी सेवक को मात्र इस कारण दण्डित नहीं किया जायेगा कि वह उच्छेदक क्रिया में लगे हुए व्यक्तियों के साथ भोजन करता है, या ताश खेलता, या उनके घर आता-जाता है।[4] लोक सेवक की किसी भी राजनैतिक दल के पक्ष में मतदान करने की स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं होता कि वह ऐसे दल का सक्रिय सदस्य बन सकता है और उच्छेदक संगठनों में खुले रूप में हिस्सा ले सकता है।[5] जब तक कोई दल मान्यता प्राप्त राजनैतिक संगठन बना रहता है, तब तक उसकी राजनैतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का यह अर्थ नहीं होता कि उसकी उच्छेदक क्रिया में भी हिस्सा लिया जाता है।[6]

1. पी० एन० रंगास्वामी बनाम कमिश्नर आफ कोयम्बटूर, 1969 एस० एल० आर० 75 मद्रास.
2. के० दक्षिणमूर्ति बनाम मद्रास राज्य, ए० आई० आर० 1967 मद्रास 392.
3. एल० बनाम आई०, ए० आई० आर० 1956 पेप्सू 19.
4. आर० बनाम जी०, ए० आई० आर० 1956 मद्रास 220.
5. एस० बनाम डी०, ए० आई० आर० 1956 कलकत्ता 654.
6. पी० बनाम यू०, ए० आई० आर० 1963 एस० सी० 1166.

7. सरकारी सेवक सरकार के प्रति उच्छेदक होने वाले किसी आन्दोलन में भाग लेने से अपने परिवार के किसी सदस्य को रोकेगा—किसी सरकारी सेवक को केवल यही नहीं चाहिये कि वह स्वयं सरकार के प्रति उच्छेदक होने वाले किसी आन्दोलन में भाग न ले या उसमें किसी अन्य रीति से सहायता न करे, अपितु उसे यह भी चाहिये कि वह ऐसा करने से अपने परिवार के सदस्य को भी रोके। यदि सरकारी सेवक अपने परिवार के किसी सदस्य को सरकार के प्रति उच्छेदक होने वाले किसी आन्दोलन में भाग लेने से न रोक सके, तो वह उस प्रभाव का एक प्रतिवेदन सरकार के पास भेज देगा।

8. किसी विधान मण्डल या स्थानीय प्राधिकारी के चुनाव में सरकारी सेवक हिस्सा नहीं लेगा—एक सरकारी सेवक को पूर्णरूपेण निष्पक्ष होना चाहिये। चुनावों के दौरान उसे अपने को इस प्रकार संचालित करना चाहिये कि लोगों के बीच उसकी निष्पक्षता के सम्बन्ध में विश्वास बना रहे। उसे किसी चुनाव अभियान या मतार्थन में हिस्सा नहीं लेना चाहिये, और उसे यह भी चाहिये कि वह इस बात की अत्यन्त सावधानी बरते कि कहीं उसके नाम, उसकी शासकीय स्थिति को उनके प्राधिकार का प्रयोग एक दल के विरुद्ध दूसरे दल को सहायता करने के लिये तो नहीं किया जा रहा है। यह प्रतिबन्ध विधान-मण्डल तथा स्थानीय प्राधिकारी दोनों ही के चुनाव के सम्बन्ध में लागू होते हैं। जब किसी सरकारी सेवक ने चुनाव लड़ा, तो उसका सेवा से हटाया जाना उचित धारण किया गया।[1]

9. मन्त्रियों के दौरे आदि से सम्बन्धित कर्मचारी सभी प्रबन्ध करेंगे—जब तक मंत्रिगण अपने पद का त्याग नहीं कर देते, वह लोक कार्यकलापों के भार साधक (in charge) बने रहते हैं। जब वह चुनाव के प्रयोजनों के लिये भी बाहर दौरे पर पाये जाते हैं, तब भी वह मन्त्री के रूप में चार्ज धारण करते हैं। अतः कर्तव्य पर तैनात किये गये सरकारी सेवक या मन्त्रियों आदि के दौरे से सम्बन्धित व्यक्तियों को चाहिये कि वह उनके लिये सब जरूरी प्रबन्ध करते रहें जिससे कि वह मन्त्री, आदि के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

10. सरकारी सेवक चुनाव सम्बन्धी सभाओं का आयोजन नहीं करेंगे—कोई सरकारी सेवक किसी चुनाव सभा का आयोजन नहीं कर सकता। उसकी ऐसी सभा में उपस्थिति भी अपेक्षित नहीं है, जब तक कि उसका मौजूद रहना शान्ति व्यवस्था बनाये रखने और मन्त्रियों आदि की सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में जरूरी न हो।

कभी-कभी यह भी तय करना कठिन हो जाता है कि ऐसी कोई सभा जिसमें मंत्री आने वाले हैं, कोई चुनाव सभा है या नहीं। इस मामले को स्वयं मन्त्री महोदय ही तय करेंगे। यदि मन्त्री द्वारा सम्बोधित की जाने वाली सभा सरकार को किसी नीति के स्पष्टीकरण के लिये आयोजित की गई है तो उसको शासकीय रूप में बुलाई गयी सभा माना जा सकता है। यदि सभा चुनाव प्रचार के सम्बन्ध में आयोजित की गयी है, तो वह एक अशासकीय सभा मानी जायेगी। ऐसी सभा का व्यय स्वयं मन्त्री द्वारा या उसके दल द्वारा वहन किया जायेगा। लेकिन, तब भी शान्ति व्यवस्था सम्बद्ध सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ही सुनिश्चित की जायेगी।

11. सरकारी सेवक द्वारा अपने शरीर या अपनी गाड़ी पर किसी चुनाव चिह्न का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा—सरकारी सेवक द्वारा अपने शरीर अथवा अपनी गाड़ी पर किसी दल के चुनाव चिन्ह का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा। सरकारी सेवक को किसी राजनैतिक दल की ऐसी गाड़ी जिस पर उसका चुनाव चिह्न लगा हो, प्रयोग नहीं करना चाहिये। उससे उसकी निष्पक्षता पर आंच आ सकती है। यह किसी चुनाव में उसके प्रभाव का उपयोग करने के सदृश होगा।

12. चुनाव संचालन कार्य पर तैनात अधिकारी किसी प्रत्याशी के लिये न तो कार्य करेगा और न ही मतदान में अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा—जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, की धारा 129 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो किसी चुनाव में रिटर्निंग आफिसर या असिस्टेण्ट रिटर्निंग आफिसर या प्रेजाइडिंग

1　[illegible]

तेकता के प्रतिकूल हों, अथवा जिससे न्यायालय का अवमान या मानहानि होती हो या अपराध करने के ये उत्तेजना मिलती हो, अथवा

(2) अपनी सेवा या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की सेवा से सम्बन्धित किसी मामले के सम्बन्ध में न कोई हड़ताल करेगा और न किसी प्रकार की हड़ताल करने के लिये अवप्रेरित करेगा।

नियम 5-क   *सार-संग्रह*

1. *प्रदर्शन की परिभाषा*
2. *प्रदर्शन का प्रतिषेध*
3. *मूल अधिकारों के परिरक्षण से सरकारी सेवक को अलग नहीं किया गया है*
4. *सरकारी परिसर में सभाएँ करना।*
5. *हड़ताल*
6. *दुष्प्रेरण*
7. *हड़ताल करने का अधिकार नहीं है*
8. *हड़ताल को आगे बढ़ाने के लिये काम करना*
9. *हड़ताल में हिस्सा लेना*
10. *हड़ताल में हिस्सा लेने के लिये अनधिकृत अनुपस्थिति*
11. *नियम 5-क की विधिमान्यता।*

1. प्रदर्शन की परिभाषा—'आक्सफोर्ड' शब्दकोश के अनुसार 'प्रदर्शन' भावना की बाह्य अभिव्यक्ति है, जैसे कि राजनैतिक या किसी अन्य प्रश्न पर किसी मत की अभिव्यक्ति, विशेष रूप से जनसभा या जुलूस'। 'वेबस्टर' में इसकी परिभाषा इस प्रकार की है, 'किसी दल, जाति अथवा समाज द्वारा कोई लोक प्रदर्शनी...... जैसे कि किसी परेड अथवा जनसभा द्वारा।' इनसाइक्लोपीडिया' डिक्शनरी के अनुसार यह किसी हेतुक (cause) आदि में या उनके सम्बन्ध में सहानुभूति की लोक-अभिव्यक्ति है। (प्राय: जन सभा या जुलूस)। भाषा के सौन्दर्य में बहुत अधिक भीतर गये बिना, मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रदर्शन किसी व्यक्ति या समूह की भावनाओं की स्थूल अभिव्यक्ति है। इस प्रकार यह एक व्यक्ति की दूसरों को, जिन तक उसे पहुंचने का आशय हो, संसूचना है।[1]

2. प्रदर्शन का प्रतिषेध—सभी प्रकार के प्रदर्शनों को प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है। वह समान रूप से शान्तिपूर्ण व व्यवस्थित भी हो सकते हैं, जैसे कि जब किसी सेवा के सदस्य अपनी शिकायतों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये कोई बैज पहनते हों। इस प्रकार के प्रदर्शनों को प्रतिषिद्ध नहीं किया जा सकता। कोई प्रदर्शन शोर-शराबा वाला और अव्यवस्थित हो सकता है, जैसे किसी भीड़ द्वारा पथराव किया जाना। इस प्रकार के प्रदर्शनों को प्रतिषिद्ध किया जा सकता है।[2] यह नियम केवल उन्हीं प्रदर्शनों को प्रतिषिद्ध करता है जो अनुच्छेद 19 (2) व (3) में वर्णित एक या कुछ हितों के प्रतिकूल हैं।[3]

ऐसे प्रदर्शनों या ऐसी सभाओं या ऐसे जुलूसों में जो व्यवस्थित व शान्तिपूर्ण हों और कार्यालय के परिसर के बाहर तथा कार्य के घण्टों के बाद आयोजित किये जायें, हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा।

काम पर बैज पहन कर आने में कोई हस्तक्षेप तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उस पर कोई ऐसा लेख या नारा न छपा हो जो भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के विरुद्ध अपराध हो, या जो न्यायालय-अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन हो।[4]

इस नियम के अधीन निम्नलिखित प्रकार के प्रदर्शन प्रतिषिद्ध किये गये हैं—

1. कामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य, ए० आई० आर० 1962 एस० सी० 1166.
2. के० प्रसाद बनाम बिहार राज्य, ए० आई० आर० 1962 एस० सी० 1166.
3. उमा शंकर बनाम सीनियर पर्सोनल आफिसर, 1966 ए० एल० जे० 523.
4. शासनादेश सं० 1180/आई० पी० बी०—152-57, दिनांक 12 अगस्त, 1964.

(एक) जो भारत की प्रभुता एवं अखंडता के प्रतिकूल हों,

(दो) जो राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल हों,

(तीन) जो विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध को प्रभावित करते हों,

(चार) लोक व्यवस्था को प्रभावित करते हों,

(पांच) जो शिष्टाचार या सदाचार के विरुद्ध हों,

(छः) जो न्यायालय-अवमान के रूप में हों,

(सात) जो मानहानि करते हों,

(आठ) जो अपराध का उद्दीपन करते हों।

3. मूल अधिकारों के परिरक्षण से सरकारी सेवक को अलग नहीं किया गया है—सरकारी सेवक राज्य की लोक सेवा में या उसके पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों की विवक्षाओं (implication) को भली-भांति जानते हुए प्रवेश करता है। अनुच्छेद 309 के अधीन राज्य का विधान-मंडल या उसका राज्यपाल अथवा राजप्रमुख सेवा की शर्तों के विनियमन करने के विचार से विधि का अधिनियमन करता है या नियम बनाता है। अनुच्छेद 310 यह प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति जो राज्य की सिविल सेवा का सदस्य हो, राज्यपाल या राज्यप्रमुख के प्रसाद पर ही पद धारण करता है। अतः किसी सरकारी सेवक के मूल अधिकारों का परिरक्षण केवल उन्हीं मामलों के सन्दर्भ में किया जा सकता है जो ऐसे व्यक्तियों के बीच समान हों, कि जिनके बीच समानता की घोषणा की गई हो। फिर भी, विधि के अधीन अनुमन्य सीमाओं के भीतर युक्तियुक्त निर्बन्धन अधिरोपित किये जा सकते हैं।[1]

4. सरकारी परिसर में सभाएँ करना—इस बात से कि ऐसे व्यक्ति जो किसी लोक कार्यालय में काम करते हैं वहां जा सकते हैं, उनको कोई ऐसा अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता कि वह उस कार्यालय में कोई सभा कर सकते हैं, भले ही वह उस प्रयोजन के लिये अत्यधिक उपयुक्त स्थान हो। किसी सरकारी सेवक को ऐसा कोई मूल अधिकार उपलब्ध नहीं कराया गया है। यदि इस प्रकार के अधिकार प्रदत्त कर दिये जायें तो सरकारी कार्यालयों में अव्यवस्था फैल जाना निश्चित ही है। उत्तरी रेलवे महाप्रबन्धक ने बिना अनुमति के रेलवे परिसर में सभा किये जाने पर रोक लगा दिया। उनका आदेश पूर्णतया विधिमान्य माना गया।[2]

कार्यक्रम परिसर के अन्दर प्रदर्शनों या नारा लगाने या उसी प्रकार के अन्य अव्यवस्थित आचरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

परिसर के बाहर भी प्रदर्शन करने या किसी व्यक्ति को अन्दर जाने से रोकने का भी कोई अधिकार नहीं है।[3]

5. हड़ताल—"हड़ताल" का अर्थ है कर्मचारियों के किसी निकाय द्वारा अपने बीच किसी करार द्वारा अथवा व्यापार संघ, आदि के आदेश पर किसी शिकायत का उपचार प्राप्त करने के लिये काम करना बन्द कर देना। जहां तक सरकारी सेवकों का सम्बन्ध है, शिकायत दूर करने का साधन हड़ताल नहीं है।[4]

हड़ताल पर जाने वाले सरकारी सेवकों का आचरण इन नियमों के उपबन्धों के विरुद्ध है। उनको इस प्रयोजन के लिये अवकाश भी नहीं दिया जा सकता। हड़ताल पर जाने की धमकी विधि में धमकी नहीं होती।[5]

1. वी० गोपीनाथम बनाम केरल राज्य, ए० आई० आर० 1964 केरल 227.
2. रेलवे बोर्ड बनाम निरंजन सिंह, 1969 (2) एस० सी० जे० 513.
3. एम० राम बनाम भारत सरकार, ए० आई० आर० 1970 मद्रास 331.
4. रामदास लक्ष्मीकान्त बनाम ए० जी० महाराष्ट्र, ए० आई० आर० 1963 बम्बई 121.
5. एल० बनाम एल०, ए० आई० आर० 1957 एस० सी० 527.

6. दुष्प्रेरण—''दुष्प्रेरण'' का अर्थ है किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिये उकसाना, उसके साथ साजिश करना या उसकी साशय मदद करना।

कोई व्यक्ति जो—

(एक) किसी व्यक्ति को किसी काम को करने के लिये उकसाता है, या

(दो) किसी एक या अधिक अन्य व्यक्तियों के साथ किसी काम के करने के लिये तथा उस काम को किये जाने के लिये, किसी दुरभि सन्धि में शामिल होता है, यदि उस दुरभिसन्धि के अनुसरण में कोई कार्य अथवा अवैध कार्य-लोप सम्पन्न होता है, या

(तीन) किसी काम के करने में किसी कार्य अथवा अवैध कार्य-लोप द्वारा साशय सहायता करता है।

उस काम को किये जाने का दुष्प्रेरण करता है।

दूसरों को हड़ताल पर जाने में दुष्प्रेरण करने वाला सरकारी सेवक, इस नियम के अधीन दुराचरण करता है।

7. हड़ताल करने का अधिकार नहीं है—किसी सरकारी सेवक को हड़ताल पर जाने का मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। सरकारी सेवक शान्तिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतों को सरकार के समक्ष रख सकते हैं। इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन भी दे सकते हैं।

नागरिकों को भी अनुच्छेद 19 के अधीन हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं प्रदत्त किया गया है। अतः हड़ताल का प्रतिषेध करना अवैधानिक नहीं है।[1]

8. हड़ताल को आगे बढ़ाने के लिये काम करना—जहां याची ने हड़ताल को आगे बढ़ाने के लिये प्रदर्शन में हिस्सा लिया, तो वह दुराचरण माना गया।[2]

9. हड़ताल में हिस्सा लेना—कोई सरकारी सेवक या तो अपनी सेवा या किसी अन्य सरकारी सेवक की सेवा से सम्बन्धित किसी मामले के लिये न तो किसी प्रकार की कोई हड़ताल करेगा, न ही किसी प्रकार से किसी हड़ताल के लिये दुष्प्रेरण करेगा। हड़ताल का अर्थ है काम का बन्द करना, और यदि हड़ताल की गयी तो सरकारी सेवक की उन सांविधिक सेवा शर्तों का उल्लंघन होगा जिसको उसने सेवा में प्रवेश करते समय विवक्षित रूप से स्वीकार किया था। उसको आज्ञाकारी, वफादार, सतर्क, ईमानदार, समय का पाबन्द, अच्छे व्यवहार वाला तथा युक्तियुक्त रूप से अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिये सक्षम होना है। हड़ताल में हिस्सा न लेना सरकारी सेवक से अपेक्षित अनुशासन से सम्बन्धित एक मामला है। आचरण नियमावली को, जहां तक उसका सम्बन्ध हड़ताल का प्रतिषेध करने से है, रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान हड़ताल पर जाने का कोई मूल अधिकार प्रदान नहीं करता।[3] किन्हीं परिस्थितियों में स्वयं हड़ताल भी दुराचरण है। इससे यह संदर्शित होता है कि हड़ताल संविदा को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं करती।[4]

10. हड़ताल में हिस्सा लेने के लिये अनधिकृत अनुपस्थिति—राज्य सरकार द्वारा इस बात के लिये अनुदेश जारी किये गये हैं कि हड़ताल, धरना, आदि में हिस्सा लेने के लिये सरकारी सेवक द्वारा किया गया अवकाश का आवेदन स्वीकार न किया जाये। ऐसे कर्मचारियों का अभिलेख भी बनाये रखना चाहिये। रेडियोग्राम सन्देश संख्या 1046/20-ई—1-74, दिनांक 28 जनवरी, 1974 में यह भी देशित किया गया है कि इस प्रकार की अनधिकृत अनुपस्थिति के लिये वेतन नहीं दिया जाना चाहिये।

---

1. एस० वासुदेवन बनाम एस० डी० मित्तल, ए० आई० आर० 1962 बम्बई 53.
2. राधे श्याम बनाम पी० एम० जी०, नागपुर, ए० आई० आर० 1956 एस० सी० 311.
3. के० प्रसाद बनाम बिहार राज्य, ए० आई० आर० 1962 एस० सी० 1166.
4. के० बनाम आई० ए० आई० आर० 1962 हिमाचल प्रदेश 25.

बाद में, शासनादेश संख्या 9/1974—नियुक्ति-3, दिनांक सितम्बर, 1974, में राज्य सरकार ने यह निदेश जारी किया है कि यथापूर्वोक्त देशित अनधिकृत अनुपस्थिति का अर्थ यह होगा कि सेवा में विघ्न पड़ जायेगा और ऐसी अवधि की संगणना वार्षिक वेतन वृद्धि के प्रयोजनार्थ नहीं की जायेगी।

11. नियम 5-क की विधिमान्यता—इस नियम द्वारा अधिरोपित निर्बन्धन पूर्ण नहीं है। वह सरकारी सेवकों को केवल अपनी सेवा शर्तों के सम्बन्ध में होने वाले किसी मामले के सम्बन्ध में ही किसी प्रदर्शन में हिस्सा लेने या किसी प्रकार की हड़ताल करने के लिये प्रतिषिद्ध करते हैं।

जब तक कि सरकारी सेवकों का अनुशासन तथा उनकी दक्षता बनाये न रखा जाये, कोई सरकार सुचारु रूप से चल नहीं सकती। यदि सरकारी सेवकों को हड़ताल व प्रदर्शनों में हिस्सा लेने की छूट दे दी जाये तो उससे सरकार के सुचारु रूप से काम करने में अवश्य ही बाधा पड़ेगी। किन्हीं दशाओं में तो उससे लोक शान्ति में भी विघ्न पड़ सकता है। अतः यह प्रावधान असंवैधानिक नहीं हैं, भले ही यह अनुच्छेद 19 (1) (ख) के उपबन्धों का अतिलंघन करते हैं। यह नियम अनुच्छेद 19 के खंड (3), (4) व (6) द्वारा अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत आता है।[1]

यह नियम अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 (1) (ग) का भी उल्लंघन नहीं करता।[2]

5-ख. सरकारी कर्मचारियों का संघों (association) का सदस्य बनना—कोई सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे संघ का न तो सदस्य बनेगा और न उसका सदस्य बना रहेगा, जिसके उद्देश्य अथवा कार्य-कलाप भारत की प्रभुता तथा अखण्डता के हितों या सार्वजनिक सुव्यवस्था अथवा नैतिकता के प्रतिकूल हों।

नियम 5-ख

सार-संग्रह

1. *यह नियम सेवा संघों पर भी लागू होता है।*
2. *संघ बनाने की स्वतंत्रता।*
3. *सेवा संघों की मान्यता की अपेक्षायें।*
4. *वह शर्तें जिनके अधीन मान्यता स्वीकार की जायेगी।*
5. *मान्यता कब वापस ली जा सकेगी।*
6. *सरकारी सेवकों के संघ की भूमिका (role)।*
7. *सरकारी सेवक किन्हीं सोसाइटियों में हिस्सा नहीं लेंगे।*
8. *सरकारी सेवक या उनके संघ सरकार के सदस्यों के समक्ष सीधे नहीं पहुंचेंगे।*

1. यह नियम सेवा संघों पर भी लागू होगा—उ० प्र० सरकारी सेवक आचरण नियमावली सेवा संघों के कार्यकलापों पर भी लागू होती हैं। कर्मचारियों के संघ की मान्यता के लिये मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट आर्डर्स में अनुदेश अन्तर्विष्ट है। ऐसे संघ के अनियमित एवं आपत्तिजनक गतिविधियों से निपटने के लिये भी अनुदेश उपलब्ध हैं।

ऐसे सरकारी सेवक को व्यापार संघ यूनियन का गठन करते हैं,वह यूनियन से सम्बन्धित मामलों के विषय में भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 द्वारा शासित होंगे। लेकिन, इस प्रकार के कर्मचारी भी सरकारी सेवक आचरण नियमावली का अतिक्रमण नहीं कर सकते। यह नियम कानूनी अधिकार के अधीन बनाये गये हैं, और यदि किसी यूनियन संघ के नियमों के विरोध में हों, तो आचरण नियमावली अधिभावी होगी।

2. संघ बनाने की स्वतंत्रता—अनुच्छेद 1 (ग) सभी नागरिकों को तब तक संघ या यूनियन बनाने का अधिकार देता है जब तक कि ऐसा अधिकार अनुच्छेद 19 (4) द्वारा विहित किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं

1. एस० वासुदेवन बनाम एस० डी० मित्तल, ए० आई० आर० 1962 बम्बई 53.
2. राम राव लक्ष्मीकान्त श्रेवर बनाम ए० जी०, महाराष्ट्र, ए० आई० आर० 1963 बम्बई 121.

करता। अनुच्छेद 19 (1) के उपखंड (ग) में की कोई बात किसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगी जहां तक कि वह राज्य सरकार का कोई ऐसी विधि बनाने के लिये रोकती हो, जो कि, लोक व्यवस्था के हित में, उक्त उप-खंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर युक्तियुक्त निर्बन्धन अधिरोपित करती हो। स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को जारी किया गया यह अनुदेश कि वह अनुमति के बिना यूनियन का कोई पद ग्रहण करेंगे, अनुच्छेद 19 का अतिक्रमण नहीं करता।[1]

उसी प्रकार, सरकार यह निर्बन्धन लगा सकती है कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं है तो वह किसी सेवा संघ का सभापति नहीं हो सकता, *एस० बनाम डी०*[2]। यह ध्यान में रखना चाहिये कि निर्बन्धन युक्तियुक्त होना चाहिये न कि मनमाना या अत्यधिक कठोर अथवा उत्पीड़क, और उसका उस उद्देश्य से युक्तियुक्त सम्बन्ध होना चाहिये कि जिसको प्राप्त करना विधान द्वारा वांछित है।[3]

(क) सरकारी सेवक का संघ बनाने का अधिकार—सरकारी सेवक का एक वर्ग के रूप में संविधान के भाग तीन में विभिन्न अनुच्छेदों के अधीन प्रदत्त विभिन्न अधिकारों के परिरक्षण अलग नहीं किये गये हैं।[4] वह राज्य सरकार की अनुमति के बिना कोई संघ नहीं बना सकते। जब कोई सरकारी सेवक किसी संघ में शामिल होता है तो उसको इस बात का निश्चय कर लेना चाहिये कि उसके उद्देश्य या उसकी गतिविधियां भारत की प्रभुता एवं अखंडता, या लोक व्यवस्था के प्रतिकूल तो नहीं हैं। जब तक कि संघ राज्य सरकार की अनुमति से स्थापित न किया गया हो, वह अपने सदस्यों की ओर से कुछ कहने या सुने जाने का कोई अधिकार न रखेगा। कोई सरकारी सेवक को ऐसे किसी संघ का सदस्य होने मात्र से दुराचरण का दोषी नहीं माना जा सकता।[5]

(ख) संघ बनाने के अधिकार में हड़ताल पर जाने का अधिकार शामिल नहीं है—किसी संघ या यूनियन के बनाने में अधिकार में हड़ताल करने का अधिकार शामिल नहीं है।[6]

3. सेवा संघों को मान्यता की अपेक्षायें—सरकारी सेवकों द्वारा, जिनमें से सभी भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 की धारा 2 (छ) के अर्थ के अन्तर्गत कर्मी नहीं होते, संघों की स्थापना के लिये सरकार का पूर्वानुमोदन जरूरी है। उन्हें निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा—

(क) संघ की मान्यता के लिये आवेदन-पत्र सभी सूचनाओं व विशिष्टयों सहित जो आवेदन-पत्र के प्रारूप में उत्तर प्रदेश (सेवा संघ की मान्यता) नियमावली, 1979 के परिशिष्ट एक में दी गयी है, दिया जायेगा,

(ख) संघ अपने सदस्यों के समान सेवा हितों के प्रवर्तन के उद्देश्य से बनाया गया है,

(ग) संघ की सदस्यता सेवारत सरकारी कर्मचारियों (सेवा निवृत्त व्यक्तियों को छोड़ते हुए) के एक जिले के वर्ग तक सीमित है, और वह उस वर्ग विशेष की कुल संख्या के 50% से अधिक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है,

(घ) संघ किसी धर्म, वंश, जाति या वंशज के आधार पर या ऐसे धर्म, वंश, जाति या वंशज के अन्तर्गत किसी समूह या उप-जाति के आधार पर नहीं बनाया गया है,

(ङ) कोई ऐसा व्यक्ति जो सेवारत सरकारी कर्मचारी नहीं है, संघ के कार्यकलापों से सम्बद्ध नहीं है,

(च) संघ के पद-धारक, कार्यपालिका के सदस्यों सहित, उसके सदस्यों में से ही (सेवा निवृत्त व्यक्तियों को छोड़कर) नियुक्त किये गये हैं,

1. ए० आई० आर० 1960 ए० पी० 342.
2. ए० आई० आर० 1955 इला० 623.
3. एम० *बनाम* डी०, ए० आई० आर० 1963 राजस्थान 136.
4. के० प्रसाद *बनाम* बिहार राज्य, 1962 सप्लीमेण्ट्री 3 एस० सी० आर० 369.
5. बी० *बनाम* सी०, ए० आई० आर० 1960 इला० 353.
6. टीका राम जी *बनाम* उ० प्र० राज्य, 1956 एस० सी० 676.

(छ) संघ की निधि सदस्यों के चन्दे से और सरकारी अनुदान से, यदि कोई हो, बनी है, और उसका उपयोजन संघ के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में किया जा रहा है, तथा

(ज) संघ किसी मान्यता प्राप्त महासंघ से (affiliated) सहयुक्त होगा।

4. वह शर्तें जिनके अधीन मान्यता स्वीकार की जाती है—देखिये उ० प्र० (सेवा संघों की मान्यता) नियमावली, 1979 का नियम 4 जो कि सेवा संघों की मान्यता की शर्तें निर्धारित करता है।

5. मान्यता कब वापस ली जा सकेगी—सरकार किसी सेवा संघ की मान्यता वापस ले सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि—

(क) मान्यता गलत तथ्यों पर अथवा सारवान् तथ्यों को छिपाकर अथवा तथ्यों का कपटपूर्ण मिथ्या व्यपदेशन करके प्राप्त की गई थी,

(ख) किसी संघ के मामले में वर्ग विशेष के सरकारी सेवकों की कुल संख्या से सदस्यता न्यूनतम विहित 50 प्रतिशत तथा किसी महासंघ के मामले में मान्यता प्राप्त संघों की सदस्यता 25 प्रतिशत से न्यूनतम घट गई है,

(ग) संघ/महासंघ जिसका नियम 3 के अधीन मान्यता देना समझा जाता है, नियम के अधीन निर्धारित अपेक्षाओं एवं शर्तों का इन नियमों के प्रारम्भ के दिनांक से छः मास के भीतर पालन करने में विफल रहा है,

(घ) संघ/महासंघ ने यथास्थिति नियम 4, 5, 6 या 7 में निर्धारित शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है।

यदि सरकार किसी सरकारी सेवक संघ की मान्यता वापस लेने का प्रस्ताव करती है तो ऐसी मान्यता वापस लिये जाने के लिये एक कारण बताओ नोटिस का दिया जाना जरूरी है।[1]

6. सरकारी सेवकों के संघों की भूमिका (role)—सरकारी सेवकों के संघों के विषय में सन् 1972 में भारत सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निवारण पर संगठित कॉन्फ्रेंस ने निम्नलिखित संस्तुति की है।

"यह भी महसूस किया गया कि सेवा संघ लोक सेवकों द्वारा कर्तव्यों के ईमानदार एवं दक्षपूर्ण निर्वहन की दिशा में समुचित जलवायु का सृजन करने में सहायक हो सकते थे। सेवा संघों को इस बात के लिये प्रेरित किया जाना चाहिये कि वह अपने सदस्यों के लिये आचरण संहिता बनाये तथा संहिता का प्रवर्तन करने के लिये उचित साधन भी बनायें।"

7. सरकारी सेवक किन्हीं सोसाइटियों में हिस्सा नहीं लेंगे—सरकारी सेवकों को किसी ऐसे सोसाइटी में शामिल होने से प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है जो कि गैर कानूनी न हो, लेकिन किसी कर्मचारी के, जो कि किसी ऐसी सोसाइटी के संगठित करने में हिस्सा लेता है जो एक वर्ग के समुदाय को दूसरे के विरुद्ध खड़ा करे, या ऐसी सोसाइटी के सिद्धान्तों का प्रचार करने में हिस्सा ले, आचरण पर विभाग नजर रखेगा।[2]

8. सरकारी सेवक या उनके संघ सरकार के सदस्यों के समक्ष सीधे नहीं पहुंचेंगे—(मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट आर्डर्स का पैरा 98)।

सरकारी सेवक या उनके संघ सेवा सम्बन्धी मामलों में किसी प्रश्न पर, चाहे वह एक व्यक्ति के विषय में हो या सामान्य रूप के हो, सरकार के सदस्यों तक, सिवाय अपने वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से, सीधे नहीं पहुंचेंगे। सिवाय समुचित माध्यम से पूर्व नियुक्त के, सरकार के सदस्यों से साक्षात्कार की वांछा नहीं की जाती। यदि कोई सरकारी सेवक इस प्रकार के साक्षात्कार का अवसर प्राप्त करने में विफल रहे, तो वह प्रशासनिक विभाग में सरकार के सचिव के माध्यम से अनुमति की वांछा कर सकेगा।[3]

1. ईस्टर्न रेलवे इम्प्लाइज यूनियन बनाम जनरल मैनेजर, ईस्टर्न रेलवे, ए० आई० आर० 1965 कलकत्ता 389.
2. मैनुअल आफ गवर्नमेण्ट आर्डर्स का पैरा 98.
3. शासनादेश सं० 6225/दो-ए-32, दिनांक 14-1-1953.

6. समाचार पत्रों (press) या रेडियो से सम्बन्ध रखना—(1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी समाचार-पत्र या अन्य नियतकालिक प्रकाशन (periodical publication) का पूर्णतः या अंशतः, स्वामी नहीं बनेगा, न उसका संचालन करेगा न उनके सम्पादन—का या प्रबन्ध में भाग लेगा।

(2) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो अथवा जब वह अपने कर्तव्यों का सद्भाव से निर्वहन कर रहा हो, किसी रेडियो प्रसारण में भाग नहीं लेगा या किसी समाचार पत्र या पत्रिका को लेख नहीं भेजगा और गुमनाम से, अपने नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, किसी समाचार-पत्र या पत्रिका को कोई पत्र नहीं लिखेगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस दशा में जबकि ऐसा प्रसारण या ऐसे लेख का स्वरूप केवल साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक हो, किसी ऐसे स्वीकृति-पत्र (broadcast) के प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

नियम 6 **टिप्पणियाँ**

सरकारी सेवकों को बिना सरकार की अनुमति के किसी समाचार-पत्र अथवा सामयिक पत्रिकाओं का पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से स्वामी होने या उसका प्रबन्ध करने अथवा संपादन करने से प्रतिषिद्ध किया गया है। वह सरकार के अनुमति के बिना किसी रेडियो वार्ता में भी हिस्सा नहीं ले सकते, न ही वह किसी समाचार पत्र या सामयिक पत्रिका में कोई लेख निकाल सकते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि सरकारी सेवक के ऐसे कार्य से गोपनीय प्रकृति के मामलों पर सूचना दी जाने की सम्भावना पैदा हो जाती है। सरकारी सेवकों को प्रेस संवाददाताओं से खुलकर बातचीत नहीं करना चाहिये। कतिपय संवाददाताओं की यह आदत होती है, कि वह सरकारी सेवकों से प्राप्त की गयी थोड़ी-बहुत सूचनाओं को तोड़-मरोड़ करके उनका एक संभाव्य परिणाम पर पहुंचने के लिये प्रयोग करते हैं।

इस प्रकार के उदाहरण कभी-कभी सरकार के लिये अनावश्यक उलझन पैदा करने का कारण बन जाते हैं। राज्य सरकार ने सचिवालय में अपने अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि वह प्रेस संवाददाताओं को सरकार की ओर से कोई सूचना न दें।

केवल मन्त्रीगण, उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारीगण और सूचना निदेशालय ही प्रेस को सूचना दे सकते हैं। फिर भी, कोई भी विभागाध्यक्ष, खंड का आयुक्त, जिलाधिकारी, यदि जरूरी हो, अपने विभाग या जिले के सम्बन्ध में ऐसी सूचना दे सकता है, जो किसी गलत अफवाह या अवांछनीय समाचार के प्रकाशन को रोकेगी। वह अपने विभाग या जिले के सम्बन्ध में प्रकाशित किसी गलत समाचार का खंडन करने के लिये कोई प्रेस वक्तव्य भी जारी कर सकेगा।

यदि रेडियो वार्ता किसी साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक प्रकार की हो तो सरकार की अनुमति जरूरी नहीं होती। अन्य मामलों में सरकार की अनुमति प्राप्त करने में समय लग सकता है, इसलिये सरकार ने नियम 6 (2) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रति निधान विभागाध्यक्षों व कार्यालय अध्यक्षों में उनके अधीन कार्यरत कर्मचारियों के सम्बन्ध में कर दिया है। कार्यालय अध्यक्षों के विषय में विभागाध्यक्ष सशक्त प्राधिकारी होंगे तथा विभागाध्यक्षों के विषय में सरकार सशक्त प्राधिकारी होगी।

7. सरकार की आलोचना—कोई सरकारी कर्मचारी किसी रेडियो प्रसारण में या गुमनाम से, या स्वयं अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित किसी लेख में या समाचार-पत्रों को भेजे गये किसी प्रक्रम, या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में प्रकाशित किसी लेख में समाचार-पत्रों को भेजे गये किसी पत्र में या किसी सार्वजनिक कथन (public utterance) में, कोई ऐसी तथ्य की बात (statement of fact) या मत नहीं व्यक्त करेगा—

(1) जिसका प्रभाव यह हो कि वरिष्ठ पदाधिकारियों के किसी निर्णय की प्रतिकूल आलोचना हो या उत्तर प्रदेश सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की किसी चालू या हाल की नीति का कार्य प्रतिकूल आलोचना हो, या

(2) जिससे उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार के आपसी सम्बन्धों में उलझन पैदा हो सकती हो, या

(3) जिससे केन्द्रीय सरकार और किसी विदेशी राज्य की सरकार के आपसी सम्बन्धों में उलझन पैदा हो सकती हो।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इन नियम में दी हुई कोई भी बात किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा व्यक्त किये गये किसी ऐसे कथन या विचारों के सम्बन्ध में लागू न होगी, जिन्हें उसने अपने सरकारी पद की हैसियत से या उसे सौंपे गये कर्तव्यों के यथोचित पालन में व्यक्त किया हो।

उदाहरण

(1) 'क' को, जो एक सरकारी कर्मचारी है, सरकार द्वारा नौकरी से बर्खास्त किया गया है। 'ख', को, जो कि एक दूसरा सरकारी कर्मचारी है, इस बात की अनुमति नहीं है कि वह सार्वजनिक रूप से (publicity) यह कहे कि दिया गया दण्ड अवैध, अत्यधिक या अन्यायपूर्ण है।

(2) कोई सार्वजनिक अफसर स्टेशन 'क' से स्टेशन 'ख' को हस्तान्तरित किया गया है। कोई भी सरकारी कर्मचारी, उक्त सार्वजनिक अफसर को स्टेशन 'क' पर ही बनाये रखने से सम्बन्धित किसी आन्दोलन में भाग नहीं ले सकता।

(3) किसी सरकारी कर्मचारी को इस बात की अनुमति नहीं है कि वह सार्वजनिक रूप से ऐसे मामलों में सरकार की नीति की आलोचना करे जैसे किसी वर्ष के लिये निर्धारित गन्ने का भाव, परिवहन का राष्ट्रीयकरण इत्यादि।

(4) कोई सरकारी कर्मचारी, निर्दिष्ट आयात की गयी वस्तुओं पर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये गये कर की दर के सम्बन्ध में कोई मत व्यक्त नहीं कर सकता।

(5) एक पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थिति किसी भू-खंड के सम्बन्ध में दावा करता है कि वह भूखण्ड उसका है। कोई सरकारी कर्मचारी उक्त दावे के सम्बन्ध में सार्वजनिक रूप से, कोई मत व्यक्त नहीं कर सकता।

(6) किसी सरकारी कर्मचारी को इस बात की अनुमति नहीं है कि वह किसी विदेशी राज्य के इस निश्चय पर कोई मत प्रकाशित करे कि उसने उन रियायतों को समाप्त कर दिया है जिन्हें वह एक दूसरे राज्य के राष्ट्रियों (nationals) को देता था।

नियम 7

टिप्पणियाँ

यह नियम इतना व्यापक है कि इसमें सरकार की किसी वर्तमान या पूर्वगामी नीति या कार्यवाही पर की गयी समस्त प्रतिकूल आलोचनायें शामिल हैं। मैसूर सरकारी सेवक आचरण नियमावली के एक लगभग समान नियम को इसलिये विधिमान्य नहीं धारण किया गया है उसमें किसी सरकारी सेवक को भी, जो कि सरकारी सेवकों की ट्रेड यूनियन का पद-धारक हो, ऐसे सरकारी सेवकों की सेवा शर्तों के बचाव के प्रयोजनार्थ या उसमें कोई सुधार किये जाने के लिये अपने विचारों की सद्‌भावना पूर्ण अभिव्यक्ति की भी छूट नहीं दी गयी थी।[1]

1. बी० मनमोहन बनाम मैसूर राज्य, ए० आई० आर० 1966 मैसूर 261.

मंत्री के विरुद्ध मानहानि सूचक अपवाद (aspersions) के लिये भी अनुमति नहीं दी जा सकती। एक सरकारी सेवक एवं राज्य सरकार की हैसियत एक सेवक और स्वामी जैसी है। इस प्रकार किया गया निरूपण स्वामी की ख्याति को प्रभावित करने की प्रवृत्ति रख सकता है।[1]

जहां सरकार की किसी नीति की आलोचना करते हुए कोई पर्चा किसी सरकारी सेवक के नाम से बिना उसकी सहमति से प्रकाशित किया गया, वहां यही धारणा किया गया कि दुराचरण के आरोप चलने योग्य नहीं था।[2]

8. किसी समिति या किसी अन्य प्राधिकारी के सामने साक्ष्य—(1) उपनियम (3) के उपबन्धित स्थिति के अतिरिक्त, कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी जांच के सम्बन्ध में साक्ष्य नहीं देगा।

(2) उस दशा में, जबकि उप-नियम (1) के अन्तर्गत कोई स्वीकृति प्रदान की गयी हो, कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार के साक्ष्य देते समय, उत्तर प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की नीति की आलोचना नहीं करेगा।

(3) इस नियम में दी गई कोई बात, निम्नलिखित के सम्बन्ध में लागू न होगी—

(क) साक्ष्य जो सरकार, केन्द्रीय सरकार, उत्तर प्रदेश के विधान-मण्डल या संसद द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी के सामने दी गई हो, या

(ख) साक्ष्य जो किसी न्यायिक (judicial) जांच में दी गई हो।

नियम 8

टिप्पणियाँ

बिना सरकार की अनुमति के कोई सरकारी सेवक किसी व्यक्ति, समिति अथवा प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य न देगा। यदि ऐसे साक्ष्य के लिये अनुमति दे भी दी जाये, तो सरकारी सेवक उत्तर प्रदेश सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं करेगा। फिर भी, उस नियम के अपवाद वहां हैं जहां कि सरकारी सेवक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा या विधान मण्डल द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी के समक्ष या किसी न्यायिक जांच में साक्ष्य दिया जाना हो।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आदेश सोलह साक्षियों के आह्वान एवं उनकी हाजिरी के लिये कानून का प्रावधान करता है। उसमें उन परिणामों का भी उल्लेख है जो कि साक्षी के हाजिर न आने या साक्ष्य देने से इन्कार करने पर होंगे।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 349 व 350 उन व्यक्तियों के दण्ड विहित करती हैं जो उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इन्कार करें या समन के अनुसरण में हाजिर होने में विफल रहे।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 66 सरकारी सेवक पर समन की तामील करने की प्रक्रिया निर्धारित करती है। समन जारी करने वाला न्यायालय साधारणतया उसे दो प्रतियों में उस कार्यालय के अध्यक्ष के पास भेज देगा कि जिसमें सरकारी सेवक सेवारत हो।

धारा 174 तथा 175 किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से किये गये अपराध के लिये दण्ड का प्रावधान करती हैं, जो कि लोक सेवक द्वारा साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिये बुलायें जाने के लिये किये गये आदेश की अवज्ञा करेगा।

1. जगमोहन जे० मोदी बनाम बम्बई राज्य, ए० आई० आर० 1962 गुजरात 197.
2. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बाला कृष्ण बर्मन, 1970 3 एस० सी० सी० 612.

9. सूचना का अनधिकृत संसार—कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय सरकार के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेशानुसार या जिसको सौंपे गये कर्तव्यों का सद्भाव के साथ (in good faith) पालन करते हुए, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: कोई सरकारी लेख्य या सूचना किसी सरकारी कर्मचारी को या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसे ऐसा लेख्य या सूचना देने या संचार करने का उसे अधिकार न हो, न देगा न संचार करेगा।

स्पष्टीकरण—किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को दिये गये अभ्यावेदन में किसी पत्रावली की टिप्पणियों का या टिप्पणियों में से उद्धरण देना इस नियम के अर्थ के अन्तर्गत सूचना का अनधिकृत संचार माना जायेगा।

नियम 9

सार-संग्रह

1. *सूचना का अनधिकृत संचार*
2. *बिना किसी आशय के गुप्त सूचना देना*
3. *शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के शास्तिक प्रावधान*
4. *गोपनीय शासकीय पत्र व्यवहार भेजने सम्बन्धी प्रावधान*
5. *अभ्यावेदन, आदि के गोपनीय सूचना का उद्धरण।*

1. सूचना का अनधिकृत संचार—सिवाय सरकार के आदेशों के अनुसार, कोई सरकारी सेवक किसी सरकारी सेवक या किसी अन्य व्यक्ति को कोई शासकीय दस्तावेज या सूचना नहीं देगा। यह प्रतिषेध न केवल किसी अशासकीय व्यक्ति पर लागू है, बल्कि उन सरकारी सेवकों पर भी लागू है जिनका सूचना की विषय-वस्तु से कोई सम्बन्ध न हो।

हितबद्ध पक्षकार अपने मामले की प्रगति को जानने के लिये अधिकारियों/कर्मचारियों के पास पहुंचते हैं। जब उनको अपनी फाइल के संचालन का पता लग जाता है तो वह उच्च अधिकारियों तक पहुंचते हैं, जिसके कारण कर्मचारियों तथा मन्त्रियों दोनों ही को परेशानी होती है और इसे एक दुराचरण ही माना जाना चाहिये।[1]

बजट के सम्बन्ध में उसके शासकीय रूप से प्रकाशित किये जाने से पूर्व कोई सूचना देना उक्त प्रकार का दुराचरण है।

2. बिना किसी आशय के गुप्त सूचना देना—बिना किसी आशय के कोई गुप्त सूचना देना भी दुराचरण है। कभी-कभी बेखयाली में या अशासकीय व्यक्तियों, नातेदारों और मित्रों से बातचीत के दौरान कोई सरकारी सेवक बिना किसी आशय के ही गुप्त सूचना दे देता है। ऐसे भी लोग होते हैं जो सरकारी सेवकों से महत्वपूर्ण तथा गुप्त सूचना प्राप्त करने के लिये मित्रता प्राप्त करते हैं और उनके मनोरंजन पर दिल खोलकर खर्च करते हैं। अत: सरकारी सेवक को ऐसे अवसरों के प्रति सतर्क रहना होता है।

3. शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के शास्तिक प्रावधान—शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के अधीन शासकीय दस्तावेज या सूचना देने के विषय में कर्तव्य की कोई भी लापरवाही एक अपराध है। शासकीय दस्तावेजों और सूचनाओं की युक्ति-युक्त देखरेख में विफलता, जिसके कारण उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, उसकी धारा 3 के अधीन उसी तरह एक अपराध है जैसा कि अनाधिकृत व्यक्तियों पर जान-बूझकर सूचना का प्रकट करना। यह धारा शासकीय गुप्त बातों के विषय में कार्यालय के भीतर या बाहर अविवेकी बातचीत पत्र व्यवहार या संचार पर भी समान रूप से लागू होती है।

4. गोपनीयता शासकीय पत्र व्यवहार भेजने सम्बन्धी प्रावधान—गोपनीय कागज दोहरे आवरण में रखा जाना चाहिये, बाहरी आवरण पर अधिकारी को शासकीय पदनाम से सम्बोधन किया जाना चाहिये, और भीतरी आवरण पर 'गोपनीय' अंकित किया जाना चाहिये तथा उस पर सम्बोधित व्यक्ति का केवल नाम लिखा जाना चाहिये। यदि गोपनीय प्रतिवेदन या पत्रों पर तुरन्त ध्यान देने की जरूरत हो तो बाहरी आवरण पर भी अधिकारी का नाम नहीं लिखा जाना चाहिये।

---

1. शासनादेश सं० 622/11-बी—1971, दिनांक 10-2-1971.

5. **अभ्यावेदन, आदि में गोपनीय सूचना का उद्धरण**—किसी सरकारी सेवक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दिये गये अभ्यावेदन में किसी शासकीय फाइल के दौरान का उद्धरण प्रतिषिद्ध किया गया है। चरित्र-पंजी की प्रविष्टियों का अक्षरश: उद्धरण आपत्तिजनक है, लेकिन कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि उसका यह विश्वास है कि उसकी चरित्र-पंजी उसके बारे में अच्छा कहती है।

उक्त बात प्रतिरक्षा के लिखित कथन तथा अनुशासनिक कार्यवाहियों में स्पष्टीकरण पर भी लागू होगी।

10. चन्दे—कोई सरकारी कर्मचारी, सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके, किसी ऐसे धर्मार्थ प्रयोजन के लिये चन्दा या कोई अन्य वित्तीय सहायता मांग सकता है या स्वीकार कर सकता है या उसके इकट्ठा करने मे भाग ले सकता है, जिसका सम्बन्ध डाक्टरी सहायता, शिक्षा या सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य उद्देश्यों से हो किन्तु उसे इस बात की अनुमति है कि वह इनके अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये चन्दा आदि मांगे।

उदाहरण

कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके, जनता के उपयोग के लिये किसी नल-कूप (ट्यूब-वेल) के बेधन के लिये या किसी सार्वजनिक घाट के निर्माण या मरम्मत के लिये, चन्दा जमा कर सकता है।

नियम 10

टिप्पणियाँ

यह नियम सरकारी सेवकों द्वारा सरकार की पूर्व अनुमति के बिना चन्दा लेने या चन्दा की वसूली में भाग लेने के लिये निर्बन्धन लगाता है। यदि इस प्रकार का कोई निर्बन्धन न लगाया जाये तो सरकारी सेवकों द्वारा चन्दा वसूल करने का अर्थ होगा अनुशासन तथा दक्षता दोनों ही का अन्त।[1]

ऐसे समस्त मामलों में जहां जिला मजिस्ट्रेट या उनके अधीन अधिकारीगण अशासकीय प्रदर्शनियों एवं मनोरंजनों से सम्बद्ध हों, सरकार की अनुमति अवश्य ही प्राप्त की जायेगी।[2]

सरकारी सेवक द्वारा किसी नाटक के खेले जाने के सम्बन्ध में जन समुदाय को टिकटों की बिक्री इस नियम का उल्लंघन होगा।[3]

सरकारी सेवकों को जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड के लिये चन्दा वसूल करने के काम से सम्बन्ध रखने के लिये अनुमति नहीं दी गयी, यद्यपि वह उसमें अपने व्यक्तिगत रूप में चन्दा देने के लिये स्वतंत्र है।[4]

फिर भी, लोक उपयोगिता के अनुमोदित उद्देश्यों की प्रोन्नति में लगी हुई समिति में सरकारी सेवक सेवा कर सकते हैं, किन्तु वह पूर्व अनुमति के बिना कोई चन्दा न मांग ही सकते हैं, न उठा सकते हैं, भले ही इस प्रकार का चन्दा देने का वचन किसी जन सभा में, या अन्यथा, दिया गया हो। चन्दा वसूल किये जाने का कार्य समिति के अशासकीय एवं अवैतनिक कोषाध्यक्ष द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा किया जा सकेगा।

[5][**11. भेंट**—कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो—

---

1. बी० मनमोहन बनाम मैसूर राज्य, ए० आई० आर० 1966 मैसूर 261.
2. शासनादेश स० ए-1388/दो-ए—1970, दिनांक 23-10-1970.
3. वेंटू माधव राव बनाम कलेक्टर, ए० आई० आर० 1925 मद्रास 468.
4. शासनादेश सं० 4662/दो-बी—128/1964, दिनांक 6-1-1965.
5. उ० प्र० सरकारी सेवकों की आचरण (संशोधन) नियमावली, 1988 द्वारा प्रतिस्थापित, उ० प्र० असाधारण गजट दिनांक 17-10-1998 द्वारा प्रकाशित.

(क) स्वयं अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, या किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसका निकट सम्बन्धी न हो, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: कोई भेंट, अनुग्रह धन पुरस्कार स्वीकार नहीं करेगा, या

(ख) अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य को, जो उस पर आश्रित हो, किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसका निकट संबंधी न हो, कोई भेंट, अनुग्रह धन या पुरस्कार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह किसी आत्मीय मित्र से, सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन का दसांश या उससे कम मूल्य का एक विवाहोपहार या किसी रीतिक अवसर पर इतने ही मूल्य का एक उपहार स्वीकार कर सकता है। या अपने परिवार के किसी सदस्य को उसे स्वीकार करने की अनुमति दे सकता है, किन्तु सभी सरकारी कर्मचारियों को चाहिये कि वे इस प्रकार के उपहारों को दिये जाने को भी रोकने का भरसक प्रयत्न करें।

उदाहरण

एक कस्बे के नागरिक यह निश्चय करते हैं कि ''क'' को, जो एक सब-डिवीजनल अफसर है, बाढ़ के दौरान उसके द्वारा की गयी सेवाओं के सराहना स्वरूप एक घड़ी भेंट में दी जाये, जिसका मूल्य उसके मूल वेतन के दसांश से अधिक है। सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना ''क'' उक्त उपहार स्वीकार नहीं कर सकता है।

नियम 11

सार-संग्रह

1. *सीधे या परोक्ष रूप से।*
2. *उपहार, उपदान या पुरस्कार।*
3. *किसी निकट के नातेदार से भिन्न।*
4. *व्यक्तिगत मित्र।*
5. *ऐसे पारितोषिकों के दिये जाने के लिये भी निरुत्साहित करना।*
6. *विदेशी राज्यों से उपहार ग्रहण करना।*
7. *सिनेमा के लिये नि:शुल्क पास का प्रयोग।*
8. *उपहार, पुरस्कार या बख्शीश देना।*
9. *किसी भी शासकीय स्थिति से सम्बन्धित व्यक्तियों से निजी व्यवहार।*
10. *व्यवसाय संव्यवहारों से सम्बन्धित व्यक्तियों से बिना किसी प्रतिफल के मूल्यवान् वस्तुयें प्राप्त करना दण्डनीय है।*

1. सीधे या परोक्ष रूप से—कोई भी सरकारी सेवक सरकार की अनुमति के बिना कोई उपहार न तो स्वयं सीधे-सीधे किसी माध्यम या अभिकर्ता के हस्तक्षेप के बिना और न ही परोक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा स्वीकार करेगा।

2. उपहार, उपदान या पुरस्कार—उपहार बिना प्रतिफल के स्वेच्छा से किये गये सम्पत्ति के अन्तरण होते हैं। यदि कोई सरकारी सेवक बिना प्रतिफल कोई भू-खंड या खाने की मेज स्वीकार करता है तो वह इस नियम के अधीन दुराचरण का दोषी है।

'उपदान' देने वाले की इच्छा पर निर्भर करने वाला धन का भुगतान होता है।

पुरस्कार सेवा या गुण के लिये बदला या पारितोषिक होता है।

कोई सरकारी सेवक न केवल उपहार आदि स्वीकार करने के लिये प्रतिषिद्ध किया गया है, बल्कि अपने परिवार के किसी सदस्य को जो उस पर आश्रित हो, अलावा अपने किसी निकट के नातेदार से, किसी व्यक्ति से कोई उपहार, उपदान या पुरस्कार प्राप्त करने की अनुमति नहीं देगा। निकट के नातेदार से प्राप्त किये जाने वाले उपहार, आदि का मूल्य भी रु० 51.00 से अधिक न होगा। यदि इस प्रकार की कोई अनुमति दी जाये तो वह पारितोषिक के रूप में घूस लेने का सदृश ही होगा।

3. **किसी निकट के नातेदार से भिन्न**—अपने किसी निकट के नातेदार से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से कोई उपहार, उपदान या पुरस्कार प्रतिषिद्ध किया गया है। यदि उसका किसी निकट के नातेदार से प्राप्त करना भी प्रतिषिद्ध कर दिया जाये, तो उसके कारण एक पुत्र को अपने पिता को, जो कि सरकारी सेवक है, सहायता करने से या किसी पिता को अपनी पुत्री अथवा अपने भाई को, जो कि आर्थिक संकट में हो, सहायता करने से प्रतिषिद्ध कर दिया जायेगा।

4. **व्यक्तिगत मित्र**—व्यक्तिगत मित्र का अर्थ है स्वयं अपना मित्र, न कि किसी के परिवार के किसी सदस्य का मित्र। विवाह का कोई पारितोषिक अथवा किसी समारोह के अवसर पर किसी व्यक्तिगत मित्र द्वारा दिया गया पारितोषिक, चाहे उसका मूल्य रु० 51.00 से अधिक भी हो, स्वीकार किया जा सकेगा।

5. **ऐसे पारितोषिकों के दिये जाने के लिये निरुत्साहित करना**—सरकारी सेवक किसी विवाह के पारितोषिक या किसी समारोह के अवसर पर भी पारितोषिकों का दिया जाना निरुत्साहित किये जाने के लिये अपना भरपूर प्रयत्न करेंगे। यदि कोई सरकारी सेवक अपने बच्चों की वर्ष गांठ के उत्सव में लोगों को आमन्त्रित करता है और उनसे रु० 51.00 से अधिक मूल्य के भी हर प्रकार के पारितोषिक स्वीकार करता है, तो इस नियम के अधीन दुराचरण का दोषी होता है। ऐसी स्थिति में, लोगों को, पारितोषिक लाने के लिये निरुत्साहित किये जाने के बजाय, यह साहस प्राप्त करता है कि वह ईद, होली, दीपावली, जैसे पर्वों पर भी पारितोषिक भेजने लगते हैं। निकट के नातेदारों व व्यक्तिगत मित्रों के अलावा, अन्य लोगों द्वारा लाये जाने वाले पारितोषिकों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये।

6. **विदेशी राज्यों से उपहार ग्रहण करना**—संविधान के अनुच्छेद 18 (4) के अधीन राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। प्रायः विदेशी राज्य इस प्रकार की नीति उच्च सरकारी कर्मचारियों को इसलिये अपने बस में करने के लिये अपनाते हैं कि उनसे मूल्यवान तथा गुप्त सूचनायें प्राप्त कर सकें। इस नियम में इस प्रकार का निर्बन्धन अधिरोपित करना राष्ट्र के हित में होगा।

7. **सिनेमा के लिये निःशुल्क पास का प्रयोग**—सिनेमा के लिये निःशुल्क पासों का जारी किया जाना भी इस प्रकार का प्रतिफल रहित उपहार ही है, और उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिये। यह भी बिना पैसे की सेवा का प्रयोग है, जिसे नियम 32 के अधीन प्रतिषिद्ध किया गया है।

8. **उपहार, पुरस्कार या बख्शीश देना**—उक्त नियम में यथानुमन्य के अलावा, उपहार, पुरस्कार या बख्शीश का देना भी सरकारी सेवक की ओर से दुराचरण है।

9. **किसी भी शासकीय स्थिति से सम्बन्धित व्यक्तियों से निजी व्यवहार**—सरकारी सेवक आचरण नियमावली का तथा व्यावहारिक ज्ञान व व्यावहारिक सत्यनिष्ठा की यह मांग है कि कोई सरकारी सेवक ऐसे व्यक्तियों से जो कि उसके शासकीय कर्तव्यों से सम्बन्धित हों, कोई निजी व्यवहार रखे। ऐसे व्यवहारों में प्रवेश करने वाला कोई भी सरकारी सेवक यह जानता है कि वह ऐसा अपने जोखिम पर ही करता है।[1]

10. **व्यवसाय व्यवहारों से सम्बन्धित व्यक्तियों से बिना प्रतिफल के मूल्यवान वस्तुयें प्राप्त करना दण्डनीय है**—किसी सरकारी सेवक द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसके द्वारा सम्पादित कार्य से सम्बन्धित हो, बिना प्रतिफल के कोई मूल्यवान वस्तु प्राप्त करना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 165 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 के अधीन अपराध है। यदि एक कलेक्टर जिसके समक्ष किसी व्यक्ति का मामला विचाराधीन है, उस व्यक्ति का मकान किराये पर लेता है और उससे केवल रु० 50.00 प्रतिमास किराया देने का करार करता है जबकि उसका किराया आसानी से रु० 200.00 प्रति मास आ सकता है, तो कलेक्टर, एक मूल्यवान वस्तु के बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त करता है।

1. कृष्ण नारायण राव बनाम भारत का गणतंत्र, ए० आई० आर० 1958 केरल 136.

यदि कोई सरकारी सेवक भ्रष्ट या अवैध साधनों से अन्यथा अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हुए उपहार प्राप्त करता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 165 के अधीन अपराध करता है।[1]

11-क. कोई सरकारी सेवक—

(1) न तो दहेज देगा और न लेगा उसके देने या लेने के लिये दुष्प्रेरित करेगा, और

(2) न, यथास्थिति, वधू या वर के माता-पिता या संरक्षक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दहेज की मांग करेगा।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनार्थ शब्द "दहेज" का वही अर्थ होगा, जो दहेज प्रतिरोध अधिनियम, 1961 [अधिनियम संख्या 28, 1961] में इसके लिये दिया गया है।

नियम 11-क ***सार-संग्रह***

1. *दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अनुसार 'दहेज' का अर्थ।*
2. *दहेज देना या लेना दुराचरण है।*
3. *दहेल देने या लेने का दुष्प्रेरण।*
4. *आया परम्परागत उपहार दहेज है।*
5. *दहेज की मांग।*
6. *दहेज देने या लेने का करार।*
7. *पत्नी अथवा उसके उत्तराधिकारियों के लिये दहेज।*
8. *विवाह उत्सव में शामिल होने का प्रतिषेध।*

1. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अनुसार 'दहेज' का अर्थ—दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार, दहेज का गठन करने के लिये मुख्य प्रमाण यही है कि सम्पत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति अथवा उपहार के प्रतिफल के रूप में दिया जाये या उसके देने का करार किया जाये, और ऐसे प्रतिफल के बिना कोई विवाह सम्पन्न नहीं हो सकता।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 30 के अनुसार, 'मूल्यवान् प्रतिभूति' शब्द उस दस्तावेज के द्योतक हैं, जो ऐसा दस्तावेज है, या होना तात्पर्यित है, जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अन्तरित निर्बन्धित, निर्वापित किया जाये, छोड़ा जाये या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है, या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है।

यह अपराध असंज्ञेय, जमानतीय एवं अशमनीय है।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 का उद्देश्य समाज में फैली हुयी दहेज प्रथा को समाप्त करना है। केवल दहेज लेना या देना ही अपराध नहीं, है परन्तु विवाह से पूर्व या विवाह के बाद दहेज की मांग करना भी दण्डनीय अपराध है।[2]

2. दहेज देना या लेना दुराचरण है—उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली के अधीन, सरकारी सेवक के लिये दहेज देना या लेना दुराचरण है। यह अलग बात है कि उसने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अधीन कोई अपराध किया हो।

3. दहेज देने या लेने का दुष्प्रेरण—दहेज देने या लेने का दुष्प्रेरण दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अधीन अपराध है। अतः इस नियम के अनुसार सरकारी सेवक द्वारा दहेज देने या लेने का दुष्प्रेरण करना दुराचरण ही है।

1. एल० गोपनदास वाधवानी बनाम राज्य, ए० आई० आर० 1965 उड़ीसा 201.
2. एस० गोपाल रेड्डी बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश, ए० आई० आर० 1996 सुप्रीम कोर्ट 2184 : 1977 एस० सी० क्रिमिनल रूलिंग 197.

4. आगा परम्परागत उपहार दहेज है—भारत सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों की समानता के आधार पर शासनादेश सं० 2322/दो-बी०—149/1957, दिनांक 27 जून, 1958 में यह निदेश जारी किये गये थे कि किसी सरकारी सेवक या उसके आश्रितों द्वारा या उनकी ओर से वधू के माता पिता अन्य नातेदारों से विवाह के समय नकदी के रूप में या किसी अन्य रूप में दहेज प्राप्त करना एक परम्परागत उपहार माना जाना चाहिये, जिसे प्राप्त करने वाला सरकार अथवा नियत प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना स्वीकार कर सकता है। लेकिन, इस प्रकार के उपहारों का उ० प्र० सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 के नियम 24 के अधीन एक प्रतिवेदन सरकार या नियत प्राधिकारी के पास भेजा जाना चाहिये। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के पारित होने पर संघ सरकार ने इन अनुदेशों का संघ गृह मंत्रालय ओ० एम० संख्या 25/37/65-ई० एस० टी० (ए), दिनांक 30 अगस्त, 1965 में पुनर्विलोकन किया। अब दहेज को परम्परागत उपहार नहीं माना जा सकता।

5. दहेज की मांग—किसी सरकारी सेवक द्वारा किसी वधू के माता पिता या उसके अभिभावक से दहेज की मांग करना दुराचरण होगा। वह दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अधीन एक अपराध भी है।

6. दहेज देने या लेने का करार—दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5 के अधीन दहेज देने या लेने का कोई करार शून्य होगा। ऐसे किसी करार को विधि में प्रवृत्त नहीं किया जा सकता। कोई भी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जिसके सीधे या परोक्ष रूप से देने का करार किया जाये, दहेज होती है, और उसका दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अधीन संज्ञान किया जा सकता है। वह इस नियम के अधीन भी एक दुराचरण होगा।

7. पत्नी अथवा उसके उत्तराधिकारियों के लिये दहेज—यदि उस स्त्री से, कि जिसके विवाह के सम्बन्ध में दहेज दिया गया है, भिन्न कोई अन्य व्यक्ति उसे प्राप्त करता है, तो वह व्यक्ति उसे उस स्त्री को अन्तरित कर देगा, और जब तक ऐसा अन्तरण न किया जाये, वह व्यक्ति उसे न्यास के रूप में उस स्त्री के लाभ के लिये अपने पास रखेगा। यदि वह किसी सम्पत्ति को दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 के अधीन अन्तरित करने में विफल रहे, तो उसको उसी धारा के अधीन दण्डित किया जाएगा। सम्पत्ति को न्यास के रूप में धारण करने के आधार पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के अधीन दहेज की मांग करने के लिये धारा 3 के अधीन दहेज प्राप्त करने वाले का दाण्डिक दायित्व समाप्त नहीं हो जाता। इस नियम के अधीन किसी सरकारी सेवक द्वारा किया गया ऐसा कार्य दुराचरण होगा।

8. विवाह उत्सव में शामिल होने का प्रतिषेध—जैसा कि परिशिष्ट चार में दिया गया है, राज्य सरकार ने सरकारी सेवकों को किसी विवाह उत्सव में शामिल होने के लिये प्रतिषिद्ध कर दिया है, जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता कि समारोह के पक्षकारों द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का पालन किया गया है।

12. चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा भेंट, इत्यादि का लिया जाना—इस प्रश्न से सम्बन्धित वैभागिक नियमों को बाधित न करते हुए कोई चिकित्सा पदाधिकारी, अपनी व्यवसायिक सेवाओं के उपलक्ष में, किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह द्वारा सद्भाव से दी गयी कोई ऐसी भेंट, ऐसा अनुग्रह-धन या पुरस्कार स्वीकार कर सकता है जिसका 51.00 रु० या उससे कम हो। किन्तु यदि भेंट, आदि का मूल्य 51.00 रु० से अधिक हो तो उसकी रिपोर्ट सरकार के पास भेजनी होगी।

उदाहरण

एक चिकित्सा पदाधिकारी एक कठिन आपरेशन करता है। आपरेशन सफल होता है। कृतज्ञता प्रकाश-स्वरूप, रोगी उक्त चिकित्सा पदाधिकारी को 300 रु० के मूल्य की अंगूठी उपहार में देता है। उक्त चिकित्सा पदाधिकारी के लिये आवयक है कि वह सरकार के पास उक्त उपहार की एक रिपोर्ट भेजे।

13. रीतिक समारोहों पर कर्णियों (trowels) इत्यादि का उपहार स्वरूप दिया जाना—कोई सरकारी कर्मचारी, सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके, किसी भवन के शिलान्यास या उद्‌घाटन, जैसे किसी रीतिक समारोह के अवसर पर दी गई, कोई कर्णी, चाभी अथवा इसी प्रकार की अन्य वस्तु अपने लिये स्वीकार कर सकता है।

14. सरकारी कर्मचारियों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन—कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जब कि उसने सरकार से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो कोई मान-पत्र या विदाई-पत्र नहीं लेगा न कोई प्रमाण-पत्र स्वीकार करेगा और न अपने सम्मान में या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के सम्मान में आयोजित किसी सभा या सार्वजनिक आमोद में उपस्थित होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस नियम में दी गई कोई बात, किसी ऐसे विदाई समारोह के सम्बन्ध में लागू न होगी, जो सारत: (substantially) निजी तथा अरीतिक स्वरूप का हो, और जो किसी सरकारी कर्मचारी के सम्मान में उसके अवकाश प्राप्त करने (retirement) या बदली के अवसर पर आयोजित हो, या किसी ऐसे व्यक्ति के सम्मान में आयोजित हो जिसने हाल ही में सरकार की सेवा छोड़ी हो।

उदाहरण

'क', जो एक डिप्टी कलेक्टर है, रिटायर होने वाला है। 'ख' जो जिले में एक दूसरा डिप्टी कलेक्टर है, 'क' के सम्मान में एक ऐसा भोज दे सकता है जिसमें चुने हुए व्यक्ति आमंत्रित किये गये हों।

नियम 14

सार-संग्रह

1. *सार्वजनिक प्रदर्शन।*
2. *सरकारी सेवक के सम्मान में।*
3. *मान-पत्र।*
4. *विदाई-पत्र।*
5. *प्रमाण-पत्र।*
6. *सार्वजनिक आमोद।*
7. *सारत: निजी अथवा अरीतिक स्वरूप का।*
8. *अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा विदाई-पत्र या प्रीतिभोज*
9. *किसी पार्क, सड़क, आदि से किसी अधिकारी के नाम का सम्बन्ध।*

1. सार्वजनिक प्रदर्शन—किसी सरकारी सेवक के सम्मान में कोई सार्वजनिक अभिव्यक्ति (Public manifestation) (जन सभा अथवा जुलूस) प्रतिषिद्ध किया गया है। दिन प्रतिदिन के अपने कर्तव्य के निर्वहन में कोई सरकारी सेवक अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकता। कुछ लोग उसके आचरण और व्यवहार से असन्तुष्ट भी हो सकते हैं। वह उसके प्रशंसकों द्वारा आयोजित प्रदर्शन के विरोध में एक दूसरा प्रदर्शन करना चाहेंगे। इस प्रकार, ऐसे कार्य का कोई अन्त नहीं होगा। इससे सरकार को भी उलझन हो सकती।

2. सरकारी सेवक के सम्मान में—'सरकारी सेवक के सम्मान में' का अर्थ होगा सरकारी सेवक के प्रति आदर के प्रतीक के रूप में। एक सरकारी सेवक अनेक सरकारी सेवकों तथा जन समुदाय दोनों ही के सम्पर्क में आता है। उसका अच्छा आचरण और व्यवहार दोनों ही द्वारा समान रूप से स्मरण किया जा सकता है। जब उसका स्थानान्तरण होता है तो वह उसको आदर के प्रतीक स्वरूप या उसके प्रति अपनी प्रशंसा जताने के लिये विदाई देना चाहेंगे। यदि वह एक निजी या अरीतिक स्वरूप का हो तो सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। अन्य दशाओं में सरकार की पूर्व अनुमति जरूरी होगी।

MCQ **3. मान-पत्र**—'मान-पत्र' का अर्थ है वह पत्र जो प्रशंसा प्रकट करे।

4. विदाई-पत्र—'विदाई-पत्र' का अर्थ है विदाई देते समय किया गया कोई भाषण अथवा सम्बोधन।

5. प्रमाण-पत्र—'प्रमाण-पत्र' का अर्थ है आचरण या अर्हताओं का प्रमाण पत्र (इसमें किसी व्यक्ति की सेवाओं के प्रति आदर के प्रतीक स्वरूप सार्वजनिक रूप से दिया गया कोई पारितोषिक भी सम्मिलित है। सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, किसी सरकारी सेवक को कोई प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं करना चाहिये।

6. सार्वजनिक आमोद—'सार्वजनिक आमोद' का अर्थ है कोई उदारता या मनोरंजन जो जन-समुदाय के लिये खुला हो। सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, कोई सरकारी सेवक अपने अथवा किसी अन्य सरकारी सेवक के सम्मान में आयोजित ऐसे किसी आमोद को स्वीकार नहीं करेगा।

7. सारत: निजी या अरीतिक स्वरूप का—'सारत: निजी या अरीतिक स्वरूप का' का अर्थ है 'जो आवश्यक रूप से जन-समुदाय के लिये खुला न हो या जो बिना औपचारिकता के आयोजित किया गया हो'। यदि किसी सरकारी सेवक को अपने स्थानान्तरण, अवकाश ग्रहण या सेवा त्याग के अवसर पर किसी विदाई आमोद में, जो आवश्यक रूप से निजी स्वरूप का हो या जो बिना औपचारिकता के आयोजित किया गया हो शामिल होने के लिये सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की जरूरत नहीं होगी। आमोद का साधारण एवं खर्चीला न होना भी जरूरी है। यदि किसी सरकारी सेवक को किसी व्यक्ति द्वारा उसकी व्यक्तिगत हैसियत में आमंत्रित किया गया, किन्तु उसको विदाई देते समय शंख बजाया गया और आतिशबाजी छुड़ाई गयी, तो ऐसा आमोद सारत: निजी स्वरूप का नहीं रह गया, और इस नियम के अधीन सरकारी सेवक दुराचरण का दोषी हो सकेगा।

8. अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा विदाई-पत्र या प्रीतिभोज—अधिकारियों को विदाई पत्र या उनके सम्मान में अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा आयोजित प्रीतिभोज से विशेष रूप से बचना चाहिये। इससे उन पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ता है।[1]

9. किसी सड़क, पार्क, आदि से किसी अधिकारी के नाम का सम्बन्ध—यदि किसी अधिकारी को यह पता लगे कि किसी व्यक्ति अथवा लोक-निकाय का यह प्रस्ताव है कि उसका नाम किसी भवन, पार्क, आदि से सम्बद्ध किया जाये, तो उसका यह कर्तव्य होगा कि वह सम्बद्ध प्रस्तावक को ऐसा न करने के लिये आग्रह करे।[2]

15. असरकारी व्यापार या नौकरी—कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: किसी व्यापार या कार-बार में नहीं लगेगा और न ही कोई नौकरी करेगा—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार की स्वीकृति प्राप्त किये बिना कोई सामाजिक या धर्मार्थ प्रकार का अवैतनिक कार्य या कोई साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का आकस्मिक कार्य कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इस कार्य के द्वारा उसके सरकारी कर्तव्यों में कोई अड़चन नहीं पड़ती है तथा वह ऐसा कार्य हाथ में लेने से एक महीने के भीतर ही, अपने विभागाध्यक्ष को और यदि वह स्वयं विभागाध्यक्ष हो, तो सरकार को इस बात की सूचना दे दे, किन्तु यदि सरकार उसे इस प्रकार का कोई आदेश दे तो वह ऐसा कार्य हाथ में नहीं लेगा, और यदि उसने उसे हाथ में ले लिया है, तो बन्द कर देगा।

किन्तु अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी सरकारी कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य द्वारा असरकारी व्यापार या असरकारी नौकरी हाथ में लेने की दशा में ऐसे व्यापार या नौकरी की सूचना सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकार को दी जायेगी।"

---

1. शासनादेश सं० 3473/दो-बी-55-1958, दिनांक 8-10-1958.
2. शासनादेश संख्या 2495/दो-बी.

नियम 15

सार-संग्रह

1. *प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: किसी व्यापार या कारबार में लगना।*
2. *व्यापार में विधि विरुद्ध रूप से लगना।*
3. *असरकारी नियोजन।*
4. *पुस्तकें लिखने व छापने तथा उसके लिये रायल्टी प्राप्त करने के लिये सरकार की अनुमति।*
5. *कब पुस्तकें लिखने या कोई कार्य हाथ में लेने के लिये सरकार की अनुमति जरूरी नहीं होती।*
6. *वह शर्तें जिनके अधीन पुस्तकें लिखने व छापने के लिये अनुमति दी जा सकेगी।*
7. *नियम के उल्लंघन के लिये दण्ड।*
8. *विधिमान्यता।*

1. प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: किसी व्यापार या कारबार में लगना—किया जाने वाला व्यापार या कारबार सरकारी सेवक के स्वयं अपने नाम में होना जरूरी है, और सरकारी सेवक उसके लाभ अथवा लाभ के किसी भाग का स्वामी हो। यदि कोई सरकारी सेवक कैश मेमो लिखने में अपने पिता की सहायता करता है वह इस नियम का उल्लंघन नहीं करता। इस नियम के अर्थान्तर्गत यह कोई नियोजन नहीं है।[1]—लेकिन, यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे व्यक्तियों पर जिनसे उसका शासकीय व्यवहार हो, अपने पुत्र की कम्पनी में अंश खरीदने के लिये दबाव डालता है, तो वह इस नियम के अधीन दुराचरण करता है।

2. विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगना—किसी सरकारी सेवक को व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह अपने कर्तव्यों के पालन में गफलत कर सकता है। शासकीय स्थिति में होने के कारण वह अन्य व्यापारियों के विरुद्ध अनुचित फायदा उठा सकता है।[2]

कोई सरकारी सवेक व्यापार में तब लगता है जबकि वह लगातार कोई वस्तु मुनाफा कमाने की दृष्टि से खरीदता है और उसे बेचता है। लेकिन, यदि वह दूसरे लोगों को गेहूं खरीदने के लिये धन उधार देता है और उसकी सट्टेबाजी में हिस्सा नहीं लेता, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह व्यापार में लगा हुआ है, लेकिन जहां कोई पुलिस कान्स्टेबिल पुलिस अधिनियम की धारा 10 के उपबन्धों के उल्लंघन में कोई दुकान चला रहा था, वहां उसको भारतीय दण्ड संहिता की धारा 168 के अधीन दोषी पाया गया।

3. असरकारी नियोजन—राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवा निवृत्ति से पूर्व अवकाश के दौरान असरकारी नियोजन का स्वीकार करने के विषय में यह धारणा किया गया कि वह नियम 15 का उल्लंघनकारी था। ऐसे असरकारी नियोजन के लिये की गई अनुशासनिक कार्यवाही को नियम के गलत निर्देश के आधार पर, जिसके अधीन सेवा से हटाये जाने का दण्ड दिया गया था, चुनौती दी गयी। इसके कारण उसकी विधिमान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पडता।[3]

4. पुस्तकें लिखने व छापने तथा उसके लिये रायल्टी प्राप्त करने के लिये सरकार की अनुमति—इस नियम के अधीन सरकारी सेवक द्वारा नितान्त साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक स्वरूप की पुस्तकों के अलावा, अन्य पुस्तकें लिखने व छापने तथा उसके लिये रायल्टी प्राप्त करने के लिये सरकार की अनुमति जरूरी होती है। जहां लगातार रायल्टी प्राप्त की जानी हो, ऐसी स्वीकृति पहले ही प्राप्त की जायेगी। ऐसी स्वीकृति प्रदान करने में, सरकार इस सम्भाव्यता पर भी विचार करेगी कि ऐसी पुस्तक विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में विहित की जा सकती है और उस स्थिति में शासकीय स्थिति का दुरुपयोग हो सकता है।[4]

---

1. चन्द्र केशोर बनाम ए० जी०, उ० प्र० 1967 ए० एल० जे० 608.
2. उ० प्र० सरकारी कर्मचारियों के आचरण (संशोधन) नियमावली, 1998 द्वारा प्रतिस्थापित.
3. एन० बनाम यू०, ए० आई० आर० 1959 एस० सी० 536.
4. नियुक्ति (ख) विभाग शासनादेश सं० ओ०—3143/दो-बी—1968, दिनांक 11-12-1968.

5. **जब पुस्तकें लिखने या कोई कार्य हाथ में लेने के लिये सरकार की अनुमति जरूरी नहीं होती**—यदि सरकारी सेवक किसी साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक स्वरूप की कोई पुस्तक लिखता है तथा प्रतिशत आधार पर रायल्टी प्राप्त करने का कोई आशय नहीं है, तो सरकार का अनुमोदन जरूरी नहीं होता। फिर भी, वह अपने प्रकाशन से कोई एक मुश्त धनराशि स्वीकार कर सकता है। ऐसा कोई काम हाथ में लेने के एक मास के भीतर वह अपने विभागाध्यक्ष को, और यदि वह स्वयं विभागाध्यक्ष है, तो सरकार को सूचित करेगा।

कोई सरकारी सेवक सरकार की स्वीकृति के बिना सामाजिक अथवा धर्मार्थ रूप का कोई अवैतनिक कार्य भी अपने हाथ में ले सकेगा, किन्तु उसके कारण उसके शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में कोई अड़चन नहीं पड़नी चाहिये, और उसे अपने विभागाध्यक्ष को इस बात की सूचना काम को हाथ में लेने से एक मास के भीतर देना होगा, लेकिन यदि सरकार ऐसा निदेश करे तो वह उस काम को हाथ में नहीं लेगा, और यदि उसने काम में ले लिया हो तो उसको बन्द कर देगा।

6. **वह शर्तें जिनके अधीन पुस्तकें लिखने व छापने के लिये अनुमति दी जा सकेगी**—किसी सरकारी सेवक के पुस्तक लिखने व छापने के लिये अनुमति देने के लिये सरकार ने निम्नलिखित शर्तें निर्धारित किया है—

(1) पुस्तक में सरकार की छापने की आज्ञा नहीं छापनी जानी चाहिये।

(2) लेखक का नाम बिना उसके पद-नाम के पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर दिया जाये। डस्ट कवर पर जहां लेखक का पाठकों से परिचय कराया जाये, उसका शासकीय पद नाम दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

(3) सेवक अपने नाम से पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर अथवा किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर इस बात का कथन करेगा कि पुस्तक में दिये विचार तथा की गयी आलोचनायें स्वयं लेखक की जिम्मेदारी है और सरकार का पुस्तक के प्रकाशन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(4) लेखक को यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि पुस्तक में तथ्य या मत का ऐसा कोई कथन नहीं है जो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की वर्तमान, अथवा हाल की किसी नीति या कार्यवाही की प्रतिकूल विवेचना है।

(5) सरकारी सेवकों को उनके द्वारा लिखित पुस्तकों के विक्रय के आगमों के आधार पर एक मुश्त धनराशि तथा नियमित दोनों ही रूपों में रायल्टी स्वीकार करने की अनुमति इन शर्तों पर दी जा सकेगी, कि—

(क) (i) पुस्तक पूर्णतया सेवा के दौरान अर्जित किये गये ज्ञान की सहायता से लिखी गयी है, अथवा

(ii) पुस्तक सरकारी नियमों, विनियमों या प्रक्रियाओं का संकलन मात्र है। यदि आय रु० 250.00 से अधिक है, या यदि आय चलती रहने वाली हो और प्रति वर्ष रु० 250.00 से अधिक हो तो जब तक कि राज्यपाल विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निदेश न करें, लेखक से यह अपेक्षा की जानी चाहिये कि वह आय का एक तिहाई भाग सामान्य राजस्व में जमा करे।

(ख) (i) पुस्तक सरकारी सेवक द्वारा अपनी सेवा के दौरान अर्जित ज्ञान की सहायता से लिखी गयी है, किन्तु वह सरकारी नियमों व विनियमों या प्रक्रियाओं का संकलन मात्र नहीं है, बल्कि वह उस विषय पर लेखक के पाण्डित्यपूर्ण अध्ययन का परिचय देती है; अथवा

(ii) कार्य का लेखक की शासकीय स्थिति से न तो कोई सम्बन्ध है और न ही ऐसा सम्बन्ध होने की सम्भाव्यता है। उसको पुस्तक के विक्रय के आगमों से अथवा रायल्टी से प्राप्त होने वाली एक मुश्त अथवा चलती रहने वाली आय के किसी भाग को सामान्य राजस्व में जमा करने की जरूरत नहीं है।

7. इस नियम के उल्लंघन के लिये दण्ड—यदि किसी सरकारी सेवक ने सरकार की स्वीकृति के बिना सेवा में बने रहते हुए कोई असरकारी नियोजन स्वीकार कर लिया हो तो उसने आचरण नियमावली के नियम 15 का उल्लंघन किया है। यदि ऐसे सेवक की सेवा से हटाये जाने के सम्बन्ध में होने वाले आदेश में केवल मूल नियमों के नियम 11 का उल्लेख किया गया हो (जिसके अधीन सरकारी सेवक का पूरा समय सरकार की इच्छा पर रहता है), तो उसका अत्यधिक महत्व का होना नहीं माना गया, और उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई अपील खारिज कर दी गयी।[1]

जहां एक नायब तहसीलदार ने नामांत्रण के समय पक्षकारों से फिल्म कम्पनी देहली में, जिसमें उसका पुत्र एक निर्देशक था, अंश खरीदने के लिये कहा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 (1) (घ) के अधीन उसकी दोषसिद्धि के आदेश को उचित माना गया।[2] एक कोचिंग संस्थान चलाने के लिये सरकारी सेवक की सेवा समाप्ति को भी विधिमान्य माना गया।[3]

8. विधिमान्यता—जब तक किसी मामले में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित न किया गया हो सरकारी सेवक का पूरा समय सरकार की इच्छा पर रहता है, और उससे उचित प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किसी भी रीति से काम लिया जा सकता है।[4] यदि सरकारी सेवक को व्यापार करने की अनुमति दे दी जाये, तो वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गफलत कर सकता है। इस नियम द्वारा अधिरोपित युक्तियुक्त निर्बन्धन संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (6) के अधीन परिरक्षित है।[5]

[6]16 कम्पनियों का निबन्धन, प्रवर्तन (Promotion) तथा प्रबन्ध—कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे बैंक या अन्य कम्पनी के निबन्धन, प्रवर्तन या प्रबन्ध में भाग न लेगा, जो इंडियन कम्पनीज ऐक्ट 1913 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निरुद्ध हुआ है—

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1912 (ऐक्ट सं० 2, 1912) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निरुद्ध किसी सहकारी समिति या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 (ऐक्ट सं० 21, 1860) या किसी तत्स्थानीय प्रवृत्त विधि के अधीन निरुद्ध किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या धर्मार्थ समिति के निबन्धन प्रवर्तन या प्रबन्ध में भाग ले सकता है।

नियम 16

टिप्पणियाँ

कोई भी सरकारी सेवक सरकार की अनुमति के बिना, भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 या तत्समय प्रवृत्त किसी तत्रूपी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी बैंक या अन्य कम्पनी के रजिस्ट्रीकरण, प्रवर्तन या प्रबन्ध में हिस्सा नहीं लेगा। वह सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी तत्रूपी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी समिति या किसी साहित्यिक, कलात्मक या धर्मार्थ के रजिस्ट्रीकरण प्रवर्तन एक प्रबन्ध में हिस्सा ले सकेगा। सहकारिता के सिद्धान्तों में सरकार द्वारा प्रतिपादित

1. हुकुम चन्द मल्होत्रा *बनाम* यूनियन ऑफ इण्डिया, ए० आई० आर० 1959 एस० सी० 536.
2. भगवान सहाय *बनाम* पंजाब राज्य, ए० आई० आर० 1960 एस० सी० 487.
3. यशपाल बोहरा *बनाम* यूनियन ऑफ इण्डिया, 1959 एस० एल० आर० 160 (पंजाब).
4. मूल नियमों का नियम 11.
5. नन्द किशोर *बनाम* ए०बी०, उ० प्र० 1967 ए० एल० जे० 608.
6. उ० प्र० सरकारी सेवक आचरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1980 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया.

नीति के अनुसार सदस्यों के आर्थिक हितों का परिवर्धन शामिल है और वह सदस्यों में मितव्ययता, स्वसहायता, पारस्परिक सहायता शिक्षा समाज के लोकतांत्रिक गठन एवं विकास को तथा ईमानदारी, निःस्वार्थता व लाभ कमाने की परिसीमा जैसे अन्य गुणों के विकास की भावना का प्रवर्तन करते हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत समितियां विज्ञान, साहित्य या सूक्ष्म कलाओं, उपयोगी ज्ञान के प्रसार तथा पुस्तकालयों या वाचनालयों आदि की प्रोन्नति के लिये गठित की जाती हैं। कल्याणकारी राज्य में इस प्रकार की समितियां जरूरी होती हैं। अतः सरकार ने ऐसी समितियों की गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिये सरकारी सेवक पर कोई निर्बन्धन अधिरोपित नहीं किया है। वह इन समितियों के चुनावों में भी हिस्सा ले सकता है। लेकिन यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि सरकारी सेवक का इस प्रकार हिस्सा लेना उसके शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में कोई अड़चन न पैदा करेगा। उसको सामान्यतया सरकारी सेवक के आचरण सम्बन्धित नियमों व अनुदेशों का पालन करने से भी छूट नहीं दी जाती। यदि इस नियम के अधीन निर्धारित सिद्धान्तों के विपरीत कार्य करना जरूरी विचार किया जाये तो नियुक्ति विभाग की सहमति प्राप्त की जानी चाहिये।[1]

17. बीमा कारबार—कोई सरकारी कर्मचारी, अपनी पत्नी को या अपने किसी अन्य सम्बन्धी को जो या तो उस पर पूर्णतः आश्रित हो या उसके साथ निवास करता हो उसी ज़िले में जिसमें वह तैनात हो, बीमा अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं देगा।

18. अवयस्कों (Minors) का संरक्षकत्व (guardianship)—कोई सरकारी कर्मचारी, समुचित प्राधिकारी को पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना, उसी पर आश्रित किसी अवयस्क के अतिरिक्त, किसी अन्य अवयस्क (minor) के शरीर या सम्प के विधिक संरक्षक (legal guardianship) के रूप में कार्य नहीं करेगा;

स्पष्टीकरण—(1) इस नियम के प्रयोजन के लिये, आश्रित (dependent) से तात्पर्य किसी सरकारी कर्मचारी की पत्नी, बच्चों तथा सौतेले बच्चों से है, और इसके अन्तर्गत उसके जनक (Parel) बहनें, भाई, भाई के बच्चे और बहिन के बच्चे भी सम्मिलित होंगे, यदि वे उसके साथ निवास करते हों और उस पर पूर्णतः आश्रित हों।

स्पष्टीकरण—(2) इस नियम के प्रयोजन के लिये, समुचित प्राधिकारी (Appropriate Authority) वही होगा, जैसा कि नीचे दिया गया है—

विभागाध्यक्ष डिवीजन के	...	राज्य सरकार
कमिश्नर या कलेक्टर के लिये	...	
जिला जज के लिये	...	उच्च न्यायालय का प्रशासकीय जज
अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिये	...	संबंधित विभागाध्यक्ष

नियम 18

टिप्पणियाँ

किसी संरक्षक को अपने प्रभाराधीन अवयस्क की सम्पत्ति से व्यवहार करने की निर्बन्धित शक्ति होती है। यदि ऐसी आवश्यकता हो तो वह सम्पत्ति को बेच सकता है। किन्हीं परिस्थितियों में अवयस्क विक्रय का इन्कार कर सकेगा और यह कह सकेगा कि ऐसा विक्रय बिना वैध आवश्यकता के किया गया है। लेकिन अवयस्क को ऐसा करने के लिये विधि न्यायालय में केवल वयस्कता प्राप्त कर लेने पर ही जाना होगा। यह भी जरूरी नहीं है कि न्यायालय हमेशा उसके कथन को स्वीकार ही कर ले। प्रबन्ध के और अन्य पहलू भी हैं जिनके द्वारा संरक्षक अवयस्क की सम्पत्ति से लाभ उठा सकता है। अतः सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर यह निर्बन्धन अधिरोपित किया है कि वह समुचित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अपने आश्रितों से भिन्न किसी अन्य अवयस्क के संरक्षक के रूप में कार्य न करेंगे।

1. शासनादेश सं० 19/9/65, नियुक्ति (बी), दिनांक 24-12-1965.

सरकारी सेवक के लिये अनुमति प्रदान करने के लिये समुचित प्राधिकारियों का उल्लेख इस नियम में किया गया है। लेकिन यदि कोई सन्देह हो तो अनुमति प्रदान किये जाने के लिये सरकार के प्रशासनिक विभाग से संपर्क स्थापित किया जायेगा। किसी डिप्टी कलेक्टर के मामले में, राज्य सरकार की नियुक्ति विभाग से इस मामले में संपर्क किया जायेगा।

19. किसी सम्बन्धी (रिश्तेदार) के विषय में कार्यवाही—(1) जब कोई सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में, जो उसका सम्बन्धी हो, चाहे वह सम्बन्ध दूर का या निकट का हो, कोई प्रस्ताव या मत प्रस्तुत करता है या कोई अन्य कार्यवाही करता है, चाहे यह प्रस्ताव मत या कार्यवाही, उक्त सम्बन्धी के पक्ष में अथवा उसके विरुद्ध हो, तो वह प्रत्येक ऐसे प्रस्ताव, मत या कार्यवाही के साथ, यह बात भी स्पष्ट रूप से बता देगा कि यह व्यक्ति विशेष उसका सम्बन्धी है अथवा नहीं और यदि वह उसका ऐसा सम्बन्धी है, तो इस सम्बन्ध का स्वरूप क्या है।

(2) जब किसी प्रवृत्त विधि, नियम या आज्ञा के अनुसार कोई सरकारी कर्मचारी किसी प्रस्ताव, मत या किसी अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्णय करने की शक्ति रखता है, और जब वह प्रस्ताव, मत या कार्यवाही, किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध में है, जो उसका सम्बन्धी है, चाहे वह सम्बन्ध दूर का या निकट का हो, और चाहे उस प्रस्ताव, मत या कार्यवाही का उक्त व्यक्ति विशेष पर अनुकूल प्रभाव पड़ता हो या अन्यथा, वह कोई निर्णय नहीं देगा, बल्कि वह उस मामले को अपने वरिष्ठ पदाधिकारी को प्रस्तुत कर देगा और साथ ही उसे प्रस्तुत करने के कारण तथा सम्बन्ध को भी स्पष्ट कर देगा।

नियम 19

टिप्पणियाँ

किसी सरकारी सेवक द्वारा अपने किसी नातेदार के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही, भले ही वह निष्पक्ष ही हो, लोगों की आलोचना का विषय हो सकती है। यह भी सम्भावना हो सकती है कि सरकारी सेवक अपनी निष्पक्षता दिखाने में अधिक तत्परता से काम करे और अपने नातेदार के प्रति उतना कुछ करने से भी इन्कार कर दे कि जिसका वह हकदार हो, इस प्रकार उसके नातेदार को बिना उसके किसी दोष के न्याय से वंचित कर दिया जा सकता है। अत: राज्य सरकार अपने कर्मचारियों से यह अपेक्षा करती है कि वह इस बात का कथन करें कि वह व्यक्ति जिसके पक्ष में या विरुद्ध वह कोई प्रस्ताव भेज रहे हैं, उनका कोई नातेदार है या नहीं, और यदि वह उनका नातेदार है तो नातेदारी का स्वरूप क्या है। यदि किसी तत्समय प्रवृत्त विधि या आदेश के अधीन मामले में फैसला उसी को करना हो, तो वह कारणों को स्पष्ट करते हुये तथा सम्बद्ध व्यक्ति से अपनी नातेदारी का स्वरूप बताते हुये मामले को अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास भेज देगा।

इस नियम द्वारा अधिरोपित निर्बन्धन एक आज्ञापक प्रतिषेध है, जिसका उल्लंघन किया जाना दुराचरण हो सकेगा।

20. सट्टा लगाना—(1) कोई सरकारी कर्मचारी, किसी लगी हुई पूंजी (investment) में सट्टा नहीं लगायेगा।

स्पष्टीकरण—बहुत ही अस्थिर मूल्य वाली प्रतिभूतियों की सतत् (habitutal) खरीद या बिक्री के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह इस नियम के अर्थ में लगी हुई पूंजियों में सट्टा लगाता है।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई प्रतिभूति या लगी हुई पूंजी, उपनियम (1) में निर्दिष्ट स्वरूप की है अथवा नहीं, तो उस पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

नियम 20

टिप्पणियाँ

सट्टा लगाने का अर्थ है वस्तुओं, आदि का उनकी बाजारी कीमत में उतार-चढ़ाव की आशा में खरीदना व बेचना। इस काम में बड़ा जोखिम होता है। किसी व्यक्ति को या तो अत्यधिक लाभ हो सकेगा या तो अत्यधिक हानि हो सकेगी। लोग अपने को इस आदत से नष्ट कर डालते हैं। यह सरकारी सेवकों के लिये खतरनाक होता है।

भवन स्थलों के लिये भूमि पर जिसके निकट भविष्य में महंगा बिकने के अनुमान है सतत् खरीदना व बेचना सट्टे के रूप में पूंजी लगाना है। किसी भू-खंड का इस उद्देश्य से खरीदना कि उसमें खनिज पदार्थ है जिसे किसी कम्पनी को बेचा जा सकता है, सट्टा में पूंजी लगाया जाना धारण किया गया। तेजी से चढ़ने उतरने वाली मूल्य की प्रतिभूतियों के सतत् क्रय व विक्रय को लगाई गयी पूंजी से सट्टा माना जायेगा। लेकिन अनुसूचित अथवा सहकारी बैंकों में पूंजी लगाने या धन जमा करने पर कोई निर्बन्धन अधिरोपित नहीं किया गया है।

[1]21. लगाई हुई पूंजियां—(1) कोई सरकारी कर्मचारी न तो कोई पूंजी इस प्रकार स्वयं लगायेगा और न अपनी पत्नी या अपने परिवार के किसी सदस्य को लगाने देगा जिससे उसके सरकारी कर्तव्यों के परिपालन में उलझन या प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई प्रतिभूति या लगी हुई पूंजी उपर्युक्त स्वरूप की है अथवा नहीं, तो उस पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

उदाहरण

कोई जिला जज, उस जिले में जिसमें वह तैनात है, अपनी पत्नी या अपने पुत्र को, कोई सिनेमागृह खोलने, या उसमें कोई हिस्सा खरीदने की अनुमति नहीं देगा।

यह नियम किसी सरकारी सेवक या उसके परिवार के किसी सदस्य को धन के किसी ऐसे प्रकार से लगाये जाने पर निर्बन्ध अधिरोपित करता है कि जिससे उसके शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में उलझन या प्रभाव करे।

पूंजी का लगाया जाना उस प्रकार का होना जरूरी है कि जिसमें सरकारी सेवक या उसके परिवार के किसी सदस्य का ऐसे मामलों में जिससे उसके लोक कर्तव्य सम्बन्ध हो, निजी हित हो। यदि किसी जिले में आमोद का प्रभारी अधिकारी अपने पुत्र को एक सिनेमा गृह खोलने या उसमें कोई अंश खरीदने की अनुमति देता है, तो वह इस नियम के अधीन दुराचरण का दोषी है। उसी प्रकार, किसी अधिशासी अभियन्ता का अपने पुत्र को अपने सहायक अभियन्ताओं के हल्के में ठेका लेने की अनुमति प्रदान करने में किया गया आचरण इस नियम द्वारा आच्छादित होगा।

लगायी गयी पूंजी में हर प्रकार की प्रतिभूति, बचत प्रमाण-पत्र, नियत कालिक निक्षेप बचत बैंक एवं डाक घर निक्षेप शामिल हैं।[2]

यदि इस बात में कोई सन्देह हो कि कोई प्रतिभूति या लगाई गयी पूंजी इस नियम से उल्लिखित स्वरूप की है अथवा नहीं, तो सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

[3]22. उधार देना और उधार लेना—(1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जब कि उसने समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास उसके प्राधिकारी की स्थानीय सीमाओं के भीतर, कोई भूमि या बहुमूल्य सम्पत्ति हो, रुपया उधार नहीं देगा और न किसी व्यक्ति को ब्याज पर रुपया उधार देगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी किसी असरकारी नौकर को अग्रिम रूप में वेतन दे सकता है, या इस बात के होते हुये भी कि ऐसा व्यक्ति (उसका मित्र या सम्बन्धी) उसके प्राधिकारी की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई भूमि रखता है, वह अपने किसी जातीय मित्र या सम्बन्धी को, बिना ब्याज के, एक छोटा रकम वाला ऋण दे सकता है।

---

1. उ० प्र० सरकारी सेवक आचरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1980 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया.
2. शासनादेश सं० दो—बी०-200-1954 दिनांक 6 मई, 1965.
3. उ० प्र० सरकारी कर्मचारी आचरण (संशोधन) नियमावली 1998 द्वारा प्रतिस्थापित.

[1](2) कोई भी सरकारी कर्मचारी, सिवाय किसी बैंक, सरकारी समिति या अच्छी साख वाले फर्म के साथ साधारण व्यापार क्रम के अनुसार न तो किसी व्यक्ति से, अपने स्थानीय प्राधिकार की सीमाओं के भीतर, रुपया उधार लेगा, और न अन्यथा, अपने को ऐसी स्थिति में रखेगा जिससे वह उस व्यक्ति के वित्तीय आधार के अन्तर्गत हो जाये, और न वह सिवाय उस दशा के जबकि उसने समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, अपने परिवार के किसी सदस्य को, इस प्रकार का व्यवहार करने की अनुमति देगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी किसी जातीय मित्र या सम्बन्धी से अपने दो माह के मूल वेतन या उससे कम मूल्य का बिना ब्याज वाला एक नितान्त अस्थायी ऋण स्वीकार कर सकता है या किसी वास्तविक (Bohafide) व्यापारी के साथ उधार-लेखा चला सकता है।

(3) जब कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार के किसी पद पर नियुक्ति या बदली पर भेजा जाये जिसमें उसके द्वारा उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन निहित हो, तो वह तुरन्त ही समुचित प्राधिकारी को उक्त परिस्थितियों की रिपोर्ट भेज देगा, और उसके बाद ऐसे आदेशों के अनुसार कार्य करेगा जिन्हें समुचित प्राधिकारी दे।

(4) ऐसे सरकारी कर्मचारियों की दशा में, जो गजटेड पदाधिकारी हैं, समुचित प्राधिकारी सरकार होगी और दूसरे मामलों में, कार्यालयाध्यक्ष समुचित प्राधिकारी होगा।

नियम 22

सार-संग्रह

1. *रुपया उधार देने पर निर्बन्धन।*
2. *रुपया उधार देने के अपवाद।*
3. *रुपया उधार लेने पर निर्बन्धन।*
4. *रुपया उधार लेने के अपवाद।*
5. *उपबन्धों के उल्लंघन का प्रतिवेदन भेजना।*
6. *समुचित प्राधिकारी।*

1. रुपया उधार देने पर निर्बन्धन—उप-नियम (1) के उपबन्धों को मैनुअल आफ गवर्नमेण्ट आर्डर्स के पैरा 99 के साथ पढ़ा जाये जिसमें सरकारी सेवकों को उस राज्य के भीतर जहां वह सेवारत हों, ब्याज पर रुपया चाहे सीधे-सीधे या नातेदारों या सम्पत्तिधारी के अन्य अभिकर्ताओं के माध्यम से प्रतिभूति सहित अथवा बिना प्रतिभूति के, उधार देने से प्रतिषिद्ध किया गया है।

मैनुअल आफ गवर्नमेण्ट आर्डर्स के पैरा 92 में सरकारी सेवक को राज्य के भीतर रुपया उधार देने से पूर्णरूपेण प्रतिषिद्ध किया गया है। लेकिन उक्त नियम 22 किसी सरकारी सेवक को समुचित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से किसी व्यक्ति को ब्याज पर या ऐसी किसी रीति से जिसके द्वारा वापसी या तो धन के रूप में या किसी वस्तु के रूप में प्रभारित की जाये। रुपया उधार देने के लिये अनुज्ञात करती है।

2. रुपया उधार देने के अपवाद—(i) यदि कोई सरकारी सेवक किसी ऐसे संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य है जो कि राज्य में कारबार कर रहा हो, तो इस प्रतिषेध में तब ढील दी जा सकगी जबकि वह यह करार करे कि वह कारबार में कोई सक्रिय हिस्सा नहीं लेता, और वह उस जिले में जहां कि फर्म का संव्यवहार चलाया जा रहा है, सेवारत नहीं है।[2]

(ii) कोई सरकारी सेवक किसी असरकारी नौकर को उसका वेतन अग्रिम के रूप में भुगतान कर सकेगा, या अपने किसी व्यक्तिगत मित्र को या अपने किसी नातेदारों को एक छोटी रकम का ब्याज सहित ऋण दे सकेगा।

3. रुपया उधार लेने पर निर्बन्धन—कोई सरकारी सेवक अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी से रुपया उधार नहीं लेगा या अन्यथा अपने को किसी व्यक्ति के आर्थिक दायित्व के अधीन नहीं

1. उ० प्र० सरकारी कर्मचारी आचरण (संशोधन) नियमावली 1998 द्वारा प्रतिस्थापित.
2. मैनुअल आफ गवर्नमेण्ट आर्डर्स का पैरा 99.

रखेगा। बिना समुचित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के वह अपने परिवार के किसी सदस्य को भी इस प्रकार के
किसी संव्यवहार (transaction) में पड़ने की अनुमति नहीं देगा।

सरकारी सेवक का किसी ऐसे व्यक्ति से रुपया उधार लेना कि जिसके साथ उसका शासकीय व्यवहार
(official dealings) हो, इस नियम का उल्लंघन होगा।[1] यदि वह अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हुये
बेईमानी से रुपया उधार लेता है तो उसको भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 के अधीन भी दोषसिद्ध
किया जा सकेगा। यदि कोई क्लर्क किसी ऐसे व्यक्ति से रुपया उधार लेता है कि जिसके लेखे का वह परीक्षण
कर रहा हो, तो वह अपने नियोजक के साथ विश्वासघात करता है, और वह सेवा से अलग किये जाने योग्य
होगा। जहां कोषागार के हेड क्लर्क ने अपने अधीनस्थ व्यक्ति को अपने साथ रुपया उधार लेने में शामिल होने
के लिये प्रेरित किया, तो उसको अपने उप-विभाग के अध्यक्ष के रूप से अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने के
लिये सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।[2]

4. रुपया उधार लेने के अपवाद—(क) कोई सरकारी सेवक कारबार के साधारण अनुक्रम में किसी
बैंक, सहकारी समिति साख वाले फर्म से रुपया उधार ले सकेगा।

(ख) कोई सरकारी सेवक अपने किसी व्यक्तिगत मित्र अथवा नातेदार से किसी छोटी रकम का ब्याज
रहित वे निरान्त अस्थाई ऋण स्वीकार कर सकेगा, या किसी वास्तविक व्यापारी (bonafide tradesman) के
साथ उधार रोखा चला सकेगा।

5. उपबन्धों के उल्लंघन का प्रतिवेदन भेजना—यदि संयोगवश कोई सरकारी सेवक इस प्रकार के
किसी पद पर नियुक्त या स्थानान्तरित किया जाये जिसमें उसके द्वारा इस नियम के किसी उपबन्धों का
उल्लंघन निहित हो, तो वह तुरन्त ही समुचित प्राधिकारी को उक्त परिस्थितियों का एक प्रतिवेदन भेजेगा।

6. समुचित प्राधिकारी—राजपत्रित अधिकारियों के मामले में सरकार समुचित प्राधिकारी होगी, तथा
अन्य मामलों में कार्यालय अध्यक्ष समुचित प्राधिकारी होंगे।

23. दिवाला और अभ्यासी ऋणग्रस्तता (Habitual indebtedness)—सरकारी कर्मचारी
अपने जातीय मामलों का ऐसा प्रबन्ध करेगा जिससे वह अभ्यासी ऋणग्रस्तता से या दिवाला से बच सके। ऐसे
सरकारी कर्मचारी को, जिसके विरुद्ध उसकी दिवाला होने के सम्बन्ध में कोई विधिक कार्यवाही चल रही
हो, चाहिये कि वह तुरन्त ही उस कार्यालय या विभाग के अध्यक्ष, जो जिससे वह नौकरी कर रहा हो, सब
बातों की रिपोर्ट भेज दे।

नियम 23

सार-संग्रह

1. *अपने निजी कार्यकलापों का प्रबन्ध करना।*	3. *दिवाला।*
2. *अभ्यासी ऋण ग्रस्तता।*	4. *समस्त तथ्यों का प्रतिवेदन भेजना।*

1. अपने निजी कार्यालयों का प्रबन्ध करना—राज्य सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है कि कोई
सरकारी सेवक अपने निजी कार्यकलापों का प्रबन्ध कैसे करता है। वह तो केवल वहीं हस्तक्षेप करेगी जहां
कि ऐसा करना लोकहित में हो। सरकारी सेवक को अपने निजी कार्यकलापों का प्रबन्ध इस प्रकार करना
चाहिये कि वह अभ्यासी ऋणग्रस्तता या दिवाला से बच सके। यह सिद्धान्त लोक-हित में निधारित किया
गया है। ऋण के बोझ से दबा रहने वाला सरकारी सेवक कोई अपराध नहीं करता, लेकिन वह हमेशा अपने
बिगड़े भाग्य को संवारने के लिये साधनों को जुटाने में लगा रहता है, चाहे ऐसा करने में उसकी अपनी
शासकीय स्थिति का दुरुपयोग भी करना पड़े। वह अपना खर्चा चलाने के लिये अवैध परितोषण स्वीकार

1. पब्लिक प्रासीक्यूटर बनाम टी० के० विश्वनाथन, 1971 क्रि० लॉ० ज० 513 (मद्रास).
2. एस० एन० पाण्डेय बनाम जिला मजिस्ट्रेट बलिया, ए० आई० आर० 1960 इला० 55.

[1](2) कोई भी सरकारी कर्मचारी, सिवाय किसी बैंक, सरकारी समिति या अच्छी साख वाले फर्म के साथ साधारण व्यापार क्रम के अनुसार न तो किसी व्यक्ति से, अपने स्थानीय प्राधिकार की सीमाओं के भीतर, रुपया उधार लेगा, और न अन्यथा, अपने को ऐसी स्थिति में रखेगा जिससे वह उस व्यक्ति के वित्तीय आधार के अन्तर्गत हो जाये, और न वह सिवाय उस दशा के जबकि उसने समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, अपने परिवार के किसी सदस्य को, इस प्रकार का व्यवहार करने की अनुमति देगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी किसी जातीय मित्र या सम्बन्धी से अपने दो माह के मूल वेतन या उससे कम मूल्य का बिना ब्याज वाला एक नितान्त अस्थायी ऋण स्वीकार कर सकता है या किसी वास्तविक (Bohafide) व्यापारी के साथ उधार-लेखा चला सकता है।

(3) जब कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार के किसी पद पर नियुक्ति या बदली पर भेजा जाये जिसमें उसके द्वारा उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन निहित हो, तो वह तुरन्त ही समुचित प्राधिकारी को उक्त परिस्थितियों की रिपोर्ट भेज देगा, और उसके बाद ऐसे आदेशों के अनुसार कार्य करेगा जिन्हें समुचित प्राधिकारी दे।

(4) ऐसे सरकारी कर्मचारियों की दशा में, जो गजटेड पदाधिकारी हैं, समुचित प्राधिकारी सरकार होगी और दूसरे मामलों में, कार्यालयाध्यक्ष समुचित प्राधिकारी होगा।

नियम 22

सार-संग्रह

1. *रुपया उधार देने पर निर्बन्धन।*
2. *रुपया उधार देने के अपवाद।*
3. *रुपया उधार लेने पर निर्बन्धन।*
4. *रुपया उधार लेने के अपवाद।*
5. *उपबन्धों के उल्लंघन का प्रतिवेदन भेजना।*
6. *समुचित प्राधिकारी।*

1. रुपया उधार देने पर निर्बन्धन—उप-नियम (1) के उपबन्धों को मैनुअल आफ गवर्नमेण्ट आर्डर्स के पैरा 99 के साथ पढ़ा जाये जिसमें सरकारी सेवकों को उस राज्य के भीतर जहां वह सेवारत हों, ब्याज पर रुपया चाहे सीधे-सीधे या नातेदारों या सम्पत्तिधारी के अन्य अभिकर्ताओं के माध्यम से प्रतिभूति सहित अथवा बिना प्रतिभूति के, उधार देने से प्रतिषिद्ध किया गया है।

मैनुअल आफ गवर्नमेण्ट आर्डर्स के पैरा 92 में सरकारी सेवक को राज्य के भीतर रुपया उधार देने से पूर्णरूपेण प्रतिषिद्ध किया गया है। लेकिन उक्त नियम 22 किसी सरकारी सेवक को समुचित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से किसी व्यक्ति को ब्याज पर या ऐसी किसी रीति से जिसके द्वारा वापसी या तो धन के रूप में या किसी वस्तु के रूप में प्रभारित की जाये। रुपया उधार देने के लिये अनुज्ञात करती है।

2. रुपया उधार देने के अपवाद—(i) यदि कोई सरकारी सेवक किसी ऐसे संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य है जो कि राज्य में कारबार कर रहा हो, तो इस प्रतिषेध में तब ढील दी जा सकगी जबकि वह यह करार करे कि वह कारबार में कोई सक्रिय हिस्सा नहीं लेता, और वह उस जिले में जहां कि फर्म का संव्यवहार चलाया जा रहा है, सेवारत नहीं है।[2]

(ii) कोई सरकारी सेवक किसी असरकारी नौकर को उसका वेतन अग्रिम के रूप में भुगतान कर सकेगा, या अपने किसी व्यक्तिगत मित्र को या अपने किसी नातेदारों को एक छोटी रकम का ब्याज सहित ऋण दे सकेगा।

3. रुपया उधार लेने पर निर्बन्धन—कोई सरकारी सेवक अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी से रुपया उधार नहीं लेगा या अन्यथा अपने को किसी व्यक्ति के आर्थिक दायित्व के अधीन नहीं

1. उ० प्र० सरकारी कर्मचारी आचरण (संशोधन) नियमावली 1998 द्वारा प्रतिस्थापित.
2. मैनुअल आफ गवर्नमेण्ट आर्डर्स का पैरा 99.

रखेगा। बिना समुचित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के वह अपने परिवार के किसी सदस्य को भी इस प्रकार के किसी संव्यवहार (transaction) में पड़ने की अनुमति नहीं देगा।

सरकारी सेवक का किसी ऐसे व्यक्ति से रुपया उधार लेना कि जिसके साथ उसका शासकीय व्यवहार (official dealings) हो, इस नियम का उल्लंघन होगा।[1] यदि वह अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हुये बेईमानी से रुपया उधार लेता है तो उसको भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 के अधीन भी दोषसिद्ध किया जा सकेगा। यदि कोई क्लर्क किसी ऐसे व्यक्ति से रुपया उधार लेता है कि जिसके लेखे का वह परीक्षण कर रहा हो, तो वह अपने नियोजक के साथ विश्वासघात करता है, और वह सेवा से अलग किये जाने योग्य होगा। जहां कोषागार के हेड क्लर्क ने अपने अधीनस्थ व्यक्ति को अपने साथ रुपया उधार लेने में शामिल होने के लिये प्रेरित किया, तो उसको अपने उप-विभाग के अध्यक्ष के रूप से अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने के लिये सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

4. रुपया उधार लेने के अपवाद—(क) कोई सरकारी सेवक कारबार के साधारण अनुक्रम में किसी बैंक, सहकारी समिति साख वाले फर्म से रुपया उधार ले सकेगा।

(ख) कोई सरकारी सेवक अपने किसी व्यक्तिगत मित्र अथवा नातेदार से किसी छोटी रकम का ब्याज रहित व नितान्त अस्थाई ऋण स्वीकार कर सकेगा, या किसी वास्तविक व्यापारी (bonafide tradesman) के साथ उधार लेखा चला सकेगा।

5. उपबन्धों के उल्लंघन का प्रतिवेदन भेजना—यदि संयोगवश कोई सरकारी सेवक इस प्रकार के किसी पद पर नियुक्त या स्थानान्तरित किया जाये जिसमें उसके द्वारा इस नियम के किसी उपबन्धों का उल्लंघन निहित हो, तो वह तुरन्त ही समुचित प्राधिकारी को उक्त परिस्थितियों का एक प्रतिवेदन भेजेगा।

6. समुचित प्राधिकारी—राजपत्रित अधिकारियों के मामले में सरकार समुचित प्राधिकारी होगी, तथा अन्य मामलों में कार्यालय अध्यक्ष समुचित प्राधिकारी होंगे।

23. दिवाला और अभ्यासी ऋणग्रस्तता (Habitual indebtedness)—सरकारी कर्मचारी अपने जातीय मामलों का ऐसा प्रबन्ध करेगा जिससे वह अभ्यासी ऋणग्रस्तता से या दिवाला से बच सके। ऐसे सरकारी कर्मचारी को, जिसके विरुद्ध उसकी दिवाला होने के सम्बन्ध में कोई विधिक कार्यवाही चल रही हो, चाहिये कि वह तुरन्त ही उस कार्यालय या विभाग के अध्यक्ष, जो जिससे वह नौकरी कर रहा हो, सब बातों की रिपोर्ट भेज दे।

नियम 23

सार-संग्रह

1. *अपने निजी कार्यकलापों का प्रबन्ध करना।*
2. *अभ्यासी ऋण ग्रस्तता।*
3. *दिवाला।*
4. *समस्त तथ्यों का प्रतिवेदन भेजना।*

1. अपने निजी कार्यालयों का प्रबन्ध करना—राज्य सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है कि कोई सरकारी सेवक अपने निजी कार्यकलापों का प्रबन्ध कैसे करता है। वह तो केवल वहीं हस्तक्षेप करेगी जहां ऐसा करना लोकहित में हो। सरकारी सेवक को अपने निजी कार्यकलापों का प्रबन्ध इस प्रकार करना चाहिये कि वह अभ्यासी ऋणग्रस्तता या दिवाला से बच सके। यह सिद्धान्त लोक-हित में निर्धारित किया गया है। ऋण के बोझ से दबा रहने वाला सरकारी सेवक कोई अपराध नहीं करता, लेकिन वह हमेशा अपने बिगड़े भाग्य को संवारने के लिये साधनों को जुटाने में लगा रहता है, चाहे ऐसा करने में उसको अपनी शासकीय स्थिति का दुरुपयोग भी करना पड़े। वह अपना खर्चा चलाने के लिये अवैध परितोषण स्वीकार

पब्लिक प्रासीक्यूटर बनाम टी० के० विश्वनाथन, 1971 क्रि० लॉ० ज० 513 (मद्रास).
एस० एन० पाण्डेय बनाम जिला मजिस्ट्रेट बलिया, ए० आई० आर० 1960 इला० 55.

करने के प्रलोभन को भी रोक नहीं पायेगा। यदि संयोगवश उसके वेतन का कोई भाग किसी न्यायालय के आदेश के अधीन कुर्क कर लिया जाये, तो उसकी बदनामी होती है और उसका ख्याति क्षतिग्रस्त हो जाती है। अपने ऋणदाताओं से कार्यालय में भेंट होने से बचने के लिये वह अवकाश पर चला जाता है। परिणाम यह होता है कि सरकारी कार्य की हानि होती है। अतः राज्य सरकार ने यह नियम लोक-नीति के सुदृढ़ सिद्धान्त के आधार पर बनाया है।

2. अभ्यासी ऋणग्रस्तता—किसी अन्य व्यक्ति की तरह एक सरकारी सेवक भी ऋण ले सकता है। जब तक वह ऋण लिये रहता है, वह कोई अपराध नहीं करता। इस नियम के अधीन एक मात्र निर्बन्धन यही अधिरोपित किया गया है कि ऋण लेना उसकी आदत न बन जाये। उसके कारण सरकारी काम काज में कोई अड़चन न पड़े। कोई क्लर्क जो अपने सहयोगियों से तथा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपने सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों से बहुधा ऋण लेता रहता है और उनसे बचने के लिये जल्दी-जल्दी अवकाश पर जाता रहता है। इस नियम के अधीन दुराचरण का दोषी होता है।

3. दिवाला—प्रान्तीय दिवाला अधिनियम की धारा 6 के अनुसार कोई ऋणी व्यक्ति दिवाला का कार्य करता है—

(क) यदि वह अपने ऋणदाताओं को निष्फल करने के लिये या उनके साथ विलम्ब करने के लिये अपनी सम्पत्ति या उसके किसी भाग का अन्तरण करता है,

(ख) यदि वह अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति अथवा उनके एक बड़े भाग का अन्तरण किसी अन्य व्यक्ति को सामान्यता उसके ऋणदाताओं के फायदे के लिये करता है,

(ग) यदि वह अपनी सम्पत्ति का अन्तरण करता है, जो या तो प्रान्तीय दिवाला अधिनियम के अथवा किसी अन्य अधिनियमित (enactment) के अधीन उसके दिवालिया घोषित किये जाने की दशा में एक कपटपूर्ण वरीयता (fraudulent preference) के रूप में शून्य (void) होगा,

(घ) यदि अपने ऋणदाताओं को निष्फल करने या उनके साथ विलम्ब करने के आशय से—

(i) वह उन क्षेत्रों से जहां पर अधियिम का विस्तार हो, चला जाता है या उसके बाहर रहता है,

(ii) वह रहाइशी मकान से या कारबार के सामान्य स्थान से चला जाता है या अन्यथा अनुपस्थित रहता है, या

(iii) वह अपने को इस प्रकार छिपा कर रखता है कि उसके ऋणदाता उससे संचार (communicate) करने से वंचित हो जायें।

(ङ) यदि उसकी कोई सम्पत्ति धन के भुगतान के लिये पारित न्यायालय की किसी डिक्री के निष्पादन मे बेच दी गयी हो,

(च) यदि अधिनियम के उपबन्धों के अधीन दिवालिया घोषित किये जाने के लिये याचिकायें दी जायें,

(छ) यदि वह अपने ऋणदाताओं में से किसी को यह नोटिस दे कि वह उसके ऋणों का भुगतान या तो रोक चुका है, या रोकने वाला है, अथवा

(ज) यदि वह धन के भुगतान के लिये पारित किसी न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में कैद कर लिया गया हो।

4. समस्त तथ्यों का प्रतिवेदन भेजना—यदि कोई सरकारी सेवक दिवाला के लिये वैध कार्यवाही का विषय बन जाता है तो वह तुरन्त ही समस्त तथ्यों का एक प्रतिवेदन उस कार्यालय अथवा विभाग के अध्यक्ष को जहां वह सेवारत है भेजने के लिये बाध्य है। ऐसी कार्यवाहियों से न केवल किसी व्यक्ति के शासकीय

कर्तव्यों तथा उसकी स्थिति पर आंच आती है, बल्कि उससे सरकार की भी प्रतिष्ठा गिर जाती है। समस्त तथ्यों या प्रतिवेदन भेजने में विफलता एक गम्भीर दुराचरण होगी, और उसके कारण वह नौकरी से हटाया नहीं जा सकेगा।

[1]24. **चल, अचल तथा बहुमूल्य सम्पत्ति**—(1) कोई कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जब कि समुचित प्राधिकारी को इसकी पूर्व जानकारी हो, या तो स्वयं अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से, पट्टा, रेहन, क्रय विक्रय या भेंट द्वारा या अन्यथा, न तो कोई अचल सम्पत्ति अर्जित करेगा और न उसे बेचेगा—

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे व्यवहार के लिये, जो किसी नियमित और ख्याति-प्राप्त (reputed) व्यापारी से भिन्न व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया गया हो, समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

उदाहरण

'क', जो एक सरकारी कर्मचारी है, एक मकान खरीदने का प्रस्ताव करता है। उसे समुचित प्राधिकारी को इस प्रस्ताव की सूचना दे देनी चाहिये। यदि यह व्यवहार, किसी नियमित और ख्याति-प्राप्त व्यापारी से भिन्न व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जाना है, तो 'क' को चाहिये कि वह समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति भी प्राप्त कर ले। यही प्रक्रिया उस दशा में भी लागू होगी जब 'क' अपना मकान बेचने का प्रस्ताव करे।

[2](2) कोई सरकारी कर्मचारी जो अपने एक माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की किसी चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई व्यवहार करता है, चाहे वह क्रय, विक्रय के रूप में सम्पादित हो या अन्यथा, तो उसे तुरन्त ही ऐसे व्यवहार की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी के पास भेज देना चाहिये।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय किसी ख्याति-प्राप्त व्यापारी या अच्छी साख के अभिकर्ता (Agent) के साथ या द्वारा या समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ, इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करेगा।

उदाहरण

(1) 'क' जो एक सरकारी कर्मचारी है जिसका मासिक वेतन छः सौ रुपया है और वह सात सौ रुपये का टेप रिकॉर्डर खरीदता है, या

(2) 'ख' जो एक सरकारी कर्मचारी है जिसका मासिक वेतन दो हजार रुपया है और पन्द्रह सौ रुपये में मोटर बेचता है,

किसी भी दशा में 'क' या 'ख' को इस मामले की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी को अवश्य करनी चाहिये। यदि व्यवहार किसी ख्याति प्राप्त व्यापारी से भिन्न प्रकार से किया जाना है तो उसे समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिये।

(3) प्रथम नियुक्ति के समय और तदुपरान्त हर पांच वर्ष की अवधि बीतने पर, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सामान्य मार्ग के जरिये, नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को, ऐसी सभी अचल सम्पत्ति की घोषणा करेगा जिसका वह स्वयं स्वामी हो, जिसे उसने खुद अर्जित किया हो या जिसे उसने दान के रूप में पाया हो या जिसे वह पट्टा या रेहन पर रखे हो, और ऐसे हिस्सों या अन्य लगी हुई पूंजियों की घोषणा करेगा, जिन्हें वह समय समय पर रखे या अर्जित करे, या उसकी पत्नी या उसके साथ रहने वाले या किसी प्रकार भी उस

1. उप-नियम (2) तथा उसके उदाहरण कार्मिक अनुभाग 1 की विज्ञप्ति सं० 9/क-74, दिनांक 27-7-1976 द्वारा प्रतिस्थापित किये गये।
2. उ० प्र० सरकारी कर्मचारी आचरण (संशोधन) नियमावली-1998 द्वारा प्रतिस्थापित

पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा रखी गई हो या अर्जित की गयी हो। इन घोषणाओं में सम्पत्ति, हिस्सों और अन्य लगी हुई पूंजियों के पूरे ब्यौरे दिये जाने चाहिये।

(4) समुचित प्राधिकारी, सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा, किसी भी समय, किसी सरकारी कर्मचारी को यह आदेश दे सकता है कि वह आज्ञा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, ऐसी चल या अचल सम्पत्ति का, जो उसके पास अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के पास रही हो या अर्जित की गयी हो, और आज्ञा में निर्दिष्ट हो, एक सम्पूर्ण विवरण-पत्र प्रस्तुत करें। यदि समुचित प्राधिकारी ऐसी आज्ञा दे तो ऐसे विवरण-पत्र में, उन साधनों (Means) के या उस प्रसाधन (Soiree) के ब्यौरे भी सम्मिलित हों, जिनके द्वारा ऐसी सम्पत्ति अर्जित की गयी थी।

(5) समुचित प्राधिकारी

(क) राज्य सेवा किसी सरकारी कर्मचारी के प्रसंग में, उपनियम (1) तथा (4) के प्रयोजनों के निमित्त, सरकारी होगी और उप-नियम (2) के निमित्त, विभागाध्यक्ष होगा।

(ख) अन्य सरकारी कर्मचारियों के प्रसंग में उप-नियम (1) से (4) तक के प्रयोजनों के निर्मित, विभागाध्यक्ष होगा।

नियम 24

सार-संग्रह

1. *सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यवहार।*
2. *स्थावर सम्पत्ति का अर्जन या निस्तारण।*
3. *समुचित प्राधिकारी की पूर्वस्वीकृति।*
4. *जंगम सम्पत्ति का संव्यवहार।*
   (i) *पूर्व स्वीकृति कब जरूरी नहीं होती?*
   (ii) *पूर्व स्वीकृति कब जरूरी होती है?*
5. *सरकारी सेवक द्वारा नीलाम में बोली लगाने या सम्पत्ति खरीदने पर निर्बन्धन।*
6. *स्थावर सम्पत्ति की घोषणा।*
7. *नियम 24 (4) के अधीन दिये जाने के लिये अपेक्षित विवरण-पत्र में शामिल की जाने वाली सम्पत्ति।*
8. *सरकारी सेवक द्वारा भू-सम्पत्ति का अभिलेख*
9. *समुचित प्राधिकारी।*
10. *जिला रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकरण का प्रतिवेदन।*
11. *सांविधानिक विधिमान्यता का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा।*

1. सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यवहार—जन समुदाय के किसी अन्य व्यक्ति की भांति कोई सरकारी सेवक सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यवहार करने के लिये स्वतंत्र नहीं होता। उसको इस नियम के अधीन अधिरोपित निर्बन्धन के अन्तर्गत ही संव्यवहार करना होता है।

किसी ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कि जिसने इतना धन उपार्जित कर लिया जो जिसे वह आय के ज्ञात प्रसाधनों से संभवतः नहीं बचा सकता था, उचित रूप से और युक्तियुक्त रूप से भ्रष्टाचार की उपधारणा उद्भूत होती है।[1]

यह नियम सुनिश्चित किये जाने के विचार से बनाया गया है कि—

(i) संव्यवहार जिसके किये जाने का प्रस्ताव है, सद्भावनापूर्ण प्रयोजन के लिये है,

(ii) प्रश्नगत सम्पत्ति का अर्जन अथवा विक्रय उचित बाजारी मूल्य पर किया गया है, और उसमें मुनाफाखोरी या सट्टेबाजी का कोई तत्व अन्तर्ग्रस्त नहीं है,

1. बी० आर० बनाम डब्ल्यू, सिविल अपील सं० 160 सन् 1963—सुप्रीम कोर्ट.

(55)

(iii) यह धारण किये जाने के लिये कोई युक्तियुक्त आधार नहीं कि संव्यवहार अधिकारियों द्वारा किसी असम्यक् शासकीय प्रभाव के प्रयोग के फलस्वरूप हुआ, तथा

(iv) प्रस्तावित संव्यवहार के सम्बन्ध में अन्यथा कोई बात आपत्तिजनक है।[1]

2. स्थावर सम्पत्ति का अर्जन या निस्तारण—कोई भी सरकारी सेवक न तो अपने नाम से, न ही अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से, कोई स्थावर सम्पत्ति समुचित प्राधिकारी के ज्ञान के बिना अर्जित अथवा निस्तारित नहीं करेगा। इस नियम के उल्लंघन में किया गया स्थावर सम्पत्ति का कोई अर्जन या निस्तारण दुराचरण होगा।

सरकारी सेवक द्वारा पूर्व स्वीकृति के बिना अपनी पत्नी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम में सम्पत्ति का बेनामी अर्जन दुराचरण होता है।[2] जहां इस बात का कोई साक्ष्य नहीं था कि सम्पत्ति संयुक्त परिवार की निधि से खरीदी गयी है, और सरकारी सेवक ने विहित प्राधिकारी को मामले का प्रतिवेदन नहीं भेजा था, वहां उसके विरुद्ध की गयी कार्यवाही को न्यायोचित धारण किया गया।[3] यदि कोई सरकारी सेवक स्थावर सम्पत्ति को खरीदने के लिये पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने और घोषणा करने में विफल रहता है, तो वह इस नियम के अधीन दुराचरण करता है।

कृषि के प्रयोजन के लिये उसके अथवा उसके किसी निकट के नातेदार के नाम में किये गये भूमि आबंटन की सरकारी सेवक द्वारा सरकार को सूचना दिया जाना जरूरी है।[4]

3. समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति कब जरूरी नहीं होती—यदि किसी स्थावर सम्पत्ति में कोई संव्यवहार किसी नियमित तथा ख्यातिप्राप्त व्यापारी के माध्यम से किया जाये, तो समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति जरूरी नहीं होती, लेकिन जैसे ही संव्यवहार पूर्ण हो जाये, सरकारी सेवक के लिये यह जरूरी हो जाता है कि वह उसके जरूरी ब्यौरे का एक प्रतिवेदन समुचित प्राधिकारी को भेज दे। यदि संव्यवहार किसी नियमित या ख्यातिप्राप्त व्यापारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से किया जाये, तो सरकारी सेवक के लिये समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्रदान करना जरूरी है।

4. जंगम सम्पत्ति का संव्यवहार—सरकारी सेवक द्वारा जंगम सम्पत्तियों के संव्यवहार किये जाने पर भी निर्बन्धन लगाया गया है। स्थावर सम्पत्तियों के सम्बन्ध में संव्यवहार उतने नहीं होते जितना कि जंगम सम्पत्तियों के विषय में होते हैं। सरकारी सेवक अपनी अधिकारिता के भीतर प्रभाव रखता है और वह जंगम सम्पत्तियों के अर्जन व निस्तारण में अपनी इस स्थिति का लाभ उठा सकता है। यदि इस प्रकार का कोई निर्बन्धन अधिरोपित नहीं किया जाता तो सरकारी सेवकों में इस प्रकार के संव्यवहारों के माध्यम से अवैध लाभ कमाने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है।

(i) पूर्व स्वीकृति कब जरूरी नहीं होती?—यदि किसी जंगम सम्पत्ति से सम्बन्धित संव्यवहार का मूल्य सरकारी सेवक के एक मास के वेतन की धनराशि अथवा एक हजार रुपये से अधिक न हो, तो समुचित प्राधिकारी की स्वीकृति जरूरी नहीं होती। यदि कोई जंगम सम्पत्ति सम्बन्धी संव्यवहार, जिसका मूल्य उपरोक्त धनराशि से अधिक भी हो, किसी ख्यातिप्राप्त व्यापारी या साख वाले अभिकर्ता के माध्यम से किया जाये, तो भी समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति जरूरी नहीं होती।

(ii) पूर्व स्वीकृति कब जरूरी होती है?—यदि कोई सरकारी सेवक किसी ऐसी जंगम सम्पत्ति के विषय में, जिसका मूल्य उसके एक मास के वेतन की धनराशि अथवा एक हजार रुपये से अधिक हो, संव्यवहार किसी ख्याति प्राप्त व्यापारी या साख वाले अभिकर्ता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से करे, तो समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति जरूरी होती है।

---

1. ओ० एम०—12/6/60—सी० एस० (एच०), दिनांक 10-3-1960.
2. वाई० पाण्डुरंग स्वामी बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य, ए० आई० आर० 1971 ए० पी० 234.
3. भारत राम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, ए० आई० आर० 1967 पटना 347.
4. शासनादेश सं० 9/3/974—Niyukti-3, दिनांक 11-4-1974.

(56)

5. सरकारी सेवक द्वारा नीलाम में बोली लगाने या सम्पत्ति खरीदने पर निर्बन्धन—कोई अधिकारी या विक्रय से सम्बन्धित किसी कर्तव्य का पालन करने के लिये तैनात कोई व्यक्ति, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, न तो बोली लगायेगा और न ही बेची गई सम्पत्ति में कोई हित अर्जित करेगा या अर्जित करने का प्रयास करेगा।[1]

सम्पत्ति के खरीदने वाला या उसके लिये बोली लगाने वाला लोक सेवक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 169 जो निम्नरूपेण है, के अधीन दोषसिद्ध किया जा सकता है—

"जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक-सेवक के नाते इस बात के लिये वैध रूप से आबद्ध होते हुए कि वह अमुक सम्पत्ति को न तो क्रय करे और न उसके लिये बोली लगाये, या तो अपने निज के नाम में या किसी दूसरे के नाम में, अथवा दूसरों के साथ संयुक्त रूप से, या अंशों में, उस सम्पत्ति को क्रय करेगा, या उसके लिये बोली लगायेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा, और यदि वह सम्पत्ति क्रय कर ली गई है, तो वह अधिहृत कर ली जायेगी।"

राज्य सरकार ने यह भी निर्धारित किया है कि जब तक नीलाम के आरंभ होने से पूर्व ऐसा करने के अपने आशय की विनिर्दिष्ट रूप से सूचना न दे दी हो, और अपने कार्यालय के अध्यक्ष की लिखित अनुमति न प्राप्त कर ली हो, किसी सरकारी सेवक को राज्य सरकार के किसी विभाग की किसी सम्पत्ति पर जो नीलाम द्वारा बेची जा रही हो, दूसरे व्यक्ति के माध्यम से न तो बोली लगाना चाहिये न ही उसे खरीदना चाहिये।

6. स्थावर सम्पत्ति की घोषणा—इस नियम के अधीन प्रत्येक सरकारी सेवक से अपनी नियुक्ति के समय अपने नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष अपने या अपनी पत्नी या अपने परिवार के किसी सदस्य द्वारा जो उसके साथ निवास करता हो या उस पर किसी भी प्रकार आश्रित हो, अर्जित समस्त स्थावर सम्पत्ति की घोषणा करने की अपेक्षा की जाती है। यदि कोई स्थावर सम्पत्ति घोषणा करने के दिनांक के बाद कब्जे में आती है तो सरकारी सेवक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उसके सम्बन्ध में अपने कार्यालय के अध्यक्ष से इस तथ्य की घोषणा एक मास के भीतर करेगा। प्रत्येक पांच वर्ष के अन्तराल पर भी इस प्रकार की घोषणा की जायेगी। इसके अलावा, समुचित प्राधिकारी किसी भी समय सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा सरकारी सेवक से आदेश में विनिर्दिष्ट की गयी अवधि के भीतर उसके अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा धृत अथवा अर्जित इस प्रकार की जंगम अथवा स्थावर सम्पत्ति का एक विस्तृत एवं पूर्ण विवरण देने की अपेक्षा कर सकेगा।

समस्त सम्पत्ति का विस्तृत व पूर्ण विवरण न देना नियम का उल्लंघन करना है और वह दुराचरण माना जायेगा।[2] आस्तियों का गलत विवरण देने तथा आय के ज्ञात प्रसाधनों की तुलना में कहीं अधिक आस्तियों के कब्जे में होने के कारण सरकारी सेवक की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।[3] जहां सरकारी सेवक ने आस्तियों का एक गलत विवरण प्रस्तुत किया, वहां आदेश की अवज्ञा के लिये उसके सेवा से बर्खास्त किये जाने का आदेश का सही होना धारण किया गया।[4] जहां सरकारी सेवक ने अपनी पत्नी द्वारा धृत आस्तियों को छिपाया और इन आस्तियों के कब्जे में था जो उसकी आय के ज्ञात प्रसाधनों के अनुपात में कहीं अधिक थी, वहां सेवा से उसके बर्खास्त किये जाने के आदेश को न्यायोचित माना गया।[5]

1. व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आदेश 21, नियम 73.
2. टी० पाण्डुरंगा बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य, ए० आई० आर० 1971 ए० पी० 234.
3. असम राज्य बनाम महेन्द्र कुमार दास, ए० आई० आर० 1970 एस० सी० 1255.
4. बंश मोहन नाथ बनाम डिस्ट्रिक्ट कण्ट्रोलर ऑफ स्टोर्स, ए० आई० आर० 1970 कलकत्ता 131.
5. हरगोविन्द शर्मा बनाम एस० सी० कागटी, ए० आई० आर० 1960 असम 141.

7. नियम 24 (4) के अधीन दिये जाने के लिये विवरण-पत्र में शामिल की जाने वाली सम्पत्ति—समुचित प्राधिकारी किसी भी समय किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी सरकारी सेवक से उसके या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा धृत या अर्जित जंगम या स्थावर सम्पत्ति का विस्तृत तथा पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा। नियम 24 (4) के अधीन सरकारी सेवक द्वारा प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित विवरण में उसके अथवा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा धृत समस्त ऐसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का ब्यौरा शामिल किया जाना चाहिये जिसका मूल्य पांच हजार रुपये से अधिक हो, चाहे वह उसके द्वारा खरीदी गयी हो, या उसकी पत्नी का स्त्री धन हो या वह दहेज या उपहार के रूप में प्राप्त की गयी हो। विवरण में नकदी रुपया या बैंक अथवा डाकघर में जमा रुपया तथा गृहस्थी के सामान जैसे—आभूषण, वस्त्र, फर्नीचर, रेडियो टेलीविजन, मशीनरी आदि जिनका मूल्य पांच हजार रुपये से अधिक हो, शामिल किया जायेगा।[1] उपनियम (2) में संशोधन हो जाने के कारण, पांच हजार रुपये का इस प्रकार अर्थ किया जा सकेगा कि एक मास का वेतन या एक हजार रुपये।

8. सरकारी सेवक द्वारा धृत भू-सम्पत्ति का अभिलेख—घोषणा-पत्र उस कार्यालय में रख लिया जायेगा जहां कि सरकारी कर्मचारी तत्समय सेवारत हो, सिवाय उस परिस्थिति के कि जहां सेवा पुस्तिका या चरित्र पंजी अनुरक्षित नहीं की जाती।

ऐसी परिस्थितियों में जहां कि सेवा पुस्तिका या चरित्र पंजी अनुरक्षित की जाती है, सम्पत्ति धारण करने का तथ्य या वह तथ्य कि कोई सम्पत्ति धारण नहीं की जा रही है, प्रथम नियुक्ति पर या पश्चातवर्ती घोषणा प्राप्त होने पर कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर से युक्त चरित्र पंजी या सेवा पुस्तिका में प्रविष्ट किया जायेगा।

जहां चरित्र में पंजी या सेवा पुस्तिका अनुरक्षित नहीं की जाती, वहां घोषणा विभागाध्यक्ष को अग्रसारित कर दी जायेगी या राज्य सेवा के सदस्यों के मामले में, वह सरकार को अग्रसारित की जायगी, और यथास्थिति, विभागाध्यक्ष या सरकार द्वारा अनुरक्षित रजिस्टरों में समान प्रविष्टियां कर दी जायेंगी।[2]

शासनादेश संख्या 2001/दो-बी—2001-1954, दिनांक 6-6-1956 में भी यह अनुदेश जारी किया गया है कि सरकारी सेवकों द्वारा अर्जित की गयी, जंगम तथा/या स्थावर सम्पत्तियों के सम्बन्ध में दाखिल किये गये घोषणा पत्रों को उनकी चरित्र पंजी में अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा।

9. समुचित प्राधिकारी—राज्य सेवा में होने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में समुचित प्राधिकारी—

(क)	स्थावर सम्पत्ति के अर्जन तथा निस्तारण के प्रयोजनार्थ तथा सरकारी कर्मचारियों से सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा उनके द्वारा धृत तथा अर्जित जंगम या स्थावर सम्पत्ति का पूर्ण एवं विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने के लिये,	सरकार होगी
	तथा	
(ख)	जंगम सम्पत्ति के विषय में संव्यवहार के लिये अन्य सरकारी कर्मचारियों के मामले में, पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये विभागाध्यक्ष प्राधिकारी होगा।	विभागाध्यक्ष होगा।

10. जिला रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकरण का प्रतिवेदन—स्थावर सम्पत्ति सम्बन्धी ऐसे अन्तरण विलेखों (deeds of transfer) के जिनमें सरकारी सेवक पक्षकार हों, रजिस्ट्रीकरण के समस्त मामलों का एक प्रतिवेदन जिला रजिस्ट्रार द्वारा उन विभागाध्यक्ष वृत्तों के आयुक्त, जिलाधिकारी अथवा जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजा जायेगा कि जिसके अधीनस्थ ऐसे कर्मचारी कार्यरत हों।[3]

1. शासनादेश सं० 76/63/75 (182 ई) र-3 दिनांक 22 नवम्बर, 1975.
2. एम० जी० ओ० का पैरा 103.
3. एम० जी०-ओ० का पैरा 104 तथा रजिस्ट्रेशन मैनुअल, भाग दो, का पैरा 150.

(58)

11. **सांविधानिक विधिमान्यता का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा**—ऐसे नियमों के, जो कि शक्तियाधीन (intra vires) हों, उल्लंघन में सम्पत्ति अर्जित करने वाले किसी व्यक्ति का सम्पत्ति में इतना पर्याप्त हित नहीं होता कि वह सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले नियमों की सांविधानिक विधिमान्यता के विषय में प्रश्न उठा सके।[1]

25. सरकारी कर्मचारियों के कार्यों तथा चरित्र का प्रतिसमर्थन (Vindication)— कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृत प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे सरकारी कार्य का, जो प्रतिकूल आलोचना या मानहानिकारी अपेक्षा का विषय बन गया हो प्रतिसमर्थन करने के लिए, किसी समाचार-पत्र की शरण न लेगा।

स्पष्टीकरण—इस नियम की किसी बात के सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायेगा कि किसी सरकारी को, अपने जातीय चरित्र का या उसके द्वारा निजी रूप में किये गये किसी कार्य का प्रतिसमर्थन करने से प्रतिषेध किया जाता है।

नियम 25

सार-संग्रह

1. *किसी शासकीय कार्य का प्रतिसमर्थन।*
   (क) *समाचार पत्र की शरण।*
   (ख) *विधि न्यायालय की शरण।*
2. *निजी हैसियत से किये गये कार्य का प्रति समर्थन।*
3. *क्या यह नियम अनुच्छेद 14 का उल्लंघनकारी है।*

1. किसी शासकीय कार्य का प्रतिसमर्थन—सरकारी सेवकों का अपना एक अलग ही वर्ग होता है। जब तक वह सेवा में रहते हैं, उन्हें सरकारी सेवक आचरण नियमावली के उपबन्धों का अनुपालन करना होता है। लेकिन, साथ ही साथ उनको अपने शासकीय कार्य या ऐसे कार्य का जो उन्होंने अपने निजी रूप में किया हो, जो कि प्रतिकूल आलोचना या मानहानिकारी आक्षेप का विषय बन गये हों, प्रतिसमर्थन करने के लिये किसी विधि न्यायालय की शरण लेने से पूर्णतया वंचित भी नहीं किया जा सकता।

(क) समाचार पत्र की शरण—सिवाय सरकार की पूर्व स्वीकृति के कोई सरकारी सेवक किसी शासकीय कार्य का जो कि प्रतिकूल आलोचना या मानहानिकारी आक्षेप का विषय बन गया हो, प्रतिसमर्थन करने के लिये समाचार पत्र की शरण नहीं लेगा। इसका स्पष्ट कारण यही है कि कभी-कभी समाचारपत्रों में प्रकाशित विवाद सरकार के लिये उलझनें पैदा कर देते हैं।

(ख) विधि न्यायालय की शरण—राज्य सरकार ने नियम 25 का संशोधन करके सरकारी सेवक पर अपने ऐसे शासकीय कार्य के प्रतिसमर्थन के लिये जो प्रतिकूल आलोचना या मानहानिकारी आक्षेप का विषय बन गया हो, बिना सरकार की पूर्व स्वीकृति के न्यायालय की शरण लेने के विषय में अधिरोपित निर्बन्धन हटा लिया है। कोई सरकारी सेवक अपराध के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, की धारा 199 (6) के अधीन अधिकारिता रखने वाले किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवार दाखिल कर सकेगा। राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके लोक अभियोजक भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 199 के अधीन लिखित परिवाद दाखिल कर सकेगा।

सरकारी सेवक की ख्याति मूल्यवान होती है[2] उसे क्षतिग्रस्त न होने दिया जाये।

2. निजी रूप में किये गये कार्य का प्रति समर्थन— किसी सरकारी सेवक पर अपने निजी चरित्र या अपने द्वारा निजी हैसियत में किये गये किसी कार्य का प्रतिसमर्थन करने के लिये कोई निर्बन्धन अधिरोपित नहीं किया गया है।

1. ए० आई० आर० 1965 एस० सी० 82 (विश्वनाथ).
2. भारत सरकार बनाम तारक नाथ घोष, (1971) 1 एस० सी० डब्ल्यू० आर० 918.

3. क्या यह नियम अनुच्छेद 14 का उल्लंघनकारी है—भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने निजी चरित्र या निजी हैसियत में किये गये किसी कार्य का प्रतिसमर्थन करने का अधिकार प्राप्त है। सरकारी सेवक को भी यह अधिकार प्राप्त है। उस पर एक मामूली निर्बन्धन अपने ऐसे शासकीय कार्य के प्रतिसमर्थन करने के मामले में अधिरोपित किया गया है, जो कि प्रतिकूल आलोचना या मानहानिकारी आक्षेप का विषय बन गया हो। सरकारी सेवकों का अपना एक अलग सुपरिभाषित वर्ग है, जिसके विशेष कर्तव्य एवं विशेष अधिकार होते हैं। उपरोक्त विभेदात्मक व्यवहार अनुच्छेद 14 का उल्लंघनकारी नहीं है। जब अन्तर अयुक्त या मनमाना हो तभी यह विभेद (discrimination) की कोटि में जायेगा।[1]

[2]26. विज्ञप्ति सं० 3110/2-बी-32-52, दिनांक 13 अगस्त, 1960 द्वारा हटाया गया।

27. असरकारी या अन्य बाह्य प्रभाव (Outside influence) का मतार्थन—कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा से सम्बन्धित अपने हितों से सम्बद्ध किसी मामले में कोई राजनीतिक या अन्य बाह्य साधनों से न तो स्वयं या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा कोई प्रभाव डालेगा या प्रभाव डालने का प्रयास करेगा।

स्पष्टीकरण—सरकारी कर्मचारी की यथास्थिति पत्नी या पति या अन्य सम्बन्धी द्वारा किया गया कोई कार्य जो इस नियम की व्याप्ति के समर्थन के अन्तर्गत हो, के सम्बन्ध में, जब तक कि इसके विपरीत प्रमाणित न हो जाये, यह माना जायेगा कि वह कार्य सम्बन्धित कर्मचारी की प्रेरणा या मौन स्वीकृत से किया गया।

उदाहरण

'क' एक सरकारी कर्मचारी है और 'ख' 'क' के कुटुम्ब का एक सदस्य है; 'ग' एक राजनीतिक दल है और 'ग' के अन्तर्गत 'घ' एक संगठन है। 'ख' ने 'ग' में पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर ली और 'घ' एक पदाधिकारी हो गया। 'घ' के द्वारा 'ख' ने 'क' की बात का समर्थन करना प्रारम्भ किया। यहां तक कि 'ख' ने 'क' के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध संकल्प प्रस्तुत किया। 'ख' का यह कार्य उपर्युक्त नियम के उपबन्धों का उल्लंघन होगा और उसके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह 'क' की प्रेरणा या उसकी मौन स्वीकृति से किया गया है, जब तक कि 'क' यह न प्रमाणित कर दे कि ऐसा नहीं था।

नियम 27

सार-संग्रह

1. *सरकार के सदस्यों, आदि से सेवा सम्बन्धी मामलों पर साक्षात्कार।*
2. *राजनैतिक अथवा बाह्य प्रभाव।*
3. *अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन जरूरी होते हैं।*

1. सरकार के सदस्यों, आदि से सेवा सम्बन्धी मामलों पर साक्षात्कार—सिवाय अपने ठीक ऊपर के अधिकारी के माध्यम से, सरकारी सेवक तथा सेवा संघ सेवा सम्बन्धी प्रश्नों के विषय में चाहे वह व्यक्तिगत रूप के हों अथवा सामान्य रूप के हों, सरकार के सदस्यों, उप-मंत्रियों, आदि से सम्पर्क नहीं करेंगे। साक्षात्कार उचित मार्ग द्वारा पहले से समय नियत करा कर ही किया जा सकेगा। यह सरकार के सदस्यों पर अपने व्यक्तिगत मामलों के सम्बन्ध में जो सरकार के समक्ष फैसले के लिये पेश किये जायें निजी लोगों द्वारा भी प्रभाव डालने का प्रयत्न नहीं करेंगे। शासकीय औपचारिक भेंटों के समय भी सेवा सम्बन्धी व्यक्तिगत सेवा सम्बन्धी मामलों पर बातचीत करने का अनुरोध नहीं करना चाहिये।[3]

उक्त निर्देश सेवाओं में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिये किया गया है, जो कि दक्षता एवं लोक-कल्याण के लिये जरूरी है।

---

1. आत्मा राम बनाम जी० सी० सक्सेना, ए० आई० आर० 1962 इला० 507 तथा ए० आई० आर० 1957 एस० सी० 397.
2. विज्ञप्ति सं० 1610/2-बी-152 92)—60, दिनांक 3 अगस्त 1960 द्वारा संशोधित.
3. एम० जी० ओ० का पैरा 98.

2. राजनैतिक अथवा बाह्य प्रभाव—राजनैतिक व्यक्तियों तक सेवा सम्बन्धी मामलों के सम्बन्ध में पहुंचना अथवा उन पर अशासकीय प्रभाव डालना इस नियम के अधीन दुराचरण होगा। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जब कि सेवा संघ राजनैतिक व्यक्तियों तक सरकार पर अपनी शिकायतों को दूर कराने के लिये प्रभाव डालने के लिये पहुंचते हैं। व्यक्तिगत मामलों में भी इस प्रकार की नीति अपनाई जाती है। सरकारी सेवक सरकार के सदस्यों तथा उच्च अधिकारियों के साधु संन्यासियों एवं महन्तों से उनके दर्शनार्थ मिलने का भी लाभ उठाते हैं, और उन साधु महन्तों से अपने मामले के सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिये अनुरोध करते हैं। इन तरीकों को अपनाने के लिये सरकारी सेवकों के लिये कोई न्यायोचित्य नहीं है, विशेष रूप से जबकि ऐसी शिकायतों को दूर कराने के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। अपील तथा व्यपदेशन के अलावा, अभ्यावेदन करने का भी प्रावधान वर्तमान है। कोई व्यक्ति अपने मामले का स्पष्टीकरण देने के लिये उच्च अधिकारियों से साक्षात्कार की भी वांछा कर सकता है।

3. अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन (Objective assessment) जरूरी होता है—समुचित प्राधिकारी द्वारा समस्त परिस्थितियों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किये जाने के पश्चात् ही अनुशासनिक कार्यवाही की जानी चाहिये। वह किसी बाह्य प्राधिकारी के कहने से या उसके निदेश पर नहीं की जानी चाहिये। दूसरे शब्दों में, शक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाना जरूरी है।[1]

[2]**27.-क. सरकारी सेवकों द्वारा अभ्यावेदन**—कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उचित माध्यम से और ऐसे निदेशों के अनुसार जिन्हें सरकार समय-समय पर जारी करे, व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को कोई अभ्यावेदन नहीं करेगा। नियम 27 का स्पष्टीकरण इस नियम पर भी लागू होगा।'

28. अनाधिकृत वित्तीय व्यवस्थायें—कोई सरकारी कर्मचारी किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, कोई ऐसी वित्तीय व्यवस्था नहीं करेगा जिससे दोनों में से किसी एक को या दोनों ही को, अनधिकृत रूप से तत्समय प्रवृत्त किसी नियम के विशष्ट (specific) या ध्वनित (implied) उपबन्धों के विरुद्ध किसी प्रकार का लाभ हो।

उदाहरण

(1) 'क', किसी कार्यालय में एक सीनियर क्लर्क है, और स्थानापन्न रूप से पदोन्नति पाने का अधिकारी है। 'क' को इस बात का भरोसा नहीं है कि वह उस स्थानापन्न पद के अपने कर्तव्यों का सन्तोषजनक रूप से निर्वहन कर सकता है। 'ख' जो एक जूनियर क्लर्क है कुछ वित्तीय प्रतिफल को दृष्टि में रखकर 'क' को निजी तौर पर मदद देने को तैयार होता है। तद्नुसार 'क' और 'ख' वित्तीय व्यवस्था करते हैं। दोनों ही इस प्रकार नियम तोड़ते हैं।

(2) यदि क, जो किसी कार्यालय का अधीक्षक है, छुट्टी पर जाये, तो ख, को कार्यालय का सबसे सीनियर असिस्टेंट है, स्थानापन्न रूप से कार्य करने का अवसर पा जायेगा। यदि क, और ख के साथ, स्थानापन्न भत्ते में एक हिस्सा लेने की व्यवस्था करने के पश्चात् छुट्टी पर जाये, तो क और ख दोनों ही नियम भंग करेंगे।

नियम 28

टिप्पणियाँ

लोग सरकारी सेवक द्वारा एक उच्च नैतिक स्तर बनाये रखने की आशा करते हैं। उच्च नैतिक स्तर रखने वाला लेखपाल भी समाज में आदर का पात्र होता है, जबकि एक भ्रष्ट अधिकारी के विषय में, चाहे उसकी हैसियत कुछ भी हो, अप-शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

1. सी॰ ई॰ इरानीमोस बनाम केरला राज्य, 1970 एस॰ एल॰ आर॰ 520.
2. यह नियम कार्मिक अनुभाग—एक की विज्ञप्ति सं॰ 9/6/1974, दिनांक 27-7-1976 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

(61)

अप्राधिकृत वित्तीय व्यवस्था में शामिल होना एक प्रकार का भ्रष्टाचार ही है। इस कथन की पुष्टि ऊपर दिये गये दृष्टान्त ही से होती है। ऐसी व्यवस्था सरकारी सेवकों के बीच हो सकती है, जैसा कि दृष्टान्त में दिया गया है, अथवा एक सरकारी सेवक व एक अशासकीय व्यक्ति के बीच भी हो सकती है। एक जिला पूर्ति अधिकारी जो एक वनस्पति घी के थोक विक्रेता के साथ एक व्यवस्था में शामिल होकर व्यापारी द्वारा यथावांछित उसके विक्रय के लिये परमिट जारी करता है, और उसके बदले में प्रति टीन एक-आध रुपये की आशा करता है, इस नियम के अधीन दुराचरण करता है।

[1]29. बहु-विवाह—(1) कोई सरकारी कर्मचारी, जिसकी एक पत्नी जीवित है, इस बात के होते हुए भी कि तत्समय उस पर लागू किसी वैयक्तिक विधि के अधीन उसे इस प्रकार की बाद की दूसरी शादी करने की अनुमति प्राप्त है, बिना पहले सरकार की अनुमति प्राप्त किये दूसरा विवाह नहीं करेगा।

(2) कोई महिला सरकारी कर्मचारी, बिना पहले सरकार की अनुमति प्राप्त किये, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसकी एक पत्नी जीवित हो, विवाह नहीं करेगी।

नियम 29

सार-संग्रह

1. *बहु-विवाह प्रतिषिद्ध किया गया है।*
2. *जीवित है।*
3. *हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन स्थिति।*
4. *बहु-विवाह भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय है।*
5. *प्रावधान मुसलमान सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होता है।*
6. *पहली पत्नी के तलाक के आधार पर दूसरा विवाह किया गया। क्या इस मामले का विनिश्चय विभागीय कार्यवाही में किया जा सकता है।*

1. बहु-विवाह प्रतिषिद्ध किया गया है—बहु-विवाह की परिभाषा इस प्रकार की जा सकेगी कि कोई व्यक्ति एक ही समय में दो पत्नियाँ या दो पति रखे। कोई सरकारी सेवक, जिसकी एक पत्नी जीवित हो, सरकार की पूर्व अनुमति के बिना दूसरा विवाह नहीं कर सकता।

सरकार ने एक नियम प्रख्यापित करते हुए किसी व्यक्ति को जिसके एक से अधिक पत्नियां हों, अपने अधीन सेवाओं में या पदों पर नियुक्ति किये जाने से वर्जित कर दिया है। फिर भी, यदि राज्यपाल महोदय का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के अन्तर्गत से छूट दे सकते हैं।[2]

सरकार ने किसी महिला अभ्यर्थी को भी, जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है जिसकी एक पत्नी जीवित है, अपने अधीन सेवाओं में या पदों पर नियुक्त किये जाने से वर्जित कर दिया है।[3] यदि कोई नकारात्मक की गयी घोषणा गलत पाई जाये तो ऐसा व्यक्ति सेवा से बर्खास्त किये जाने की दायित्वाधीन होगा।

2. जीवित है—बहु-विवाह का गठन करने के लिये यह संदर्शित किया जाना जरूरी है कि दूसरा विवाह किये जाने के दिनांक पर पति अथवा पत्नी जीवित थी।

3. हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन स्थिति—हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अधीन स्थित यह है कि उसकी धारा 5, खंड (i) के साथ पठित धारा 17 के अधीन किसी पति या पत्नी के जीवनकाल में दूसरा विवाह शून्य होता है।[4] यह हिन्दू महिला व पुरुष दोनों ही पर लागू होती है। इस अधिनियम की धारा

---

1. यह नियम कार्मिक अनुभाग—एक की विज्ञप्ति सं० 22/2/69, दिनांक 20-10-1976 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
2. शासनादेश सं०० 4802/दो-बी—118—1954 दिनांक 19-9-1957.
3. शासनादेश सं० 2795/दो-बी—118-1954, दिनांक 10-9-1957.
4. शासनादेश सं० 3592/दो-बी-36, दिनांक 14-9-1956.

578

17 बहु-विवाह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 तथा 495 के अधीन दण्डनीय बनाती है, किन्तु जहां कहीं व्यथित पक्षकार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 199 (i) के अधीन परिवाद दायर करके कोई कार्यवाही नहीं करता, वहां तब भी सरकारी सेवक के विरुद्ध यथास्थिति, अपनी प्रथम पत्नी। अपने प्रथम पति के जीवनकाल में दूसरा विवाह करने के लिये इस नियम के अधीन कार्यवाही की जा सकती है।[1]

4. बहु-विवाह भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय है—भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 निम्न रूपेण है—

"जो कोई पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवनकाल में होता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डित होगा।"

अपवाद—इस धारा का विस्तार ऐसे किसी व्यक्ति पर नहीं है, जिसका ऐसे पति या पत्नी के साथ विवाह सूक्ष्म अधिकारिता के न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया हो;

और न किसी ऐसे व्यक्ति पर है जो पूर्व पति या पत्नी के जीवनकाल में विवाह कर लेता है, यदि ऐसा पति या ऐसी पत्नी उस पश्चात्वर्ती-विवाह के समय ऐसे व्यक्ति से सात वर्ष तक निरन्तर अनुपस्थित रहा है, और उस काल के भीतर ऐसे व्यक्ति ने यह नहीं सुना हो कि वह जीवित है, परन्तु यह तब जब कि ऐसा पश्चात्वर्ती विवाह करने वाला व्यक्ति उस विवाह के होने से पूर्व उस व्यक्ति को जिसके साथ ऐसा विवाह होता है, तथ्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी, जहां तक कि उसका ज्ञान उसको हो, दे दे।"

यह धारा ऐसे हिन्दू अथवा मुसलमान पुरुषों पर लागू नहीं होती जिनके लिये एक से अधिक पत्नियों साथ विवाह करना अनुज्ञात किया गया है, लेकिन वह हिन्दू तथा मुसलमान महिलाओं पर कोई और ईसाई व पारसी पुरुषों एवं महिलाओं दोनों ही पर लागू होती है। वह व्यक्ति कि जिससे कोई महिला दूसरा विवाह करती है, इस धारा के अधीन दण्डित नहीं किया जा सकता। उसके ऊपर केवल उसके दुष्प्रेरण का आरोप लगाया जा सकता है।

यदि प्रथम विवाह विधिमान्य विवाह न हो, तो बहु-विवाह का कोई अपराध नहीं किया जाता। लेकिन दूसरे विवाह की विधिमान्यता किसी भी प्रकार अपराध किये जाने को प्रभावित न करेगी। बहु-विवाह के किसी आरोप के लिये सद्भावना एवं विधि की त्रुटि को अच्छी प्रतिरक्षा नहीं माना गया है।[2]

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 495 के अनुसार जो कोई बहु-विवाह का अपराध अपने पूर्व विवाह की बात उस व्यक्ति से छिपा कर करेगा, जिससे पश्चातवर्ती विवाह किया जाये, वह कारावास से दण्डित किया जायेगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। इसके और भी दुष्परिणाम होंगे। एक लाजवन्ती स्त्री जो धोखेबाजी के कार्य का शिकार होती है, वस्तुतः एक रखैल हो और जारज शिशुओं की माता बनकर रह जाती है। यह एक अत्यन्त क्रूर कपट है, जिसका अन्दाजा किया जा सकता है।

5. प्रावधान मुसलमान सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं—जहां तक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 के उपबन्धों का सम्बन्ध है, वह मुसलमान पुरुष पर लागू नहीं होते क्योंकि उसके लिये एक से अधिक पत्नियों से विवाह करने के लिये अनुज्ञात किया गया है। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान पुरुष सरकारी सेवा में प्रवेश करता है, वह इन नियमों के घेरे में आ जाता है। कोई मुसलमान सरकारी सेवक किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करेगा जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित हो, न ही वह बिना सरकार की अनुमति के, अपने पति/अपनी पत्नी के जीवित रहते हुये किसी व्यक्ति से विवाह करेगा। सरकार इस प्रकार की अनुमति मंजूर करने में समुचित मामलों में इस बात को ध्यान में रखेगी कि मुस्लिम विधि में एक दूसरे विवाह को वैध रूपेण अनुमन्य किया गया है।[3]

---

1. नियुक्ति (बी) विभाग शासनादेश सं० 25/2/69, दिनांक 14 मई, 1970.
2. (1922) 45 मद्रास 986.
3. शासनादेश सं० 3750/दो-बी 152 (3)—1959, दिनांक 4-3-1960.

6. पहली पत्नी के तलाक के आधार पर दूसरा विवाह किया गया क्या इस मामले का विनिश्चय विभागीय कार्यवाही में किया जा सकता है—नियम 29 बहु-विवाह का प्रतिषेध करता है। लेकिन, जहां यह अभिवचन किया जाये कि उस समाज की, जिसका कि याची एक सदस्य है, रूढ़िगत विधि के अनुसार पहली पत्नी को तलाक दे दिया गया था, वहां मामला विधि का एक जटिल प्रश्न बन जाता है, जिसका फैसला अधिक समुचित ढंग से सिविल न्यायालय में ही किया जा सकता है, और वह प्रभावपूर्ण ढंग से अनुशासनिक कार्यवाही में विनिश्चित नहीं किया जा सकता। जांच अधिकारी को सिविल अधिकारों को प्रभावित करने वाले मामलों में छानबीन करने की कोई अधिकारिता न होगी।[1] लेकिन नियम 29 के अधीन यथापेक्षित, सरकारी सेवक के लिये पश्चातवर्ती विवाह करने से पहले पूर्व अनुमति प्राप्त करना जरूरी है, और यदि उससे मांगा जाये तो वह सक्षम न्यायालय का यह आदेश भी प्रस्तुत करेगा कि पहली पत्नी का तलाक विधिमान्य एवं वैध था।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 494 के अनुसार—494 के निम्नवत प्रावधान है—

''**494—पति या पत्नी के जीवन काल में पुनःविवाह करना**—जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुये किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

अपवाद—इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं है, जिसका ऐसे पति या पत्नी के साथ विवाह सक्षम अधिकारी के न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया हो और न किसी ऐसे व्यक्ति पर है जो पूर्व पति या पत्नी के जीवन काल में विवाह कर लेता है, यदि ऐसा पति या पत्नी उस पश्चातवर्ती विवाह के समय ऐसे व्यक्ति से सात वर्ष तक निरन्तर अनुपस्थित रहा हो, और उस काल के भीतर ऐसे व्यक्ति ने यह नहीं सुना हो कि वह जीवित है, परन्तु यह जब कि ऐसा पश्चातवर्ती विवाह करने वाला व्यक्ति उस विवाह के होने से पूर्व उस व्यक्ति को, जिसके साथ ऐसा विवाह होता है, तथ्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी, जहां तक कि उसका ज्ञान पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना इस धारा के अन्तर्गत दण्डनीय बनाया गया है। इस धारा का प्रवर्तन केवल हिन्दू, ईसाई, एवं पारसी पर ही लागू माना जायेगा। इस धारा के प्रावधान मुसलमानों पर लागू नहीं माने जायेंगे। मुस्लिम प्रथा के अनुसार एक मुसलमान चार पत्नियों से शादी कर सकता है। इस कारण किसी मुसलमान द्वारा किया गया पांचवां विवाह मात्र अनियमित माना जाता है, किन्तु ऐसा विवाह धारा 494 के अन्तर्गत दण्डनीय नहीं है।

इस धारा के अन्तर्गत आपराधिक सृजन के लिये यह महत्वपूर्ण है कि दूसरा विवाह विधिक रूप से विधिमान्य विवाह हो। इसके अतिरिक्त विवाह उन सभी आवश्यक कर्मों के द्वारा निष्पादित होना चाहिये जिनसे कि विवाह केवल विधिमान्य होता है।

विवाह का पूर्व पति या पत्नी के जीवित रहने के कारण शून्य होना—एक प्रकरण में अभियुक्त ने विवाहित पत्नी के रहते हुए एक अन्य स्त्री के साथ दूसरा विवाह किया तथा इस प्रकार से किया गया विवाह न्यायालय के समक्ष पूर्णतया सिद्ध हो गया। परीक्षण न्यायालय ने इस अपराध के सिलसिले में अभियुक्त को दो वर्ष की सजा जुर्माने के साथ दी। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को बहाल रखा। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने परिस्थितियों को देखते हुए समझौते के आधार पर पत्नी को 40,000 रुपये क्षतिपूर्वक तथा 5,000 रुपये वाद खर्च दिलाया।[2]

पति अथवा पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह इस धारा के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, यदि वह उस पत्नी के जीवनकाल में होने के कारण शून्य हो। किन्तु यदि विवाह, के आवश्यक कर्मकाण्ड के क्रियान्वयन

1. एम० अजमची, (1976) एस० आर० एल० 350.
2. नरोत्तम सिंह स्टेट ऑफ पंजाब, 1981 सी० ए० आर० 84.

के अभाव में उसकी औपचारिकतायें पूरी की गयी हैं तो अभियुक्त का इस धारा के अधीन दोषसिद्ध माना जायेगा।

सद्भावना, अथवा विधि की भूल इस धारा के अन्तर्गत बचाव के अभिकथन के रूप में स्वीकार योग्य न होगी।

मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लेने पर भी वह अपने दायित्व से उन्मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकती तथा वह द्विविवाह की अपराधिनी मानी जायेगी।[1]

(ख) जहाँ पर एक ईसाई जो कि पहले हिन्दू था, किन्तु बाद में ईसाई धर्म ग्रहण करके ईसाई हो जाता है, यदि पुनः हिन्दू धर्म ग्रहण करके अपनी स्त्री के जीवित रहते किसी हिन्दू महिला से विवाह करता है तो वह स्थिति में धारा 494 के अधीन द्विविवाह का अपराध कारित नहीं करता है।[2]

दुष्प्रेरण—इस धारा के अन्तर्गत द्विविवाह अपराध का दुष्प्रेरण भी अपराध होगा। द्विविवाह का दुष्प्रेरण किया गया था, के लिये इस धारा के अधीन यह सिद्ध किया जाना अनिवार्य होगा कि दुष्प्रेरक इस सन्दर्भ में ज्ञान एवं विश्वास का युक्तियुक्त कारण रखता था कि विवाह के लिये अभिप्रेत व्यक्ति विवाहित है। इस प्रकार के विवाह का निष्पादन कराने वाले धार्मिक गुरु को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 109 तथा धारा 494 के अन्तर्गत दण्डित किया जा सकता है।

आवश्यक तत्व—इस धारा के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं—

(1) पति-पत्नी शादी शुदा हों।

(2) पति ने पत्नी के जीवित रहते हुए उसके जीवन काल में किसी ऐसी दशा में पुनः विवाह कर लेता है।

(3) पत्नी ने पति के जीवित रहते हुए उसके जीवन काल में किसी ऐसी दशा में पुनः विवाह कर लेती है।

इस प्रकार पति अथवा पत्नी द्वारा एक दूसरे के जीवित रहते हुए उसमें जीवन काल में यदि पुनः विवाह करते हैं तो ऐसा विवाह न्यायालय द्वारा शून्य है और अभियुक्त इस धारा के अन्तर्गत दण्ड का भागी है।

दोषमुक्ति—*गोपाल लाल* बनाम *राज्य*[3] के वाद में एक क्रिश्चियन व्यक्ति अपना दूसरा विवाह हिन्दू रीति के अनुसार सम्पन्न किया। उसके द्वारा किया गया दूसरा विवाह विधि द्वारा वैध नहीं था अतः न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन द्विविवाह के अपराध का दोषी नहीं माना जायेगा।

जगदीश चन्द्र बनाम *रामचन्द्र दीक्षित*[4] के वाद में अभियुक्त व्यक्ति का दूसरा विवाह हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व ही सम्पन्न हो चुका था अतः न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसे मामलों में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 के अधीन अपराध कारित नहीं होता है।

मनमोहन सिंह जैन बनाम *श्रीमती रजनी जैन*[5] के वाद में पत्नी ने अपने पति के विरुद्ध द्विविवाह के लिये शिकायत किया था। न्यायालय ने द्विविवाह सम्बन्धी अपराध के प्रश्न पर विचार किया। न्यायालय ने शिकायतकर्ता पत्नी और उसके साक्षियों के कथन पर भी विचार किया, तत्पश्चात् न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि मामले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

1. गोवर्धन दास बनाम जसोदामनी दासी, (1891) 18 कल० 252 : मिललाई (1887) 10 मद्रास 218.
2. ए० आई० आर० 1950 मैसूर लॉ० ज० 905.
3. ए० आई० आर० 1979 एस० सी० 713.
4. 1991 क्रि० लॉ० ज० 1697 : 1991 इला० लॉ० ज० 618 : 1991 क्राइम 73.
5. [illegible]

पति एवं पत्नी के जीवन काल में द्विविवाह—दोनों ही अपराध के लिये दण्डित किये जाने योग्य हैं—परिवादी के पक्षकथन के अनुसार श्रीमती सुलेखा आवेदक की वैध रूप से विवाहित पत्नी है। यह विवाह सन् 1982 में हुआ था। तत्पश्चात् यह अभिकथन किया गया कि अनावेदक—अभियुक्त ने, जिसकी अपनी पत्नी लतीबाई जीवित है और उसके साथ रह रही है और जिससे उसके चार बच्चे भी हैं, वर्तमान आवेदक की पत्नी सुलेखा के साथ 18-3-85 को दूसरा विवाह किया है और इस प्रकार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 और 495 के अधीन द्विविवाह के अपराध का गठन होता है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने आक्षेपित आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उसने उसके साथ विवाह किया है अभियुक्त नहीं बनाया जा सकता। अतः उन्होंने अनावेदक को छोड़ दिया और परिवाद खारिज कर दिया।

आवेदक की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान काउन्सेल ने यह दलील दी है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 के उपबंधों का गलत अनुशीलन और गलत निर्वचन करते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त करने में गंभीर रूप से गलती की है। अनावेदक की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान काउन्सेल ने मजिस्ट्रेट के आदेश का समर्थन किया है और यह दलील दी है कि द्विविवाह का अपराध विवाह के दूसरे भागीदार के विरुद्ध बनता है इसलिये एकमात्र अभियुक्त केवल आवेदक की पत्नी ही हो सकती है जिसने दूसरा विवाह किया है, किन्तु उसके दूसरे पति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 के अधीन अपराध का अभियुक्त नहीं बनाया जा सकता। माननीय न्यायालय ने परिवाद खारिज कर दिया।

रतन लाल और धीरज लाल की टीका में, 23वां संस्करण जिल्द 2 पृष्ठ 1911 पर, इस धारा के उद्देश्य और विस्तार को एक न्यायालय के विनिश्चय के आधार पर इस प्रकार स्पष्ट किया गया है—

> "यह धारा ऐसे अपराध के लिये दंडित करती है जिसे आंग्ल विधि में द्विविवाह के रूप में जाना जाता है। इसके अनुसार द्विविवाह का अपराध, जहां तक ऐसे व्यक्ति का संबंध है, जिसकी पत्नी जीवित है, वह किसी अन्य से विवाह करता है और जहां तक पत्नी का संबंध है, वह अपने पति के जीवित होते हुए पुनः विवाह करती है, जिसमें ऐसा पुनः विवाह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में किये जाने के कारण शून्य होगा, दोनों के लिये दण्डनीय है। उस व्यक्ति को जिसके साथ स्त्री पुनः विवाह करती है, इस धारा के अधीन दण्डित नहीं किया जा सकता। उसे केवल उस अपराध के दुष्प्रेरण के लिये आरोपित किया जा सकता है। मात्र इस तथ्य के कारण कि इस धारा में एक वचन अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है, इस दलील की पुष्टि नहीं की जा सकेगी कि उस विवाह और उन तथ्यों से, जिनके कारण उक्त विवाह जोखिम भरा हो, अपने आप में एक से अधिक सुभिन्न अपराध का गठन होगा। जहां दूसरे विवाह के दोनों पक्षकारों के अपने दूसरे विवाह के समय ऐसा पति या पत्नी जीवित हो वहां यह नहीं कहा जा सकता कि उनके बीच यह दूसरा विवाह के समय कि उनके बीच यह दूसरा विवाह द्विविवाह में अलग-अलग अपराध माने जायेंगे।
>
> विद्वान लेखकों की उक्त टीका को ध्यान में रखते हुए धारा 494 की उपर्युक्त अन्तर्वस्तु को पढ़े जाने पर यह समझना कठिन नहीं है कि जहां किसी दूसरे विवाह के दोनों ही पक्षकारों के अपने दूसरे विवाह के समय पति या पत्नी जीवित हों, वहां दोनों ही द्विविवाह के अपराध के दोषी होंगे और उन्हें अभियुक्त बनाया जा सकता है। केवल इस कारण कि पत्नी सुलेखा को एक अभियुक्त के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है, विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा अनावेदक को छोड़ा जाना और परिवाद खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है।[1]"

30. सुख-सुविधाओं का समुचित प्रयोग—कोई सरकारी कर्मचारी, ऐसी सुख-सुविधाओं का कुप्रयोग नहीं करेगा और न उसका असावधानी के साथ प्रयोग करेगा, जिनकी व्यवस्था सरकार ने उसके सरकारी कर्तव्यों के पालन में उसे सुविधा पहुंचाने के प्रयोजन से की हो।

---

1. हरीशंकर बनाम प्रभुदायक, (1994) 1 दा० नि० प० 200, पृ० 201-202.

उदाहरण

सरकारी कर्मचारियों के निमित्त सुख-सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है उनमें मोटर, टेलीफोन, निवास-स्थान, फर्नीचर अर्दली, लेखन-सामग्री आदि की व्यवस्था सम्मिलित है। इन वस्तुओं के कुप्रयोग के या उनके असावधानी के प्रयोग किये जाने के उदाहरण ये हैं—

(1) सरकारी कर्मचारी के परिवार सदस्यों या उसके अतिथियों द्वारा, सरकारी व्यय पर, सरकारी मोटरों का प्रयोग करना या अन्य असरकारी कार्य के लिये उनका प्रयोग करना।

(2) ऐसे मामलों के बारे में, जिनका सम्बन्ध सरकारी कार्य से नहीं है, सरकारी व्यय पर, टेलीफोन, ट्रंककाल करना,

(3) सरकारी निवास-स्थानों और फर्नीचर के प्रति असावधानी बरतना तथा उन्हें ठीक दशा में बनाये नहीं रखना, और

(4) असरकारी कार्य के लिये सरकारी लेखन-सामग्री का प्रयोग करना।

नियम 30 —

टिप्पणियाँ

किसी सरकारी सेवक को उसके लिये उपलब्ध कराई गयी सुविधाओं का कुप्रयोग नहीं किया जायेगा, न ही उनका असावधानी से प्रयोग किया जायेगा। यह सुख-सुविधायें उसके शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में उसे सुविधा पहुंचाने के लिये उपलब्ध कराई गयी हैं।

सरकारी गाड़ियों का कुप्रयोग या असावधानी से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। उस सरकारी सेवक को जिसने सरकारी जीप का अप्राधिकृत ढंग से प्रयोग किये जाने के लिये अपनी प्रेमिका को अनुमति दी थी, इस नियम के अधीन दुराचरण का दोषी धारण किया गया। किसी अधिकारी द्वारा एक महिला शिक्षक को झूठा यात्रा भत्ता लेने की अनुमति देना जब कि वह स्वयं उसको अपने साथ सरकारी जीप में ले गया था, सरकारी जीप के कुप्रयोग का एक दूसरा उदाहरण है।[1] सरकारी गाड़ियों का असावधानी से प्रयोग किया जाना उनके जीवन को कम कर देता है, और उसको रोका जाना जरूरी है। ऐसी गाड़ियों का रख-रखाव खर्चीला हो जाता है। यदि गाड़ी सड़क पर न हो तो स्वयं अधिकारी को अभाव का अनुभव होता है। सरकारी काम का भी हर्ज होगा।

टेलीफोन का प्रयोग किसी सेवक को अपने लोक-कर्तव्यों के निर्वहन में ही करना चाहिये। अपने बच्चों से इलाहाबाद अथवा नैनीताल में सरकारी खर्चे पर बात करने वाले अधिकारी इस नियम के अधीन दुराचरण के दोषी होते हैं।

किराया मुक्त आवास उपलब्ध कराये गये अधिकारियों को यह चाहिये कि उसकी देख-रेख स्वयं करें और यह सुनिश्चित करें कि उसकी असावधानी से भवन को कोई क्षति न पहुंचे। किसी अधिकारी द्वारा सरकारी पंखों को नीची श्रेणी के बेकार पंखों से बदला जाना या अहाते की दीवार की ईंटों का अपने व्यक्तिगत कार्य में प्रयोग किये जाने की अनुमति दिया जाना ऐसे उदाहरण हैं जिसमें उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी।

अर्दलियों का कुप्रयोग एक और दूसरा उदाहरण जहां कि सरकारी सेवक को सतर्क रहना चाहिये। उनका प्रयोग असरकारी सेवाओं के लिये नहीं किया जायेगा। यह बात लोकतांत्रिक ढांचे में अवांछनीय है। उनकी नियुक्ति का प्रयोजन यही है कि सरकारी सेवक को उसके शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में उनके कारण सुगमता हो। उनका घरेलू सेवकों के रूप में प्रयोग किया जाना गलत है। उनके निजी काम पर लगाये जाने से निश्चित रूप से कुछ सीमा तक सरकारी सेवक की शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन करने की क्षमता प्रभावित होगी।

---

1. डॉ॰ पी॰ एन॰ कुलश्रेष्ठ बनाम उ॰ प्र॰ राज्य, 1971 ए॰ एल॰ जे॰ 324.

31. खरीददारियों के लिये मूल्य देना—कोई सरकारी कर्मचारी, उस समय तक जब तक किस्तों का मूल्य देना प्रथानुसार (customary) या विशेष रूप से उपबन्धित न हो या जब तक किसी वास्तविक (bona fide) व्यापारी के पास उसका उधार लेखा (credit account) न खुला हुआ हो, उन वस्तुओं का, जिन्हें उसने खरीदा हो, चाहे ये खरीदारियाँ उसने दौरे पर या अन्यथा की हों, शीघ्र और पूर्ण मूल्य देना रोक नहीं रखेगा।

नियम 31

टिप्पणियां

सरकारी सेवकों को चाहिये कि वह अपने द्वारा खरीदी गयी वस्तुओं का पूरा मूल्य चुकायें चाहे ऐसी खरीदारी दौरे पर की गयी हो या अन्यथा की गई हो। इस नियम के अपवाद वहां अनुज्ञात किये गये हैं जहां कि किश्तों में भुगतान किया जाना प्रथा के अनुसार हो, या उसके लिये विशेष रूप से उपबन्ध किया गया हो, या जहां कि किसी वास्तविक व्यापारी के पास कोई उधार लेखा खुला हुआ हो। दौरे पर खरीदारी करते समय सतर्कता बरतनी चाहिये। इससे अधीनस्थ व्यक्तियों को दौरे पर अधिकारियों के लिये खरीदी गयी वस्तुओं का सस्ते दरों पर मूल्य लगवा कर उन्हें प्रसन्न करने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार की खरीदी गई वस्तुओं के मूल्य के भुगतान की रसीद प्राप्त किया जाना जरूरी है।

32. बिना मूल्य दिये सेवाओं का उपयोग करना—कोई सरकारी कर्मचारी, बिना यथोचित और पर्याप्त मूल्य दिये, किसी ऐसी सेवा या आमोद (entertainment) का स्वयं इस्तेमाल न करेगा जिसके लिये कोई किराया या मूल्य या प्रवेश शुल्क लिया जाता हो।

उदाहरण

जब तक ऐसा करना कर्तव्य के एक अंश के तौर पर निर्दिष्ट रूप से निर्धारित न किया गया हो, कोई सरकारी कर्मचारी।

(1) किसी भी किराये पर चलने वाली गाड़ी में बिना मूल्य दिये यात्रा नहीं करेगा,

(2) बिना प्रवेश शुल्क दिये सिनेमा को नहीं देखेगा।

नियम 32

टिप्पणियां

इस नियम के अधीन ऐसी सेवाओं या जिसके लिये कोई किराया, या मूल्य या प्रवेश शुल्क लिया जाता हो, बिना यथोचित एवं पर्याप्त भुगतान किये इस्तेमाल करना प्रतिषिद्ध किया गया है। सरकारी अथवा निजी बसों, गाड़ियों, टैक्सियों आदि में निःशुल्क यात्रा करना इस नियम की परिधि में आता है। अधिकारियों और कर्मचारियों को निःशुल्क पासों पर सिनेमा देखने से प्रतिषिद्ध किया गया है। लेकिन, इस प्रकार के उदाहरण देखने में आते हैं जहां कि निःशुल्क पासों पर आमोद कर भी नहीं दिया गया है। इसके कारण न केवल सरकार को हानि होती है, बल्कि इससे अधिकारी, कर्मचारी तथा प्रबन्धकगण भी भ्रष्ट हो जाते हैं, जो हानि को पूरा करने का मार्ग ढूंढते हैं। स्थानीय अधिकारी/कर्मचारी जो अपने बच्चों को बिना किसी भुगतान के सैर-सपाटा के लिये ले जाते हैं, इस नियम के अधीन दुराचरण करते हैं।

सेवाओं के लिये किया गया भुगतान पर्याप्त भी होना चाहिये। इस नियम के अधीन दबाव डालना तथा अपर्याप्त भुगतान करना भी प्रतिषिद्ध किया गया है। कभी-कभी ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जिसका किसी सरकारी सेवक से शासकीय व्यवहार हो, की गई सेवाओं के लिये किया गया अपर्याप्त भुगतान अवैध परितोषण होता है।

अधीनस्थ व्यक्ति के साथ उसे खर्चे पर रहने को भी प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिये। इससे भी सरकार तथा उसके सेवकों की छवि लोगों की दृष्टि में धूमिल हो जाती है।[1]

[1] शासनादेश सं० 3634-ए/दो-बी-191—1964, दिनांक 30 नवम्बर, 1964.

33. दूसरों की सवारी गाड़ियां प्रयोग में लाना—कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय बहुत ही विशेष परिस्थितियों के होने की दशा में, किसी ऐसी सवारी गाड़ी को इस्तेमाल में नहीं लायेगा जो किसी असरकारी व्यक्ति की हो या किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी की हो, जो उसके अधीन हो।

नियम 33

टिप्पणियाँ

सिवाय बहुत ही विशेष परिस्थितियों के होने की दशा में, किसी भी सरकारी सेवक को किसी असरकारी व्यक्ति की अथवा ऐसे सरकारी सेवक की जो उसके अधीनस्थ हो, सवारी गाड़ी का इस्तेमाल करने से प्रतिषिद्ध किया गया है। जहां सरकारी सेवक के पिता की उसके निवास-स्थान के नगर में मृत्यु हो गयी थी, और सरकारी सेवक ने एक असरकारी व्यक्ति की कार का इस्तेमाल उस नगर को अपने परिवार के सदस्यों सहित जाने के लिये किया, वहां यह धारण किया गया कि यदि उसने कार के लिये चलाने के खर्चों को स्वयं उठाया, तो उसने कोई दुराचरण नहीं किया। लेकिन यदि किसी सरकारी सेवक को किसी असरकारी व्यक्ति की अथवा ऐसे किसी सरकारी सेवक को कि जो उसके अधीनस्थ है, कार सभी साधारण प्रयोजनों के लिये इस्तेमाल में लाने की आदत पड़ गयी हो, तो वह अपनी शासकीय स्थिति दुरुपयोग करने के प्रलोभन को सहन नहीं कर सकता। यह हो सकता है कि वह कार का इस्तेमाल करने के लिये कोई भुगतान न करे, और इस प्रकार वह इस नियम के अधीन दुराचरण करने का जोखिम उठा सकता है।

[1][**34. अधीनस्थ कर्मचारियों के जरिये खरीदारियां**—कोई सरकारी कर्मचारी, किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी से, जो उसके अधीन हो, अपनी ओर से या अपनी पत्नी या अपने परिवार के अन्य सदस्य की ओर से चाहे अग्रिम भुगतान करने पर या अन्यथा, उसी शहर में या किसी दूसरे शहर में, खरीदारियां करने के लिये न तो स्वयं कहेगा और न अपनी पत्नी को या अपने परिवार के किसी ऐसे अन्य सदस्य को, जो उसके साथ रहा हो, कहने की अनुमति देगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह नियम उन खरीदारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें करने के लिये सरकारी कर्मचारी से सम्बद्ध निम्न कोटि के कर्मचारी वर्ग से कहा जाये।

उदाहरण

'क', एक डिप्टी कलेक्टर है।

'ख', उक्त डिप्टी कलेक्टर के अधीन एक तहसीलदार है।

'क', को चाहिये कि वह अपनी पत्नी को इस बात की अनुमति न दे कि वह 'ख' से कहे कि वह उसके लिये कपड़ा खरीदवा दे।

नियम 34

टिप्पणियाँ

कोई भी सरकारी सेवक अपनी पत्नी अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य को जो उसके साथ निवास करता हो, अग्रिम भुगतान करने पर या अन्यथा, अपने अधीनस्थ किसी अन्य सरकारी सेवक के माध्यम से उसी नगर से अथवा किसी अन्य स्थान से खरीदारी कराने की अनुमति नहीं देगा। कोई अधिकारी जो गल्ले की खरीदारी अपने अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कि जिसके सेवा सम्बन्धी या अन्य सामान मामलों से सम्बन्धित अभ्यावेदन उसके पास प्रायः आदेश के लिये आते हों, कराता है, इस नियम के अधीन दुराचरण करता है। यह सम्भव है कि ऐसा कर्मचारी खरीदी गयी वस्तुओं का मूल्य बाजार में प्रचलित दर से कम दरों पर ले। वह अधिकारी परिवहन के खर्चों का भी भुगतान करना नहीं चाहेगा। सरकारी समय नष्ट होने

1. उ० प्र० सरकारी सेवक आचरण—(प्रथम संशोधन) नियमावली, 1980 द्वारा प्रतिस्थापित।

के अलावा, कर्मचारी को अधिकारी को प्रसन्न करने के लिये अपनी जेब से खर्चा वहन करना पड़ेगा। यह अवैध परितोषण स्वीकार करने ही जैसा होगा। परितोषण में केवल आर्थिक परितोषण ही नहीं शामिल है, बल्कि ऐसा परितोषण जिसका अनुमान धन के अर्थ में किया जा सके, सभी प्रकार के आमोद, किसी अनुग्रह के लिये चुकाया गया कोई बदला तथा किसी व्यक्ति को सन्तोष एवं प्रसन्नता प्रदान करने वाला कोई भी कार्य, सभी परितोषण के अन्तर्गत आते हैं।[1]

35. निर्वहन (Interpretation)—यदि इन नियमों के निर्वचन से सम्बन्धित कोई प्रश्न उठ खड़ा हो, तो उसे सरकार के पास भेज देना चाहिये और उस पर सरकार का जो भी निर्णय हो, वह अन्तिम होगा।

नियम 35

टिप्पणियाँ

नियमों का निर्वचन उनमें प्रयुक्त साधारण (plain) तथा द्विधारहित पद के अनुसार ही किया जाना चाहिये, न कि किन्हीं ऐसे विचारों से जो न्यायालय इस सम्बन्ध में धारण करे कि क्या न्यायोचित अथवा इष्टकर है। शब्दों का प्रथम दृष्टया साधारण अर्थ किया जाना चाहिये। यदि निर्वचन के विषय में कोई प्रश्न उठे, तो उसका निर्देश सरकार को किया जायेगा, और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

नये नियम आगे से प्रवर्तन में आते हैं। वह भविष्यलक्षी होते हैं।[2] यदि वह कार्य जिनके विषय में परिवाद किया गया हो, नियमों के प्रख्यापन से पूर्व की अवधि का था, तो कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी।[3]

जहां कोई नियम न हों, वहां सरकारी सेवकों के आचरण के सम्बन्ध में होने वाले मामलों का विनियमन जारी किये गये प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा किया जायेगा।[4] नियमों में पायी गई कमियों को पूरा करने के लिये अनुदेश जारी किये जा सकेंगे, लेकिन शर्त यही है कि वह नियमों से असंगत न हो।[5]

36. निरसन (Repeal) तथा अपवाद (Saving)—इन नियमों के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई भी नियम, जो इन नियमों के तत्स्थानी थे और जो उत्तर प्रदेश की सरकार के नियंत्रण के अधीन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते थे, एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार निरसित किये गये नियमों के अधीन जारी हुये किसी आदेश या की गयी किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह आदेश या कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन जारी किया गया था या की गयी थी।

आदित्य नाथ झा,

मुख्य सचिव।

नियम 36

टिप्पणियाँ

इन नियमों के प्रवर्तन में आने पर इस विषय पर पूर्व के नियम निरसित कर दिये गये, लेकिन किये गये किसी आदेश या की गयी किसी कार्यवाही के विषय में यह समझा जायेगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों (corresponding provisions) के अधीन किया गया है या की गई है।

---

1. त्रिलोचन सिंह बनाम करनैल सिंह, ए० आई० आर० 1968 पंजाब 416.
2. हरि प्रसाद सिंह बनाम कमिश्नर इन्कम टैक्स, ए० आई० आर० 1972 कलकत्ता 27.
3. वाई० पाण्डुरंग स्वामी बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य, ए० आई० आर० 1971 आन्ध्र प्रदेश 234.
4. हरी कृष्ण सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए० आई० आर० 1955 एस० सी० 549.
5. सन्त राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य, ए० आई० आर० 1967 एस० सी० 1910.

परिशिष्ट—एक

घोषणा का प्रारूप

(नियम 24)

(क)

(उनके लिये जिनके पास कोई स्थावर सम्पत्ति नहीं है)

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि मेरे पास कोई स्थावर सम्पत्ति नहीं है। यदि मैं एतत्पश्चात् कोई स्थावर सम्पत्ति अर्जित करूंगा तो मैं इस तथ्य की घोषणा सम्बद्ध अवधि के लिये की गयी पंचवर्षीय घोषणा में करूंगा।

हस्ताक्षर.................

पदनाम.................

दिनांक.................

(ख)

(उनके लिये जिनके पास स्थावर सम्पत्ति है)

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि मेरे पास सम्पत्ति निम्नवत् है—

भूमि सम्पत्ति

धृत भूमि			क्षेत्र	अर्जित या पूर्वजों से,	वार्षिक राजस्व	अनुमानित मूल्य	टिप्पणियां
जिला	तहसील	गांव	एकड़ में	यदि अर्जित की गयी तो अर्जन का दिनांक			
1	2	3	4	5	6	7	8

गृह सम्पत्ति

क्रमांक	गृह कहां स्थित है		गृह की संख्या	अर्जित है या पूर्वजों से, यदि अर्जित है तो अर्जित किये जाने का दिनांक	आया रिहाइश के लिये प्रयोग आ रहा है या किराये पर उठाया गया है	वार्षिक किराया	अनुमानित मूल्य	टिप्पणियां
	गांव, कस्बा या नगर	जिला						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

यदि मैं भविष्य में और भी स्थावर सम्पत्ति अर्जित करूंगा, तो मैं इस तथ्य की घोषणा सम्बद्ध अवधि के लिये की गयी पंचवर्षीय घोषणा में करूंगा।

हस्ताक्षर.................

पदनाम.................

दिनांक.................

टिप्पणी—स्थावर सम्पत्ति में किसी बन्धक या पट्टे के अधीन धृत गृह या भूमि सम्पत्ति शामिल है।

इस घोषणा के प्रयोजन के लिये किसी अधिकारी की पत्नी या उसके परिवार के अन्य सदस्यों जो कि अधिकारी के साथ संयुक्त हों या उसके साथ निवास करते हों या उस पर किसी भी प्रकार आश्रित हों, के द्वारा या किसी की ओर से धृत या प्रबन्धित सम्पत्ति को स्वयं उस अधिकारी द्वारा ही धृत या प्रबन्धित माना जायेगा।

परिशिष्ट—दो

(Rule 4 Heading equal treatment to people)

(शासनादेश सं० 9/5/1974—नियुक्ति-3)

लखनऊ, दिनांक 17 जून, 1974

विषय—सरकारी कर्मचारियों द्वारा धर्मनिरपेक्ष रहना (Observance of secularism by Government Servants.)

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अतः सरकारी कर्मचारियों द्वारा धर्मनिरपेक्षता बनाये रखना संवैधानिक आवश्यकता है। यद्यपि शासन उनके अधीन कार्यरत अधिकारियों तथा कर्मचारियों के व्यक्तिगत जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, तथापि वह उनसे इस बात की अपेक्षा करता है कि वे ऐसे भोजों तथा समारोहों में भाग न लें या अपने को किसी भी प्रकार से सम्बद्ध न करें, जो किसी जाति या धर्म विशेष से सम्बन्धित हों, किन्तु शासन का कोई विचार धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबन्ध लगाने का नहीं है। शासन केवल यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके कर्मचारियों का कोई आचरण धर्म-निरपेक्षता के प्रतिकूल न समझा जायेगा और न उससे जाति सम्बन्धी पूर्वाग्रह का आभास हो।

2. आपसे अनुरोध है कि आप कृपया इन आदेशों से अपने अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों को अवगत करा दें तथा उन्हें सूचित कर दें कि उनका कड़ाई से पालन करें।

समस्त विभागाध्यक्ष तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

भवदीय,
गुलाम हुसैन
आयुक्त एवं सचिव।

परिशिष्ट—तीन

(Rule 5-A, Sub Heading 10)

शासनादेश संख्या 9/1974—नियुक्ति-3

लखनऊ : दिनांक 8 सितम्बर, 1974

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख
कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

विषय—सरकारी कर्मचारियों द्वारा धरना, हड़ताल आदि में भाग लेने के लिये अनधिकृत रूप से अनुपस्थित होना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि धरना, हड़ताल आदि में सरकारी कर्मचारियों द्वारा भाग लिये जाने के सम्बन्ध में शासन ने यह आदेश जारी किये हैं कि यदि इस उद्देश्य से कोई सरकारी कर्मचारी अवकाश के लिये प्रार्थना-पत्र दे, तो उसे स्वीकार कर लिया जाये तथा उसका अभिलेख (Record) रखा जाये। रेडियोग्राम संख्या 1046/20-ई-1-74 दिनांक 28, जनवरी, 1974 में यह भी अनुदेश दिये गये थे कि इस प्रकार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित होने की अवधि का वेतन न दिया जाये।

2. अब शासन ने यह निर्णय लिया है कि यदि कोई कर्मचारी इस प्रकार बिना अवकाश लिये अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा हो तो उसके अनुपस्थित होने की अवधि सेवाकाल में व्यवधान (Interruption in service) के रूप में पत्रांकन किया जायेगा। इस व्यवधान के यह परिणाम होंगे कि ऐसी अवधि वेतन वृद्धि के लिये आगणित नहीं की जायेगी और वार्षिक वृद्धि की तिथि इस अवधि से बढ़ जायेगी।

3. आपसे अनुरोध है कि आप इन आदेशों को अपने अधीनस्थ सरकारी कर्मचारियों की जानकारी में भलीभांति ला दें।

भवदीय,
गुलाम हुसैन
आयुक्त एवं सचिव।

परिशिष्ट—चार

(Rule 30)

शासनादेश संख्या 9/1/1977—कार्मिक-1

लखनऊ : दिनांक 21 जून, 1977

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा
कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

विषय : सरकारी कर्मचारियों को प्रदत्त सुविधाओं का समुचित उपयोग।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान पार्श्वांकित शासनादेशों की ओर से आकृष्ट करते हुये यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 के नियम 30 के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को प्रदान की गयी सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। लेकिन शासन के सामने निरन्तर ऐसे उदाहरण आते रहते हैं जिनमें अर्दलियों तथा चपरासियों से घरेलू काम करवाना, सरकारी गाड़ियों का निजी कार्य हेतु प्रयोग, निजी कार्य हेतु सरकारी टेलीफोन का प्रयोग, सरकारी निवास स्थानों और फर्नीचर के प्रति असावधानी बरतना, सरकारी लेखन सामग्री का निजी कार्य में प्रयोग, इत्यादि के बारे में शिकायतें आती रहती हैं। शासन इस स्थिति को अत्यन्त गम्भीर समझता है। इससे न केवल आचरण नियमावली की उपर्युक्त

1. शासनादेश सं० 4622/दो-बी-264-60 दिनांक 11 फरवरी, 1960
2. शासनादेश सं० 23/5/67-नियुक्ति (ख) दिनांक 10 सितम्बर, 1981
3. अर्द्धशासकीय परिपत्र सं० 22/3/1974-नियुक्ति (ख) दिनांक 4 अप्रैल, 1970
4. शासनादेश सं० 22/3/1970-नियुक्ति (ख) दिनांक 23 जनवरी, 1871

व्यवस्था का उल्लंघन होता है, बल्कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा करना अत्यन्त अवांछनीय है। चपरासियों, सरकारी टेलीफोन, सरकारी गाड़ी, सरकारी फर्नीचर एवं लेखन सामग्री की व्यवस्था कर्मचारियों/ अधिकारियों की, उनके सरकारी कर्तव्यों के पालन में सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से की जाती है। अत: ऐसी सुविधाओं का निजी कार्य हेतु प्रयोग करना किसी भी दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं है।

2. मुझे आपसे अनुरोध करना है कि इस बात की वांछनीयता पर जोर देते हुये उक्त उल्लंघनों को तुरन्त समाप्त करने हेतु अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को भविष्य में सतर्क रहने हेतु कड़े निर्देश देने की कृपा करें। यदि उक्त अनुदेशों के उल्लंघन का कोई उदाहरण सही सिद्ध हुआ तो सरकार उस मामले में कड़ी कार्यवाही करेगी।

भवदीय,
त्रिलोकीनाथ धर
आयुक्त एवं सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग - 1
संख्या: 957/सत्ताईस-कार्मिक-1/1998
लखनऊ : दिनांक: 17 अक्टूबर, 199

भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली 1956 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं ।

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली - 1998

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली - 1998 कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

नये नियम का बढ़ाया जाना 2- उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली-1956 में जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, वर्तमान नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम 3-क बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

3-क- कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध -

(1) कोई सरकारी कर्मचारी किसी महिला के कार्य स्थल पर, उसके यौन उत्पीड़न के किसी कार्य में संलिप्त नहीं होगा ।

(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो किसी कार्य स्थल का प्रभारी हो, उस कार्य स्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये उपयुक्त कदम उठाएगा ।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजनों के लिये "यौन उत्पीड़न" में प्रत्यक्षतः या अन्यथा कामवासना से प्रेरित कोई ऐसा अशोभनीय व्यवहार सम्मिलित है जैसा कि -

(क) शारीरिक स्पर्श और कामोद्दीप्त प्रणय संबंधी चेष्टाएँ,
(ख) यौन स्वीकृति की माँग या प्रार्थना,
(ग) काम वासना प्रेरित फब्तियाँ,
(घ) किसी कामोत्तेजक चित्र व्यवहार या सामग्री का प्रदर्शन, या
(ङ) यौन संबंधी कोई अन्य अशोभनीय शारीरिक, मौखिक या सांकेतिक आचरण ।

नियम-11 और 15 का प्रतिस्थापन (3) उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम 11 और 15 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये

Arghu

-------------------2

- 4 -

सरकारी नौकरी हाथ में लेने की दशा में ऐसे व्यापार या नौकरी की सूचना सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकार को दी जायगी।

नियम-22 का संशोधान

4- उक्त नियमावली में नियम-22 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान उपनियम (2) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायगा, अर्थात :-

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(2) कोई भी सरकारी कर्मचारी सिवाय किसी बैंक, सहकारी समिति या अच्छी साख वाले फर्म के साथ साधारण व्यापार क्रम के अनुसार न तो किसी व्यक्ति से, अपने स्थानीय प्राधिकार की सीमाओं के भीतर रुपया उधार लेगा, और न अन्यथा, अपने को ऐसी स्थिति में रखेगा जिससे वह उस व्यक्ति के वित्तीय आभार (pecuniary obligation) के अन्तर्गत हो जाय, और न वह सिवाय उस दशा के जबकि उसने समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, अपने परिवार के किसी सदस्य को, इस प्रकार का व्यवहार करने की अनुमति देगा : किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी, किसी व्यक्तिगत मित्र (personal friend) या संबंधी से, बिना ब्याज वाली एक छोटी रकम का एक नितान्त अस्थायी ऋण स्वीकार कर सकता है या किसी वास्तविक (bonafide [illegible]) व्यापारी के साथ उधार-लेखा चला सकता है।	(2) कोई भी सरकारी कर्मचारी सिवाय किसी बैंक, सहकारी समिति या अच्छी साख वाले फर्म के साथ साधारण व्यापार क्रम के अनुसार न तो किसी व्यक्ति से, अपने स्थानीय प्राधिकार की सीमाओं के भीतर, रुपया उधार लेगा, और न अन्यथा अपने को ऐसी स्थिति में रखेगा जिससे वह उस व्यक्ति के वित्तीय आभार के अन्तर्गत हो जाय और न वह सिवाय उस दशा के जबकि उसने समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, अपने परिवार के किसी सदस्य को, इस प्रकार का व्यवहार करने की अनुमति देगा : किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी किसी व्यक्तिगत मित्र या संबंधी से अपने दो माह के मूल वेतन या उसके सम मूल्य का बिना ब्याज वाला नितान्त अस्थायी ऋण स्वीकार कर सकता है या किसी वास्तविक (bonafide) व्यापारी के साथ उधार लेखा चला सकता है।

नियम-24 का संशोधान

उक्त नियमावली में नियम 24 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान उपनियम-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

(76)

(7)

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

PERSONNEL SECTION-1

NOTIFICATION

Miscellaneous

NO. 13/5/98-Ka-1/1998

Dated : Lucknow: 17 Oct., 1998.

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Government Servants Conduct Rules, 1956.

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS CONDUCT (AMENDMENT) RULES, 1998

Short title and commencement 1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Servants Conduct (Amendment) Rules, 1998.

(2) They shall come into force at once.

Insertion of new rule 2. In the Uttar Pradesh Government Servants Conduct Rules, 1956, hereinafter referred to as the said rules, after existing rule-3 the following new rule 3-A shall be inserted, namely :-

"3-A Prohibition of sexual harassment of working women-

(1) No Government Servant shall indulge in any act of sexual harassment of any women at her work place.

(2) Every Government Servant who is incharge of a work place shall take appropriate steps to prevent sexual harassment to any women at such work place.

---2/-

Illustration

The citizens of a town decide to present to 'A' a Sub-Divisional Officer, a watch, exceeding Rs.51 in value in appreciation of the services rendered by him during the flood.

'A' cannot accept the present without the previous approval of the Government.

15. Private trade or employment- No Government servant shall except with the previous sanction of the Government, engage directly or indirectly in any trade, business or undertake any employment:

Provided that a government servant may, without such sanction undertake honorary work of a social or charitable nature or occasional work of a literary, artistic or scientific character, subject to the condition that his official duties do not thereby suffer and that he informs his head of Department, and when he is himself the Head of the Department the Government, within one month of his undertaking such a work, but he shall not undertake, or shall discontinue, such work if so directed by the Government.

Illustration

The citizens of a town decide to present to 'A', a Sub-Divisional officer, a watch, exceeding in value Rs. one tenth of his basic pay in appreciation of the services rendered by him during the flood.

'A' cannot accept the present without the previous approval of the Government.

15. Private trade or employment- No Government servant shall except with the previous sanction of the Government, engage directly or indirectly in any trade, business or undertake any employment:

Provided that a Government servant may, without such sanction undertake honorary work of a social or charitable nature or occasional work of a literary artistic or scientific character, subject to the condition that his Official duties do not thereby suffer and that he informs his head of Department, and when he is himself the Head of the Department, the Government, within one month of his undertaking such a work, but he shall not undertaking or shall discontinue such work if so directed by the Government.

Provided further that in case a member of the family of a Government servant undertakes private trade or private employment, the information of such trade or employment shall be given to the Government by the Government servant.

Amendment of Rule.22

4. In the said rules, in rule 22, for existing sub rule (2) set out in column 1 below the sub rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:

(11)

Illustration

(i) 'A' a government servant whose monthly pay is rupees six hundred purchase a tape recorder for rupees seven hundred, or

(ii) 'B' a Government servant whose monthly pay is rupees two thousands sells a car for rupees one thousand five hundred.

In either case 'A' or 'B' must report the matter to the appropriate authority. If the transaction is made otherwise than through a reputed dealer he must also obtain the previous sanction of the appropriate authority.

By Order,
Sd./-17.10.98
(SUDHIR KUMAR)
Secretary.

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14- अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या-100-विनियम-23/पाकालि-2001-6 विनियम/98 दिनांक : 19.6.2001

कार्यालय ज्ञाप

पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद द्वारा अपनी दिनांक 26.12.1963 को सम्पन्न 78वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार उ0प्र0 शासन के नियुक्ति (ख) विभाग की विज्ञप्ति संख्या-2367/II-बी-118-54 दिनांक 21.7.1956 द्वारा निर्गत "उ0प्र0 सरकारी सेवक आचरण नियमावली -1956 को परिषदीय सेवकों के लिए अंगीकार किया गया था।

2. तदुपरान्त उ0प्र0 शासन के कार्मिक अनुभाग - 1 की विज्ञप्ति संख्या-13/5/98 टी0सी0-का-1-1998 दिनांक 17.10.1998 द्वारा "उ0प्र0 सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली-1998 निर्गत की गयी, जिसके द्वारा आचरण नियमावली-1956 के नियम-3 के पश्चात नया नियम-3 क बढ़ा दिया गया एवं नियम-11, 15, 22 एवं 24 को संशोधित किया गया।

3. उपरोक्त प्रस्तर में इंगित नियमावली-1998 (संलग्न) के प्राविधानों को तदनुसार अपने सेवकों पर लागू किये जाने हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड सहर्ष अंगीकृत करते हैं।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

सं0-100(1)विनियम-23/पाकालि-2001 तद् दिनांक।

1- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
2- समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
3- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
4- समस्त उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
5- मुख्य अभियन्ता (ज0वि0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 4- विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
6- मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, लेखा शाखा, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
7- समस्त अधिकारी/अनुभाग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
8- कम्प्यूटरीकरण इकाई, शक्ति भवन (गु0) कक्ष संख्या- 427।
9- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

----------2